रजिस्ट्री सं० डी० (डी०)-73

REGISTERED No. D. (D.)-73

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 32] नई दिल्ली, शनिवार, अगस्त 7, 1976/श्रावण 16, 1898

No. 32] NEW DELHI, SATURDAY, AUGUST 7, 1976/SRAVANA 16, 1898

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय प्राधिकारियों द्वारा विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किए गये साधारण नियम जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उपनियम आदि सम्मिलित हैं

General Statutory Rules (including orders, bye-laws etc., of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

मंत्रिमण्डल सचिवालय

(कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग)

नई दिल्ली, 20 जुलाई, 1976

सा०का०नि० 1156.—भारतीय प्रशासन सेवा (संवर्ग) नियम, 1954 के नियम 4 के उप-नियम (2) के प्रथम परन्तुक उप-नियम (1) के साथ पठित अखिल भारतीय सेवाएं अधिनियम, 1951 (1951 का 61) की धारा 3 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार तमिलनाडु सरकार के परामर्श से भारतीय प्रशासन सेवा (संवर्ग के पदों की संख्या का नियतन) विनियम, 1955 में और आगे संशोधन करने के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन विनियमों का नाम भारतीय प्रशासन सेवा (संवर्ग के पदों की संख्या का नियतन सोलहवां) संशोधन विनियम, 1976 है।

(2) ये सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. भारतीय प्रशासन सेवा (संवर्ग संख्या का नियतन) विनियम, 1955 की अनुसूची में "तमिलनाडु" शीर्षक के अधीन "विशेष सचिव" प्रविष्टि के स्थान पर "आयुक्त और सचिव" प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाए।

[संख्या 11031/22/76-अ०भा०से० (II)-क]

CABINET SECRETARIAT

(Department of Personnel and Administrative Reforms)

New Delhi, the 20th July, 1976

G.S.R. 1156.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the All India Services Act, 1951 (61 of 1951), read with sub-rule (1), and the first proviso to sub-rule (2), of rule 4 of the Indian Administrative Service (Cadre) Rules, 1954, the Central Government, in consultation with the Government of Tamil Nadu hereby makes the following regulations further to amend the Indian Administrative Service (Fixation of Cadre Strength) Regulations, 1955, namely :—

1. (1) These regulations may be called the Indian Administrative Service (Fixation of Cadre Strength) Sixteenth Amendment Regulations, 1976.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule to the Indian Administrative Service (Fixation of Cadre Strength) Regulations, 1955 for the entry 'Special Secretaries' occuring against "Tamil Nadu", the entry "Commissioner and Secretary to Government" shall be substituted.

[No. 11031/22/76-AIS(II)A]

सा० का० नि० 1157.—भारतीय प्रशासन सेवा (वेतन) नियम, 1954 के नियम 11 के साथ पठित अखिल भारतीय सेवाएं अधिनियम, 1951 (1951 का 61) की धारा 3 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार तमिलनाडु सरकार के परामर्श से भारतीय प्रशासन सेवा (वेतन) नियम, 1954 में और संशोधन करने के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का नाम भारतीय प्रशासन सेवा (वेतन) सोलहवां संशोधन नियम, 1976 है।

(2) ये सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. भारतीय प्रशासन सेवा (वेतन) नियम, 1954 की अनुसूची III में क-राज्य सरकारों के अधीन भारतीय प्रशासन सेवा में समय वेतन-मान से अधिक वेतन वाले पद सारणी में तमिल नाडु के पहले कालम में "विशेष सचिव" प्रविष्टि के स्थान पर "आयुक्त और सचिव" प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाए।

[संख्या 11031/22/76-अ०भा०से० (II)-ख]

के० के० जैसवाल, अवर सचिव

G.S.R. 1157.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the All India Services Act, 1951 (61 of 1951) read with rule 11 of the Indian Administrative Service (Pay) Rules, 1954, the Central Government, in consultation with the Government of Tamil Nadu, hereby makes the following rules further to amend the Indian Administrative Service (Pay) Rules, 1954, namely:—

1. (1) These rules may be called the Indian Administrative Service (Pay) Sixteenth Amendment Rules, 1976.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In Schedule III-A to the Indian Administrative Service (Pay) Rules, 1954, for the entry 'Special Secretaries' occurring against "Tamil Nadu" the entry, 'Commissioner and Secretary to Government' shall be substituted.

[No. 11031/22/76-AIS(II) B]

K. K. JASWAL, Under Secy.

विधि न्याय, और कम्पनी कार्य मंत्रालय

(विधि कार्य विभाग)

नई दिल्ली, 10 जून, 1976

सा० का० नि० 1158.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए विधि मंत्रालय (विधि कार्य विभाग) वर्ग 2 पद भर्ती नियम, 1965 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ :—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम विधि मंत्रालय (विधि कार्य विभाग) वर्ग 2 पद भर्ती (संशोधन) नियम, 1976 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. विधि मंत्रालय (विधि कार्य विभाग) वर्ग 2 पद भर्ती नियम, 1965 में,

(i) नियम 1 में, "वर्ग 2" शब्द और अंक के स्थान पर "समूह ख" शब्द और अक्षर रखा जाएगा;

(ii) अनुसूची में,—

(क) अधीक्षक (विधिक) के पद से संबंधित प्रविष्टियों में स्तम्भ 3 और 12 में "वर्ग 2" शब्द और अंक के स्थान पर क्रमशः "समूह ख" शब्द और अक्षर रखा जाएगा;

(ख) सहायक (विधिक) के पद और उससे सम्बंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात :—

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन पद अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
1	2	3	4	5	6	7
सहायक (विधिक)	34	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह ख अराजपत्रित लिपिकवर्गीय	425-15-500-द०रो०, 15-560-20-700-द०रो०-25-800 रु०	चयन	30 वर्ष से अनधिक (सरकारी सेवकों के लिए शिथिलनीय) टिप्पण :—आयु सीमा अवधारित करने की निर्णायक तारीख भारत में के अभ्यर्थियों से (अन्दमान और निकोबार द्वीप-समूह और लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों से भिन्न) आवेदन प्राप्त करने की अन्तिम तारीख होगी।	आवश्यक :— [(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्व-विद्यालय से विधि में उपाधि या समतुल्य। (ii) किसी राज्य के विधि विभाग में विधि कार्य का कम से कम तीन वर्ष का अनुभव होना चाहिए। या केन्द्रीय सरकार का ऐसा सेवक होना चाहिए जिसे विधि कार्य का कम से कम 4 वर्ष का अनुभव हो। या उसे अर्हित विधिव्यवसायी होना चाहिए। (अर्हताएं अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल-नीय; विशेष रूप से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों के अभ्यर्थियों की दशा में उनके लिए आरक्षित पदों के लिए अनुभव सम्बन्धी अर्हता शिथिलनीय) :

1	2	3	4	5	6	7
						टिप्पण :—इस खण्ड के संबंध में अर्हित 'विधि व्यवसायी" पद से अभिप्रेत है कोई अधिवक्ता या कोई प्लीडर जिसने इस हैसियत में कम से कम दो वर्ष व्यवसाय किया हो या मुम्बई या कलकत्ता उच्च न्यायालय का अटर्नी जिसने इस हैसियत में कम से कम दो वर्ष व्यवसाय किया हो।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नति की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति/भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत	प्रोन्नति / प्रतिनियुक्ति / स्थानान्तरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/ प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण की जाएगी/किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
8	9	10	11	12	13
आयु : नहीं शैक्षिक अर्हताएं : हां	दो वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा 75 प्रतिशत और 25 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।	प्रोन्नति : विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय के विधि कार्य विभाग में मुकदमा सहायक (लागत बिल) जिसकी उस श्रेणी में 3 वर्ष की नियमित सेवा हो, जिसके न हो सकने पर मुकदमा सहायक (लागत बिल) जिसकी मुकदमा सहायक (लागत बिल) की श्रेणी में और न्यायालय लिपिक की श्रेणी में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् कम से कम आठ वर्ष की मिली जुली सेवा की हो।	विभागीय प्रोन्नति समिति: (i) विधि कार्य विभाग में संयुक्त सचिव और विधि सलाहकार जो तत्समय साधारण प्रशासन का भारसाधक हो। (ii) विधि कार्य विभाग का एक दूसरा संयुक्त सचिव और विधि सलाहकार जिसका नामनिर्देशन उस विभाग का सचिव करेगा और। (iii) उपसचिव (स्थापना) विधि कार्य विभाग। टिप्पण :—ऐसे सभी मामलों में, जहां समिति की बैठक अधिकारियों की, चाहे वे सीधे भर्ती किए गए हों या प्रोन्नत हों, ऐसी सेवाओं में या पदों पर सम्पुष्टि के बारे में विचार करने के प्रयोजनार्थ बुलाई गई हो जिनके लिए भर्ती संघ लोक सेवा आयोग के क्षेत्र में आती है, आयोग द्वारा नामनिर्देशित किया जाने वाला संघ लोक सेवा आयोग का सदस्य समिति का अध्यक्ष सहयुक्त किया जाएगा अन्य सभी मामलों में ज्येष्ठतम संयुक्त सचिव और विधि सलाहकार समिति का अध्यक्ष होगा।	संघ लोक सेवा आयोग (परामर्श से छूट) विनियम, 1958 के अधीन यथापेक्षित।

[सं० ए० 60011/20/75-प्रशा०-I(I ए०)]

जी० सी० शारदा, उप सचिव

MINISTRY OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS

(Department of Legal Affairs)

New Delhi, the 10th June, 1976

G.S.R. 1185.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Ministry of Law (Department of Legal Affairs) Class II posts Recruitment Rules, 1965, namely:

1. (1) These rules may be called the Ministry of Law (Department of Legal Affairs) Class II posts Recruitment (Amendment) Rules, 1976.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Ministry of Law (Department of Legal Affairs) Class II posts Recruitment Rules, 1965,—

(i) in rule 1, for the word and figures "Class II", the word and letter "Group B" shall be substituted;

(ii) in the Schedule,—

(a) in the entries relating to the post of Superintendent (Legal), in columns 3 and 12, for the word and figures "Class II", the word and letter "Group B" shall respectively be substituted;

(b) for the post of Assistant (Legal) and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely :—

SCHEDULE

Name of post	No. of posts	Classification	Scale of pay	Whether Selection post or non-Selection post	Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits
1	2	3	4	5	6	7
"Assistant (Legal)	34	General Central Service Group B, Non-Gazetted Ministerial.	Rs. 425-15-500-EB-15-560-20-700-EB-25-800.	Selection NOTE:—The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (other than those in Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep).	Not exceeding 30 years. (Relaxable for Government servants)	Essential : (i) Degree in Law of a recognised University or equivalent. (ii) Should have at least 3 years' experience of Legal work in the Legal Department of a State. OR Should be a Central Government servant who has at least 4 years' experience in Legal Affairs. OR Should be a qualified Legal Practitioner. (Qualifications relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in case of candidates otherwise well-Qualified; in particulars, the qualifications regarding experience is relaxable in the case of candidates belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes for posts reserved for them). NOTE :—The term "qualified legal practitioner" in relation in this clause, means an Advocate or a pleader who has practised as such for at least 2 years or an Attorney of the High Court of Bombay or Calcutta, who has practised as such for at least 2 years.

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/transfer and percentage of the vacancies to be filled up by various methods	In case of recruitment by promotion or deputation or transfer, grades from which promotion or deputation or transfer to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
8	9	10	11	12	13
Age : No	2 years	75% by direct recruitment and 25% by promotion failing which by direct recruitment.	Promotion : Litigation Assistant (Bills of Costs) in the Department of Legal Affairs, Ministry of Law, Justice and Company Affairs with 3 years regular service in the grade failing which Litigation Assistant (Bills of Costs) with 8 years combined service in the grade of Litigation Assistant (Bills of costs) and Court Clerk rendered after appointment thereto on a regular basis.	Departmental Promotion Committee : (i) Joint Secretary and Legal Adviser for the time being in charge of general administration in the Department of Legal Affairs. (ii) Another Joint Secretary and Legal Adviser in the Department of Legal Affairs to be nominated by the Secretary in that Department. and (iii) Deputy Secretary (Establishment), Department of Legal Affairs. NOTE :—Member of the Union Public Service Commission to be nominated by the Commission will be associated as the Chairman of the Committee in all cases where the Committee is assembled or purposes of considering the confirmation of officers whether direct recruits or promotees in services and posts, recruitment to which falls within the purview of the Union Public Service Commission. In all other cases, the senior-most Joinr Secretary and Legal Adviser shall be the Chairman of the Committee.	As required under the Union Public Service Commission (Exemption from Consultation) Regulations, 1958.

[No. A 60011/20/75-Adm I (IA)]
G. C. SHARDA, Dy. Secy.

नई दिल्ली, 26 जून, 1976

सा० का० नि० 1159.—केन्द्रीय सरकार, सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) की प्रथम अनुसूची के आदेश XXVII के नियम 8ख के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के विधि मंत्रालय (विधि कार्य विभाग) की अधिसूचना सं० सा०का०नि० 1412, तारीख 25 नवम्बर, 1960 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में, उत्तर प्रदेश से संबंधित मद 13 में, उप पद (क) के सामने द्वितीय स्तम्भ में की प्रविष्टि (i) के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात :—

"(i) श्री जगत नारायण तिवारी,
ज्येष्ठ केन्द्रीय सरकार स्थायी काउन्सेल,
उच्च न्यायालय।

यह अधिसूचना 1 जुलाई, 1976 को प्रवृत्त होगी।

[सं० फा० 38(1)/76-न्याय]

New Delhi, the 26th June, 1976

G.S.R. 1159.—In exercise of the powers conferred by clause (a) of rule 8B of Order XXVII of the First Schedule to the Code of Civil Procedure, 1908 (5 of 1908), the Central Government hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Law (Department of Legal Affairs) No. G.S.R. 1412, dated the 25th November, 1960, namely:—

In the Schedule to the said notification, in item 13 relating to Uttar Pradesh, for the entry (i) in the second column against sub-item (a), the following entry shall be substituted, namely:—

"(i) Shri Jagat Narain Tiwari, Senior Central Government Standing Counsel, High Court".

This notification shall come into force with effect from the 1st day of July, 1976.

[No. F. 38(1)/76-Judl.]

नई दिल्ली, 28 जून, 1976

सा० का० नि० 1160.—केन्द्रीय सरकार, सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) की प्रथम अनुसूची के आदेश XXVII के नियम 1 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार द्वारा या उसके विरुद्ध सिविल अधिकारिता के किसी न्यायालय में वादों में वादपत्रों और लिखित कथनों के हस्ताक्षर करने और सत्यापन से संबंधित भारत सरकार के भूतपूर्व विधि मंत्रालय की अधिसूचना सं०का०नि० आ० 351, तारीख 25 जनवरी, 1958 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् ,—

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में, "XI-क गृह मंत्रालय" शीर्षक के अन्तर्गत, मद 1 के सामने—

(i) "आसूचना ब्यूरो निदेशालय" उप-शीर्षक के स्थान पर "केन्द्रीय आसूचना ब्यूरो" उप-शीर्षक रखा जाएगा;

(ii) "संयुक्त निदेशक" से संबंधित प्रविष्टि के पश्चात् "उप निदेशक" प्रविष्टि अन्तःस्थापित की जाएगी।

[सं० फा० 16(1)/74-न्याय]

पी० के० कर्था, अपर विधि सलाहकार

New Delhi, the 28th June, 1976

G.S.R. 1160.—In exercise of the powers conferred by rule 1 of Order XXVII of the First Schedule to the Code of Civil Procedure, 1908 (5 of 1908), the Central Government hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the late Ministry of Law No. S.R.O. 351, dated the 25th January, 1958, relating to the signing and verification of plaints and written statements in suits in any court of civil jurisdiction by or against the Central Government, namely :—

In the Schedule to the said notification, under the heading "XI-A Ministry of Home Affairs", against item 1,—

(i) for the sub-heading "DIRECTORATE OF INTELLIGENCE BUREAU", the sub-heading "CENTRAL INTELLIGENCE BUREAU" shall be substituted ;

(ii) after the entry relating to "Joint Directors" the entry "Deputy Directors" shall be inserted.

[No. F. 16(1)/74-Judl.]

P. K. KARTHA, Additional Legal Adviser

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

नई दिल्ली, 20 फरवरी, 1976

सा० का० नि० 1161.—संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुकों द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति ने इसके द्वारा इण्डिया सिक्योरिटी प्रेस (श्रेणी I और श्रेणी II के पद) भर्ती नियमावली, 1968, में और संशोधन करके निम्नलिखित नियम बनाए हैं, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों को इण्डिया सिक्योरिटी प्रेस (श्रेणी I और श्रेणी II के पद) भर्ती (संशोधन) नियमावली, 1976 कहा जाएगा।

(2) ये नियम सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से लागू होंगे।

2. इण्डिया सिक्योरिटी प्रेस (श्रेणी I और श्रेणी II के पद) भर्ती नियमावली, 1968 की अनुसूची में "वर्ग II" के अन्तर्गत क्रमशः उप-नियंत्रक स्टाम्प (डिप्टी कंट्रोलर आफ स्टाम्प्स) और सहायक नियंत्रक स्टाम्प (एसिस्टेण्ट कंट्रोलर आफ स्टाम्प्स) के पदों से संबंधित मद 7 और 8 के लिए और उसमें की गई प्रविष्टियों को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात :—

1	2	3	4	5	6	7
"7. डिप्टी कंट्रोलर आफ़ स्टाम्प्स।	1	सामान्य केन्द्रीय सेवा वर्ग 'क' (राजपत्रित) (नान-मिनि स्टीरियल)।	1100-50-1600 रुपए (संशोधित)।	प्रवरण।	45 वर्ष से अधिक नहीं (सरकारी सेवकों को छूट दी जा सकती है) टिप्पणी :– आयु सीमा निर्धारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में (अण्डमान और निकोबार द्वीप-समूह और लक्षद्वीप को छोड़ कर) उम्मीदवारों से आवेदनपत्र प्राप्त करने की अन्तिम तारीख होगी।	अनिवार्य : (i) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय की डिग्री या उसके समकक्ष (ii) किसी सरकारी विभाग में या बड़े प्रतिष्ठान वाली विख्यात वाणिज्यिक कम्पनी में जिम्मेदार पद पर प्रशासनिक और लेखा संबंधी 7 वर्ष का अनुभव अन्यथा पर्याप्त रूप से अर्हता प्राप्त उम्मीदवारों के मामले में संघ लोक सेवा आयोग के विवेकाधीन अर्हताओं में छूट दी जा सकती है; अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों केउम्मीदवारों के मामले में अनुभव सम्बन्धी अर्हताओं में विशेष छूट दी जा सकती है। वांछनीय : श्रमिकों से काम लेने का अनुभव।

8	9	10	11	12	13
लागू नहीं होता	2 वर्ष	प्रतिनियुक्ति पर तबादले के द्वारा इसके न होने पर सीधी भर्ती द्वारा।	प्रतिनियुक्ति पर तबादले के द्वारा : केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों के अन्तर्गत समकक्ष पदों पर काम कर रहे अधिकारी या 700–1300 रुपए (संशोधित) के वेतनमान के पदों पर 5 वर्ष की सेवा वाले या 840-1200 रुपए (संशोधित) के वेतनमान के पदों पर 8 वर्ष की सेवा वाले अधिकारी या तुल्य वेतनमान के अधिकारी जिन्हें प्रशासन और लेखाओं (वाणिज्यिक और स्टोर के लेखापालन) का अनुभव हो। (प्रतिनियुक्ति की अवधि आम-तौर से 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी)।	वर्ग 'क' विभागीय पदोन्नति समिति।	जैसा संघ लोक सेवा आयोग (परामर्श से छूट) विनियम, 1958 के अन्तर्गत अपेक्षित है।

1	2	3	4	5	6	7
सहायक नियंत्रक स्टाम्प	1	सामान्य केन्द्रीय सेवा वर्ग 'ख' (राजपत्रित) (नान-मिनिस्टीरियल)	840-40-1000-ई०बी०-40-1200-रुपए।	प्रवरण	35 वर्ष से अधिक नहीं (सरकारी सेवकों को छूट दी जा सकती है) टिप्पणी : आयु सीमा निर्धारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में (अण्डमान और निकोबार द्वीप-समूह और लक्षद्वीप को छोड़ कर) उम्मीदवारों से आवेदन पत्र प्राप्त करने की अन्तिम तारीख होगी।	अनिवार्य : (i) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय की डिग्री या उसके समकक्ष। (ii) किसी सरकारी विभाग में या बड़े प्रतिष्ठान वाली विख्यात वाणिज्यिक कम्पनी में जिम्मेदार हैसियात में 3 वर्ष का प्रशासनिक अनुभव (अन्यथा पर्याप्त रूप से अर्हता-प्राप्त उम्मीदवारों के मामले में संघ लोक सेवा आयोग के विवेकाधीन अर्हताओं में छूट दी जा सकती है; अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के उम्मीदवारों के मामले में अनुभव संबंधी अर्हताओं में विशेष छूट दी जा सकती है।

8	9	10	11	12	13
जी, नहीं	2 वर्ष	पदोन्नति द्वारा इसके न होने पर सीधी भर्ती द्वारा।	पदोन्नति सेंट्रल स्टाम्प स्टोर के अनुभाग अधिकारी या मुख्य लेखापाल जिन्होंने इन पदों पर नियमित आधार पर नियुक्त किए जाने के बाद अपने अपने पदक्रम में 5 वर्ष सेवा की हो।	वर्ग 'ख' विभागीय पदोन्नति समिति।	जैसा संघ लोक सेवा आयोग (परामर्श से छूट) विनियम 1958 के अन्तर्गत अपेक्षित है।

[सं० फा० 5/45/75 करेंसी]

लाज कुमार मल्होत्रा, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Economic Affairs)

New Delhi, the 20th February, 1976

G.S.R. 1161.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the India Security Press (Class I and Class II posts) Recruitment Rules, 1968, namely :—

1. (1) These rules may be called the India Security Press (Class I and Class II posts) Recruitment (Amendment) Rules, 1976.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule to the India Security Press (Class I and Class II posts) Recruitment Rules, 1968, under "Group II" for items 7 and 8 relating to the posts of Deputy Controller of Stamps and Assistant Controller of Stamps respectively and the entries thereto, the following shall be substituted, namely :—

1	2	3	4	5	6	7
"7. Deputy Controller of Stamps.	1	General Central Service Group 'A' (Gazetted) (Non-Ministerial).	Rs. 1100-50-1600 (Revised).	Selection	Not exceeding 45 years (relaxable in the case of Government servants). NOTE :—The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (Other than those in Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep).	Essential : (i) Degree of a recognised University or equivalent. (ii) 7 years' administrative and accounts experience in a responsible capacity in a Government Department or a Commercial concern of repute with a large establishment. (Qualifications relaxable at the Union Public Service Commission's discretion in case of candidates otherwise well qualified; in particular the qualification regarding experience is relaxable in case of candidates belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes). Desirable : Experience of handling labour.
8. Assistant Controller of Stamps.	1	General Central Service Group 'B' (Gazetted) (Non-ministerial).	Rs. 840-40-1000-EB-40-1200.	Selection	Not exceeding 35 years (relaxable in the case of Government servants). NOTE : The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications in India (other than those in Andaman and Nicobar islands and Lakshadweep).	Essential : (i) Degree of a recognised University or equivalent. (ii) 3 years' administrative experience in a responsible capacity in a Government Department or a Commercial concern of repute with a large establishment. (Qualifications relaxable at the Union Public Service Commission's discretion in case of candidates otherwise well qualified; in particular the qualification regarding experience is relaxable in case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes). Desirable : Experience of handling labour.

8	9	10	11	12	13
Not applicable	2 years	By transfer on deputation failing which by direct recruitment.	Transfer on deputation : Officers under the Central Government or State Governments holding analogous posts or with 5 years' service in posts in the scale of Rs. 700-1300 (Revised) or with 8 years' service in posts in the scale of Rs. 840-1200 (Revised) or equivalent and having experience in administration and Accounts (Commercial and Stores Accounting). (Period of deputation shall not ordinarily exceed 3 years).	Group 'A' Departmental Promotion Committee.	As required under the Union Public Service Commission (Exemption from Consultation) Regulations, 1958.
Not applicable	2 years	By promotion failing which by direct recruitment.	Promotion : Sectional Officer and Head Accountant of the Central Stamp Store with 5 years' service in the respective grade rendered after appointment thereto on a regular basis.	Group 'B' Departmental Promotion Committee.	As required under the Union Public Service Commission (Exemption from Consultation) Regulations, 1958.

[No. F.5/45/75-Cy]

L. K. MALHOTRA, Under Secy.

वाणिज्य मंत्रालय

नई दिल्ली, 21 जुलाई, 1976

सा०का०नि० 1162.—चाय नियम, 1954 में और संशोधन करने के लिए नियमों का एक प्रारूप, चाय अधिनियम, 1953 (1953 का 29) की धारा 49 की उपधारा (1) द्वारा यथा अपेक्षित भारत सरकार के वाणिज्य मंत्रालय की अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 40 तारीख 27 दिसम्बर, 1975 के अधीन भारत के राजपत्र, भाग 2, खण्ड 3, उपखण्ड (ii), तारीख 10 जनवरी, 1976 पृष्ठ 61 पर प्रकाशित किया गया था, जिसमें उक्त अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से पैंतालीस दिन की अवधि के भीतर उन सभी व्यक्तियों से आक्षेप और सुझाव मांगे गए थे, जिनके उससे प्रभावित होने की सम्भावना है ;

और उक्त राजपत्र 12 जनवरी, 1976 को जनता को उपलब्ध करा दिया गया था;

और उक्त नियमों के प्रारूप पर जनता से कोई आक्षेप या सुझाव प्राप्त नहीं हुए हैं;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम, की धारा 8 की उपधारा (3) के साथ पठित धारा 49 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, चाय नियम, 1954 में और संशोधन करने के लिये निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ :—(1) इन नियमों का नाम चाय संशोधन नियम, 1976 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2 चाय नियम, 1954 में,—

(1) नियम 12 में,—

(क) उपनियम (1) के खण्ड (घ) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—
"(ङ) एक विकास समिति।";

(ख) उपनियम (4ख) के पश्चात् निम्नलिखित उपनियम अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—
"(4ग) विकास समिति में निम्नलिखित होंगे:—

(क) अध्यक्ष, जो उसका पदेन अध्यक्ष होगा, तथा

(ख) बोर्ड के सदस्यों द्वारा अपने में से, ऐसी रीति से जो बोर्ड द्वारा अधिकथित की जाए, निर्वाचित किए जाने वाले छः अन्य सदस्य"।

(2) नियम, 13 में, "और श्रम कल्याण समितिमि" शब्दों के स्थान पर "श्रम कल्याण और विकास समिति" शब्द रखे जाएंगे।

[फा० सं० I-12013(4)/74-प्लांट(ए)]

एस० महादेव अय्यर, अवर सचिव

MINISTRY OF COMMERCE

New Delhi, the 21st July, 1976

G.S.R. 1162.—Whereas a draft of certain rules further to amend the Tea Rules, 1954, was published, as required by sub-section (1) of section (1) of section 49 of the Tea Act, 1953 (29 of 1953), at page 61 of the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (i) dated the 10th January, 1976, with the notification of the Government of India in the Ministry of Commerce, No. G.S.R. 40, dated the 27th December, 1975, inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby within a period of forty-five days from the date of publication of the said notification in the Official Gazette;

And whereas the said Gazette was made available to the public on the 12th January, 1976;

And whereas no objections or suggestions were received from the public on the said draft rules ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 49, read with sub-section (3) of section 8, of the said Act, the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Tea Rules, 1954, namely :—

1. (1) These rules may be called the Tea (Amendment) Rules, 1976.

(2) They shall come into force on the date of their publication in he Official Gazette.

2. In the Tea Rules, 1954,—

(1) in rule 12,—

(a) after clause (d) of sub-rule (1), the following clause shall be inserted, namely :—

"(e) a Development Committee.";

(b) after sub-rule (4 B), the following sub-rule shall be inserted, namely :—

"(4C) The Development Committee shall consist of—

(a) the Chairman, who shall be the ex-officio Chairman thereof ; and

(b) six other members to be elected by the members of the Board from among themselves, in such manner as may be laid down by the Board.";

(2) in rule 13, for the words "and the Labour Welfare Committee", the words "the Labour Welfare Committee and the Development Committee" shall be substituted.

[File No. 1. 12013(4)/74-Plant(A)]
S. MAHADEVA IYER, Under Secy.

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय

(औद्योगिक विकास विभाग)

नई दिल्ली, 22 जुलाई, 1976

सा०का०नि० 1163.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, औद्योगिक विकास मंत्रालय (वृहद् औद्योगिक गृहों से सम्बद्ध जांच आयोग) कर्मचारिवृन्द (भर्ती) नियम, 1974 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का नाम औद्योगिक विकास मंत्रालय (वृहद् औद्योगिक गृहों से सम्बद्ध जांच आयोग) कर्मचारिवृन्द (भर्ती) संशोधन नियम, 1976 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. औद्योगिक विकास मंत्रालय (वृहद् औद्योगिक गृहों से सम्बद्ध जांच आयोग) कर्मचारिवृन्द (भर्ती) नियम, 1974 की अनुसूची I में,—

(i) स्तम्भ 1 में "निदेशक" शब्द के स्थान पर "निदेशक (अन्वेषण)" शब्द और कोष्ठक रखे जाएंगे ;

(ii) स्तम्भ 11 में "(प्रतिनियुक्ति की अवधि सामान्यतया तीन वर्ष से अनधिक)" कोष्ठकों और शब्दों के स्थान पर "(प्रतिनियुक्ति की अवधि सामान्यतया 5 वर्ष से अनधिक)" कोष्ठक, शब्द और अंक रखे जाएंगे ;

(ख) मद 2क के सामने,—

(i) स्तम्भ 1 में "अतिरिक्त निदेशक" शब्दों के स्थान पर "निदेशक" शब्द रखा जाएगा;

(ii) स्तम्भ 11 में की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :—

"प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण : पद पर नियुक्ति भारत सरकार के उपसचिव के रैंक के और इससे ऊपर के रैंक के ज्येष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों की भर्ती के लिए बनाई गई स्कीम

के उपबन्धों के अनुसार की जाएगी। सम्बद्ध अधिकारी को अन्वेषण कार्य का अनुभव होना चाहिए। (प्रतिनियुक्ति की अवधि सामान्यतया 4 वर्ष से अधिक नहीं होगी)";

(ग) मद 8 के सामने स्तम्भ 11 में की विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :—

"प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण : (i) भारतीय प्रशासनिक सेवा या सिविल सेवा वर्ग I के ऐसे अधिकारी, जिन्होंने उस हैसियत में 5 वर्ष सेवा की हो ;

(ii) केन्द्रीय सचिवालय सेवा के श्रेणी I के अधिकारी, या

(iii) केन्द्रीय सचिवालय सेवा के ऐसे अनुभाग अधिकारी, जिन्होंने नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् 10 वर्ष सेवा की हो।

(प्रतिनियुक्ति की अवधि सामान्यतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी)"।

[सं० 1/5/74-प्रशा० सेल (एस०सी०)]
भारत भूषण, अवर सचिव

MINISTRY OF INDUSTRY AND CIVIL SUPPLIES

(Department of Industrial Development)

New Delhi, the 22nd July, 1976

G.S.R. 1163.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Ministry of Industrial Development (Commission of Inquiry on Large Industrial Houses) Staff (Recruitment) Rules, 1974, namely :—

1. (1) These Rules may be called the Ministry of Industrial Development (Commission of Inquiry on Large Industrial Houses) Staff (Recruitment) Amendment Rules, 1976.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In Schedule I to the Ministry of Industrial Development (Commission of Inquiry on Large Industrial Houses) Staff (Recruitment) Rules, 1974,—

(a) against item 2—

(i) in column 1, for the word "Director" the words and brackets "Director (Investigation)", shall be substituted ;

(ii) in column 11, for the brackets and words "(Period of deputation—ordinarily not exceeding three years)" the brackets, words and figure "(Period of deputation shall ordinarily not exceed 5 years)" shall be substituted ;

(b) against item 2A —

(i) in column 1, for the words "Additional Director", the word "Director" shall be substituted ;

(ii) in column 11, for the entry the following entry shall be substituted, namely :—

"Transfer on deputation : Appointment to the post shall be made in accordance with the provision of the Scheme for Staffing Senior Administrative posts of and above the rank of Deputy Secretary to the Government of India. The Officer concerned should have experience in investigation work.

(Period of deputation shall ordinarily not exceed 4 years)";

(c) against item 8 in column 11, for the entry, the following entry shall be substituted, namely :—

"Transfer on Deputation : (i) Officers of the Indian Administrative Service or Central Civil Service Class I with 5 years' service as such, or

(ii) Grade I Officers of the Central Secretariat Service, or

(iii) Section Officers of the Central Secretariat Service with 10 years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis.

(Period of deputation shall ordinarily not exceed 3 years)".

[No. 1/5/74-Admn. Cell (SC)]
BHARAT BHUSHAN, Under Secy.

इस्पात और खान मंत्रालय

(खान विभाग)

नई दिल्ली, 22 जुलाई, 1976

सा० का० नि० 1164.—खान और खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम, 1957 (1957 का 67) की धारा 13 द्वारा प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, खनिज रियायत नियमावली, 1960 में और आगे संशोधन करने के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है :—

1. (1) इन नियमों को खनिज रियायत (पहला संशोधन) नियम, 1976 कहा जाएगा।

(2) ये शासकीय राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. खनिज रियायत नियमावली में नियम 64 के बाद निम्नलिखित नियम जोड़ा जाएगा, अर्थात् :—

"64ए. राज्य सरकार, अधिनियम में निहित प्रावधानों अथवा इन नियमों के किसी अन्य नियम के प्रति बिना पूर्वाग्रह के अधिनियम या इन नियमों के अधीन अथवा किसी भी पूर्वेक्षण लाइसेंस या खनन पट्टे की शर्तों के अधीन उस सरकार को देय किराए, रायल्टी, या फीस (नियम 54 के उपनियम-1 में देय शुल्क के अलावा) या किसी अन्य राशि पर 10% की वार्षिक दर से साधारण ब्याज ले सकती है जो उस सरकार द्वारा ऐसे किराए, रायल्टी, फीस या अन्य राशि के भुगतान के लिए निर्धारित तारीख से साठवें दिन से उस किराए, रायल्टी, फीस या अन्य राशि के भुगतान किए जाने की तारीख तक की अवधि के लिए होगा।"

(ii) फार्म 'के' में भाग 6 के खण्ड 3 में "उस पर देय ब्याज सहित" शब्दों की जगह "उस पर 10 प्रतिशत वार्षिक की दर से देय साधारण ब्याज सहित" शब्द जोड़े जाएंगे।

[फाइल नं० 1(20)/73एम०-6]
आर० के० नायक, उप सचिव

MINISTRY OF STEEL AND MINES

(Department of Mines)

New Delhi, the 22nd July, 1976

G.S.R. 1164.—In exercise of the powers conferred by section 13 of the Mines and Minerals (Regulation and Development) Act, 1957 (67 of 1957), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Mineral Concession Rule, 1960 :—

1. (1) These rules may be called the Mineral Concession (First Amendment) Rules, 1976.

(2) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Mineral Concession Rules,—

(i) after rule 64 the following rule shall be inserted, namely,—

"64A. The State Government may, without prejudice to the provisions contained in the Act or any other rule in these rules, charge simple interest at the rate of ten per cent per annum on any rent, royalty or fee (other than the fee payable under sub-rule (1) of rule 54) or other sum due to that

Government under the Act or these rules or under the terms and conditions of any prospecting licence or mining lease from the sixtieth day of the expiry of the date fixed by that Government for payment of such royalty, rent, fee or other sum and until payment of such royalty, rent fee or other sum is made.";

(ii) in Form K, in Part VI, in clause 3, for the words "together with interest due thereon", the words "together with simple interest due thereon at the rate of ten per cent per annum" shall be inserted.

[File No. 1(20)/73-MVI]

R. K. NAYAK, Dy. Secy.

कृषि और सिंचाई मंत्रालय

(ग्रामीण विकास विभाग)

नई दिल्ली, 4 जून, 1976

सा०का०नि० 1165.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कृषि और सिंचाई मंत्रालय, ग्रामीण विकास विभाग में उप-आयुक्त (लघु सिंचाई) के पद पर भर्ती की पद्धति को विनियमित करने वाले निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ :—(1) इन नियमों का संक्षिप्त ग्रामीण विकास विभाग (सूखा ग्रस्त क्षेत्र एकक) उप-आयुक्त (लघु सिंचाई) भर्ती नियम, 1976 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान :—उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उसका वेतनमान वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के के स्तम्भ 2 से 4 तक में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अन्य अर्हताएं आदि :—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ 5 से 13 तक में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हताएं :—वह व्यक्ति—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया हो;

उक्त पद पर नियुक्त का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का समाधान हो जाए कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार मौजूद हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति :—जहां केन्द्रीय सरकार की राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह, उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इस नियमों के किसी उपबन्ध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति :—इन नियमों की कोई भी बात ऐसे आरक्षणों और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य विशेष प्रवर्गों के व्यक्तियों के लिए उपबन्ध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

ग्रामीण विकास विभाग में उप-आयुक्त (लघु सिंचाई) के पद के लिए भर्ती नियम

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन पद अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिये आयु सीमा	सीधे भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिए शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
1	2	3	4	5	6	7
1. सूखा ग्रस्त क्षेत्र एकक के लिए उप-आयुक्त (लघु सिंचाई)	1	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह क।	1300-50-1700 रु०	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नति की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति/भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण किया जाएगा/की जाएगी/किया जायेगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जायेगा।
8	9	10	11	12	13
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण द्वारा	प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण : केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकारों के सदृश पद धारण करने वाले अधिकारी या ऐसे अधिकारी जिन्होंने 1100-1600 रु० के पुनरीक्षित वेतनमान वाले पदों या समतुल्य पदों पर 3 वर्ष तक नियमित सेवा की हो। टिप्पण : प्रतिनियुक्ति की अवधि सामान्यतः 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी।	लागू नहीं होता	यदि राज्य सरकार के किसी अधिकारी का चयन हो जाता है, तो संघ लोक सेवा आयोग (परामर्श से छूट) विनियम, 1958 के अधीन यथा अपेक्षित

[सं०फा० 3/7/(49)/75-आर० आर०]
दर्शन सिंह, अवर सचिव

MINISTRY OF AGRICULTURE AND IRRIGATON
(Department of Rural Development)
New Delhi, the 4th June, 1976

G.S.R. 1165 .—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Deputy Commissioner (Minor Irrigation) in the Ministry of Agriculture and Irrigation, Department of Rural Development, namely :—

1. Short title and commencement :—(1) These rules may be called the Department of Rural Development (Drought Prone Area Unit) Deputy Commissioner (Minor Irrigation) Recruitment Rules, 1976.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number, classification and scale of pay :—The number of the said post, its classification and the scale of pay attached theret to shall be as specified in the columns 2 to 4 of the Scheduled annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age limit and other qualifications :—The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said post, shall be as specified in columns 5 to 13 of the Scheduled aforesaid.

4. Disqualifications :—No person,

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax :—Where the Central Government is of opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Savings :—Nothing in these rules shall affect reservations and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	No. of post	Classification	Scale of pay	Whether selection post or non-selection post	Age limit for direct recruits	Educational and other qualification required for direct recruits
1	2	3	4	5	6	7
Deputy Commissioner (Minor Irrigation) for the Drought Prone Area Unit	1	General Central Service Group A.	Rs. 1300-50-1700	Not applicable	Not applicable	Not applicable

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/transfer and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion or deputation or transfer, grades from which promotion or deputation or transfer to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
8	9	10	11	12	13
Not applicable	Not applicable	By transfer on deputation	Transfer on deputation : Officers of the Central/state Governments holding analogous posts or with 3 years' regular service in posts in the revised scale of Rs. 1100-1600 or equivalent. Note :—The period of deputation shall ordinarily not exceed 3 years.	Not applicable	If an officer of a State Government is selected as required under the Union Public Service Commission (Exemption from Consultation) Regulations, 1958.

[No. F.3/7(49)/75—RR]

DARSHAN SINGH, Under Secy.

(कृषि विभाग)

नई दिल्ली, 21 जुलाई, 1976

सा० का० नि० 1166.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कृषि और सिंचाई मंत्रालय (कृषि विभाग) के अधीन समेकित मात्स्य की परियोजना में समूह (अराजपत्रित) पदों पर भर्ती की पद्धति को विनियमित करने वाले निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ:—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम समेकित मात्स्यकी परियोजना (समूह का ख पद) भर्ती नियम, 1976 है ।

(ख) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. लागू होना :—ये नियम इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ 1 में विनिर्दिष्ट पद को लागू होंगे ।

3. पद संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतनमान :—उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनके वेतनमान वे होंगे जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ 2 से 4 में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि :—उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ 5 से 13 में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. निरर्हताएं :—वह व्यक्ति—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पदों पर में से किन्हीं पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का समाधान हो जाए कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार मौजूद है, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

6. शिथिल करने की शक्ति :—जहां केन्द्रीय सरकार की राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है वहां, वह, उसके लिए जो कारण है उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबन्ध को, किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों या पदों की बाबत, आदेश द्वारा, शिथिल कर सकेगी ।

7. व्यावृत्ति :—इन नियमों की कोई भी बात ऐसे आरक्षणों और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी जिनका, केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन पद अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सीधे भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
1	2	3	4	5	6	7
1. स्किपर	6	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह-ख, अराजपत्रित, अलिपिक वर्गीय	1100-50-1600 रु०	चयन	35 वर्ष से अनधिक (सरकारी सेवकों के लिए शिथिलनीय)	आवश्यक : (1) समुद्री वाणिज्य विभाग द्वारा जारी किया गया मत्स्यन जलयानों के स्किपर के रूप में सक्षमता प्रमाणपत्र हो। (2) माध्यमिक स्कूल छोड़ने का प्रमाणपत्र हो या समतुल्य हो या केन्द्रीय मात्स्यकी प्रचालन संस्थान, कोचीन/मद्रास से सेकेण्ड हैण्ड मत्स्यन संस्थागत प्रशिक्षण सन्तोषजनक ढंग से पूरा किया हो या समतुल्य अर्हता। (3) मत्स्यन जलयान का 5 वर्ष व्यावहारिक अनुभव। लोक (अर्हताएं अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है।
2. मुख्य इंजीनियर	6	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह-ख, अराजपत्रित, अलिपिक वर्गीय	840-40-1000-द० रो०-40-1200 रुपए	चयन	35 वर्ष से अनधिक (सरकारी सेवकों के लिए शिथिलनीय)	आवश्यक : (1) इंजीनियर (मोटर) प्रथम श्रेणी या द्वितीय श्रेणी के रूप में परिवहन मंत्रालय सक्षमता प्रमाणपत्र या मत्स्यन जलयानों के इंजीनियर के रूप में परिवहन मंत्रालय से प्रमाणपत्र या (क) मत्स्यन जलयान इंजीनियर (ख) मत्स्यन जलयानों का इंजन चालक या (ग) समुद्री वाणिज्य विभाग द्वारा जारी किया गया समुद्रगामी इंजन चालक का सक्षमता प्रमाणपत्र। (2) माध्यमिक स्कूल छोड़ने का प्रमाणपत्र या समतुल्य या केन्द्रीय मात्स्यकी प्रचालन, संस्थान, कोचीन/मद्रास से इंजन चालक पाठ्यक्रम का प्रशिक्षण पाठ्यक्रम संस्थागत सन्तोषजनक ढंग से पूरा करने का प्रमाणपत्र या समतुल्य अर्हता। (3) मत्स्यन जलपान का 3 वर्ष का व्यावहारिक अनुभव। (अर्हताएं अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों के मामले में संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है)

सीधे भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नति की दशा में लागू होगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण किया जायेगा।	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
8	9	10	11	12	13
आयु : नहीं शैक्षिक अर्हताएं : हां [स्तम्भ 7 में से (i) के अनुसार]	2 वर्ष	प्रोन्नति द्वारा, जिसके न होने पर, सीधी भर्ती द्वारा	प्रोन्नति : 650-960 रुपए के वेतनमान में श्रेणी II के ऐसे मेट जिन्होंने उस श्रेणी में 5 वर्ष नियमित सेवा की हो, और 550-750 रुपए के प्रमाणित वेतनमान के ऐसे बोसुन जिन्होंने उस श्रेणी में 8 वर्ष नियमित सेवा की हो, दोनों पर साथ साथ विचार किया जाएगा ।	समुह ख विभागीय प्रोन्नति समिति जिसमें निम्नलिखित होंगे :— 1. सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग—अध्यक्ष 2. संयुक्त सचिव (प्रशासन)—सदस्य (संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य के उपस्थित न होने पर अध्यक्ष के रूप में भी कार्य करेगा) 3. कृषि विभाग में तकनीकी प्रभाग का प्रधान या उनका नाम निर्देशिती—सदस्य 4. समेकित मात्स्यकी परियोजना का प्रधान या उसका नाम निर्देशिती सदस्य 5. उप सचिव (प्रशासन)—सदस्य 6. संबंधित स्थापन का अवर सचिव—सचिव	सीधी भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग (परामर्श से छूट) विनियम 1958 के अधीन यथापेक्षित ।
आयु : नहीं शैक्षिक अर्हताएं : हां [स्तम्भ 7 में के (i) के अनुसार]	2 वर्ष	50 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा जिसके न होने पर, सीधी भर्ती द्वारा, और 50 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा	प्रोन्नति : ऐसे इंजन चालक जिन्होंने वर्ग I और इंजन चालक वर्ग II जिन्होंने उस श्रेणी में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् अपनी अपनी श्रेणी में क्रमशः 8 वर्ष और 10 वर्ष सेवा की हो, दोनों पर साथ साथ विचार किया जायेगा ।	समुह ख विभागीय प्रोन्नति समिति, जिसमें निम्नलिखित होंगे :— 1. सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग—अध्यक्ष 2. प्रशासन का भारी संयुक्त सचिव—सदस्य (संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य के उपस्थित न होने पर वह अध्यक्ष के रूप में भी कार्य करेंगे) 3. कृषि विभाग में तकनीकी प्रभाग का प्रधान, या उनका नाम निर्देशिती—सदस्य 4. समेकित मात्स्यकी परियोजना का प्रधान या उनका नाम निर्देशिती—सदस्य 5. उप सचिव (प्रशासन)—सदस्य 6. संबंधित स्थापना के अवर सचिव सचिव	सीधी भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग (परामर्श से छट) विनियम, 1958 के अधीन यथापेक्षित

[सं० 24-7/72-फि ग० (बी० और ले०]

नगेन्द्र सिंह, अवर सचिव

(Department of Agriculture)

New Delhi, the 21st July, 1976

G.S.R. 1166.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to Group B (Non-Gazetted) posts in the Integrated Fisheries Project under the Ministry of Agriculture and Irrigation (Department of Agriculture), namely :—

1. Short title and Commencement.—(1) These rules may be called the Integrated Fisheries Project (Group B posts) Recruitment Rules, 1976.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Application.—These rules shall apply to the posts specified in column 1 of the Schedule annexed to these rules.

3. Number of posts, classification and scale of pay.—The number of the said posts, their classification and the scales of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the said Schedule.

4. Method of recruitment, age limit, qualifications etc. :—The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said posts shall be as specified in columns 5 to 13 of the Schedule aforesaid.

5. Disqualification.—No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to any of the said posts :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the Personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. Power to relax.—Where the Central Government is of opinion that it is necessary or expedient so to do, it may by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons or posts.

7. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservations and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	No. of posts	Classification	Scale of pay	Whether selection post or non-selection post	Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruitment
1	2	3	4	5	6	7
1. Skipper	6	General Central Service Group B, Non-Gazetted Non-Ministerial	Rs. 1100-50-1600	Selection	Not exceeding 35 years (relaxable for Government servants).	Essential : (i) Certificate of competency as Skipper for Fishing Vessels issued by the Mercantile Marine Department. (ii) Secondary School Leaving Certificate or equivalent or satisfactory completion of institutional training of Fishing Second Hand at Central Institute of Fisheries Operatives, Cochin/Madras. (iii) 5 years' practical experience of Fishing Vessels. (Qualifications relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in case of candidates otherwise well qualified).

Whether age and educational qualification prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/transfer & percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion/deputation or transfer, grades from which promotion/deputation/transfer to be made	If a DPC exists what is its composition	Circumstances in which UPSC is to be consulted in making recruitment
8	9	10	11	12	13
Age : No Educational Qualification : Yes (as at (i) in column 7.	2 years	By promotion failing which by direct recruitment	Promotion : Males grade II, scale Rs. 650-960 with 5 years' regular service in the grade; and Bosuns certified scale Rs. 550-750 with 8 years' regular service in the grade, being considered together.	Group B Departmental Promotion Committee consisting of— (1) Member, Union Public Service Commission. : Chairman (2) Joint Secretary, Incharge of Administration : Member (He shall also act as Chairman when Member Union Public Service Commission does not attend). (3) Technical Head of the Division in the Department of Agriculture or his nominee : Member (4) Head of the Integrated Fisheries Project, or his nominee: Member (5) Deputy Secretary, Incharge of Administration: Member (6) Under Secretary, Incharge of Establishment concerned : Secretary.	For direct recruitment as required under the Union Public Service Commission (Exemption from Consultation) Regulations, 1958.

1	2	3	4	5	6	7
2. Chief Engineer	6	General Central Service Group B, Non-Gazetted, Non-Ministerial	Rs. 840-40-1000-EB-40-1200.	Selection	Not exceeding 35 years (relaxable for Government servants).	Essential : (i) Ministry of Transport Certificate of competency as 1st Class or 2nd Class Engineer (Motor). or Ministry of Transport Certificate as Engineer of Fishing Vessels. or Certificate of competency as (a) Engineer of Fishing Vessels, (b) Engine Driver of Fishing Vessels, or (c) Sea going Engine Driver issued by the Mercantile Marine Department.

1	2	3	4	5	6	7
						(ii) Secondary School Leaving Certificate or equivalent or satisfactory completion of Institutional training of engine Drivers' course at Central Institute of Fisheries Operatives, Cochin/Madras. (iii) 3 years' practical experience on fishing vessels. (Qualifications relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in case of candidates otherwise well qualified).

8	9	10	11	12	13
2. Age : No Educational Qualifications: Yes (as-at (i) in column 7	2 years	50% by Promotion failing which, by direct recruitment and 50% by direct recruitment.	Promotion : Engine Driver Class I and Engine Driver Class II with 8 years and 10 years service in the respective grades after appointment thereto on a regular basis, being considered together.	Group B Departmental Promotion Committee consisting of :— (1) Member, Union Public Service Commission : Chairman (2) Joint Secretary, Incharge of Administration (He shall also act as Chairman when Member Union Public Service Commission does not attend): Member. (3) Technical Head of the Division in the Department of Agriculture or his nominee: Member. (4) Head of Integrated Fisheries Project, or his nominee : Member. (5) Deputy Secretary, Incharge of Administration: Member. (6) Under Secretary, Incharge of Establishment concerned : Secretary.	For direct recruitment as required under the Union Public Service Commissions (Exemption from Consultation) Regulations, 1958.

[No. 24-7/72-FY(B&A)]

NAGINDER SINGH, Under Secy.

विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग

नई दिल्ली, 20 जुलाई 1976

सा० का० नि० 1167.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय एटलस संगठन (वर्ग 3 और वर्ग 4 पदों पर भर्ती) नियम, 1960 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का नाम राष्ट्रीय एटलस संगठन (वर्ग 3 और वर्ग 4 पदों पर भर्ती) द्वितीय संशोधन नियम, 1976 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. राष्ट्रीय एटलस संगठन (वर्ग 3 और वर्ग 4 पदों पर भर्ती) नियम, 1960 की अनुसूची में, "पुस्तकालय अध्यक्ष", के पद से सम्बन्धित मद 8 और उससे सम्बन्धित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित मद और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :—

अनुसूची

पद का नाम	वर्गीकरण : राजपत्रित या अराजपत्रित और लिपिक-वर्गीय या अलिपिक वर्गीय	वेतनमान	पदों की संख्या	निम्नलिखित द्वारा भरे जाने वाले पदों का प्रतिशत			
				सीधी भर्ती	चयन	ज्येष्ठता एवं योग्यता	स्थानान्तरण
1	2	3	4	5	6	7	8
"8. पुस्तकालय अध्यक्ष	समूह 'ग' अराजपत्रित अलिपिकवर्गीय	380-12-440-द०रो०-15-560-द०रो० 20-640 रु०	2	50 प्रतिशत	50 प्रतिशत	—	—

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए			केवल प्रोन्नति/स्थानान्तरण के लिए	
आयु सीमा	अपेक्षित शर्तें और अन्य अर्हताएं	परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नति की दशा में लागू होंगी या नहीं	वे श्रेणियां/स्रोत जिनसे प्रोन्नति/स्थानान्तरण किया जाना है
9	10	11	12	13
25 वर्ष से अनधिक	आवश्यक : स्नातक और पुस्तकालय विज्ञान में डिप्लोमा धारक वांछनीय : पर्याप्त बड़े आकार के पुस्तकालय के कार्य में पूर्वतन अनुभव ।	दो वर्ष	नहीं	पुस्तकालय सहायक की' श्रेणी से प्रोन्नति ।'

[सं० 1-4/76-सर-2]

एन० ए० वेंकटेश्वरन, अवर सचिव

DEPARTMENT OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

New Delhi, the 20th July, 1976

G.S.R. 1167.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the National Atlas Organisation (Recruitment to Class III and Class IV Posts) Rules, 1960, namely:—

1. (1) These rules may be called the National Atlas Organisation (Recruitment to Class III and Class IV Posts) Second Amendment Rules, 1976.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule to the National Atlas Organisation (Recruitment to Class III and Class IV Posts) Rules, 1960, for item 8 relating to the post of "Librarian", and the entries thereto the following item and entries, shall be substituted namely:—

ANNEXURE

Name of post	Its classification : whether gazetted or non-gazetted and whether ministerial or non-ministerial	Scale of pay	No. of posts	Percentage of posts to be filled by			
				Direct recruitment.	Selection	Seniority *cum*-fitness	Transfer
1	2	3	4	5	6	7	8
"8. Librarian	Group 'C' Non-Gazetted, Non-ministerial	Rs. 380-12-440-EB-15-560-EB-20-640.	2	50%	50%	—	—

For direct recruitment only			For promotion/transfer only	
Age limit	Educational and other qualifications required	Period of probation, if any	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruitment will apply in case of appointment by promotion/transfer	Grades/Sources from which promotion/transfer are to be made
9	10	11	12	13
Not exceeding 25 years	Essential : Graduate and holder of diploma in Library Science. Desirable : Previous experience in the work of a fair sized library.	Two years	No	Promotion from the grade of Library Assistant."

[No. 1-4/76-Su-2]

N.A. VENKATESWARAN, Under Secy.

नौवहन एवं परिवहन मंत्रालय

(परिवहन पक्ष)

नयी दिल्ली, 6 जुलाई, 1976

सा०का०नि० 1168.—मोटर गाड़ी (राष्ट्रीय परमिट) नियम, 1975, जिसे केन्द्रीय सरकार मोटर गाड़ी अधिनियम, 1939 (1939 का 4) की धारा 63 की उप-धारा (15) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बनाने का विचार रखती है, में संशोधन करने के लिए कुछ नियमों का निम्नलिखित प्रारूप एतद्द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 133 की उप-धारा (1) द्वारा यथापेक्षित उन सभी व्यक्तियों की सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है, जिनके उनसे प्रभावित होने की संभावना है और एतद्-द्वारा यह नोटिस भी दिया जाता है कि उक्त प्रारूप पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख के पैंतालीस दिनों के बीतने पर या उसके बाद विचार किया जाएगा।

केन्द्रीय सरकार उक्त अवधि की समाप्ति से पूर्व उक्त प्रारूप की बाबत किसी भी व्यक्ति से प्राप्त आक्षेप अथवा सुझाव पर विचार करेगी।

(1) इन नियमों का नाम मोटर गाड़ी (राष्ट्रीय परमिट) (संशोधन) नियम, 1976 है।

(2) ये राजपत्र में अपने प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2 मोटर गाड़ी (राष्ट्रीय परमिट) नियम, 1975 के नियम 6 में, निम्नलिखित स्पष्टीकरण में अंत:स्थापित किया जाए, अर्थात :—

"स्पष्टीकरण :—इस नियम में उल्लिखित यथास्थिति चार अथवा नौ वर्षों की अवधि की गणना मोटर गाड़ी के पंजीकरण की तारीख से की जाएगी।"

[फाइल सं० टी० जी० एस० (8)/76]

एन० ए० नारायणन, अवर सचिव ए०

MINISTRY OF SHIPPING AND TRANSPORT

(Transport Wing)

New Delhi, the 6th July, 1976

G.S.R. 1168.—The following draft of certain rules to amend the Motor Vehicles (National Permits) Rules, 1975 which the Central Government proposes to make in exercise of the powers conferred by sub-section (15) of section 63 of the Motor Vehicles Act, 1939 (4 of 1939) is hereby published as required by sub-section (1) of section 133 of the said Act, for the information of all persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft will be taken into consideration on or after the expiry of forty-five days from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

Any objection or suggestion, which may be received from any person with respect to the said draft before the expiry of the said period will be considered by the Central Government.

(1) These rules shall be called the Motor Vehicles (National Permits) (Amendment) Rules, 1976.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In rule 6 of the Motor Vehicles (National Permits) Rules, 1975, the following Explanation shall be inserted at the end, namely :—

"Explanation.—The period of four years or, as the case may be, nine years referred to in this rule shall be calculated from the date of registration of the motor vehicle."

[F. No. TGS (8)/76]

N. A. A. NARAYANAN, Under Secy.

नई दिल्ली, 19 जुलाई, 1976

सा० का० नि० 1169.—नव मंगलौर पत्तन (बन्दरगाह यान) नियम 1975 का प्रारूप, भारतीय पत्तन अधिनियम, 1908 (1908 का 15) की धारा 6 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार, भारत सरकार के नौवहन और परिवहन मंत्रालय (परिवहन पक्ष), की अधिसूचना संख्या सा० का० नि 2583 तारीख 26 सितम्बर, 1975 के अधीन, भारत के पत्र, भाग 2, खण्ड 3, उपखण्ड (1) तारीख 25 अक्तूबर, 1975 पृष्ठ 3025 से 3030 पर प्रकाशित किया गया था जिसमें उन सभी व्यक्तियों से राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से साठ दिन की अवधि की समाप्ति तक आक्षेप और सुझाव मांगे थे जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना थी;

और उक्त राजपत्र जनता को 10 नवम्बर, 1975 को उपलब्ध करा दिया गया था,

और जनता से कोई आक्षेप या सुझाव नहीं प्राप्त हुए हैं,

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात :—

6. संक्षिप्त नाम, प्रारम्भ और लागू होना—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम नव मंगलौर पत्तन (बन्दरगाह यान) नियम, 1976 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

(3) ये नव मंगलौर पत्तन को लागू होंगे।

2. परिभाषाएं—इन नियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो :—

(क) उपसंरक्षक से नव मंगलौर पत्तन का उप संरक्षक अभिप्रेत है,

(ख) 'प्ररूप' से इन नियमों से संलग्न प्ररूप अभिप्रेत है,

(ग) 'बन्दरगाह यान से ऐसा केटारमैन जो भाड़े पर चल रहा हो या कोई ऐसा फ्लैट या स्थोरा, यात्री या अन्य नौका अभिप्रेत है जो चाहे भाड़े पर चलती हो या नहीं, और चाहे शक्ति चालित हो या नहीं, और चाहे नियमित रूप से चलती हो या यदा-कदा, या भागतः पत्तन के भीतर और भागतः पत्तन से बाहर चलती हो,

(घ) 'आन्तरिक बन्दरगाह' से पत्तन का वह भाग अभिप्रेत है जो 348° 55'00" बियरिंग वाली आधार रेखा के पूर्व में स्थित है और उत्तरी बीरिंग मार्क से होकर गुजरती है और इसमें उतार बेसिन, पूर्वी डाक, तेल जेट्टी और भविष्य में बनने वाली बर्थ और समय-समय पर निकर्षित और विकसित किए जाने वाले डाक भी सम्मिलित है,

(ङ) 'अनुज्ञप्त बंदरगाह' से इन नियमों के अधीन अनुज्ञप्त बन्दरगाह यान अभिप्रेत है,

(च) 'मोटर नौका' से ऐसा शक्ति चालित बन्दरगाह यान अभिप्रेत है जो वाष्प से भिन्न किसी प्रकार की वैद्युत या यांत्रिक शक्ति से पूर्णतः या भागतः नोदित होता हो,

(छ) 'बाहरी बन्दरगाह' से प्रवेश जल-सरणी का वह भाग अभिप्रेत है जो अपर परिभाषित आधार रेखा के पश्चिम में पड़ता है और 12° 55' 06.2" उत्तरी अक्षांश और 74° 4'6 17.6" पूर्वी देशान्तर पर स्थित वाष्प जल पथ बोया तक विस्तारित है,

(ज) किसी बन्दरगाह यान के संबंध में प्रयुक्त 'स्वामी' के अन्तर्गत कोई मालिक स्वामी, अभिकर्ता या उस पर कब्जा रखने वाला अध्यकदार आता है,

(झ) 'पत्तन' से नव मंगलोर पत्तन अभिप्रेत है,

(ञ) 'सड़क' से पत्तन का वह भाग अभिप्रेत है जो 12° 55' 06.2" उत्तरी अक्षांश और 74' 4.6' 17.6" पूर्वी देशान्तर पर स्थित नाव्य जलपथ बोया से समुद्र की ओर स्थित है,

(ट) स्वामी के संबंध में प्रयुक्त 'सेवक' के अन्तर्गत टिंडल या कोई नाविक भी आता है,

(ठ) 'वाष्प नौका से बंदरगाह यान भागतः वाष्प के द्वारा नोदित कोई बन्दरगाह यान अभिप्रेत है,

(ड) 'टिन्डल' के अन्तर्गत बन्दरगाह यान का भारसाधक कोई व्यक्ति भी आता है।

3. बन्दरगाह यान का अनुज्ञप्त किया जाना :—कोई भी व्यक्ति, चाहे स्वामी के रूप में, टिन्डल के रूप में या सेवक के रूप में पत्तन पर किसी जलयान से या उस तक या पत्तन के भीतर एक स्थान से दूसरे स्थान तक माल या यात्री ले जाने के लिए किसी बन्दरगाह यान का उपयोग तब तक नहीं करेगा जब तक इन नियमों के अधीन बन्दरगाह यान को सम्यकतः अनुज्ञप्त न किया गया हो और पोत तथा तट के बीच चलने के लिए अनुज्ञप्त कोई बन्दरगाह यान पत्तन के भीतर एक स्थान से दूसरे स्थान तक बिना किसी पृथक अनुज्ञप्ति के चल सकेगा :

परन्तु इस नियम की कोई भी बात निम्नलिखित को लागू नहीं होगी :—

(क) ऐसी नौका जो किसी पोत या स्टीमर के उपस्कर का भाग है,

(ख) एक मात्र रूप से ग्रामोद प्रमोद के प्रयोजनों के लिए रखा गया कोई बन्दरगाह यान,

(ग) पत्तन की कोई अन्य नौका,

परन्तु यह और कि उप संरक्षक, यदि वह ठीक समझे, खण्ड (क) या खण्ड (ख) में निर्दिष्ट किसी नौका या बन्दरगाह यान की बाबत यह अपेक्षा कर सकेगा कि उसे इन नियमों के अधीन अनुज्ञप्त किया जाए ।

4. बन्दरगाह यान का अनुज्ञापन :—(1) नियम 3 के अधीन किसी बन्दरगाह यान के अनुज्ञापन के लिए प्रत्येक आवेदन लिखित रूप में उप-संरक्षक को किया जाएगा और उसमें निम्नलिखित विशिष्टियां होंगी, अर्थात् :—

(क) स्वामी का नाम और पूरा पता और यदि स्वामी अवयस्क है, तो उसमें उसके संरक्षक का नाम और पता अन्तर्विष्ट होगा,

(ख) अभिकर्ता, यदि कोई हो, का नाम और पता जिसे स्वामी द्वारा अपनी ओर से कार्य करने हेतु सम्यकतः प्राधिकृत किया गया हो,

(ग) उस टिण्डल का नाम जिसे स्वामी बन्दरगाह यान के भारसाधक के रूप में रखने का प्रस्ताव करता है,

(घ) अपेक्षित अनुज्ञप्ति की प्रकृति अर्थात, क्या इसकी अपेक्षा किसी यात्री नौका या थोरा नौका या किसी अन्य प्रयोजन के लिए की गई है, और

(ङ) बन्दरगाह यान के परिमाप, सकल टन भार और अन्य सुसंगत विशिष्टियों की बाबत ब्यौरे।

(2) उपनियम (1) के अधीन अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन के प्राप्त होने पर, उप संरक्षक, स्वामी या इस प्रयोजन के लिए स्वामी द्वारा सम्यकतः नियुक्त किसी व्यक्ति की उपस्थिति में बन्दरगाह यान का सर्वेक्षण करेगा और माप लेगा या उसका सर्वेक्षण करवाएगा या माप करवाएगा और नियम 28 में विनिर्दिष्ट फीस के संदाय पर तथा यह समाधान हो जाने पर कि बन्दरगाह यान समुद्र में चलने योग्य है और पत्तन को सेवा के लिए ठीक है या ऐसे अधिकारी द्वारा जिसने बन्दरगाह यान का सर्वेक्षण किया है, लिखित रूप में निम्नलिखित प्रमाणित करते हुए एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर :—

(क) कि ऐसा बन्दरगाह यान समुद्र में चलने योग्य है, सुसज्जित है और उस प्रयोजन के अनुकूल है जिसके लिए अनुज्ञप्ति की अपेक्षा की गई,

(ख) यात्रियों की संख्या जिसे ऐसा बन्दरगाह यान सभी दशाओं में ले जाने के लिए समर्थ हो,

(ग) ऐसे बन्दरगाह यान के सुरक्षित नौ परिवहन के लिए अपेक्षित करमी दल की संख्या,

(घ) कि ऐसे बन्दरगाह यान का उपस्कर अच्छी हालत और ठीक दशा में है,

(3) उपनियम (2) में विनिर्दिष्ट सर्वेक्षण और माप के प्रयोजन के लिए, स्वामी बन्दरगाह यान को ऐसे स्थान पर मंगाएगा जो उप-संरक्षक नियत करें।

(4) इन नियमों के उपबंधों के अधीन रहते हुए, प्रारूप (क) में सभी अनुज्ञप्तियां 31 मार्च को समाप्त होने वाली वित्तीय वर्ष के लिए जारी की जाएंगी।

5. अवयस्क या स्त्री स्वामी :—(1) यदि किसी बन्दरगाह यान का स्वामी अवयस्क है तो अनुज्ञप्ति अवयस्क के संरक्षक द्वारा अभिप्राप्त की जा सकेगी।

(2) यदि स्वामी कोई ऐसी स्त्री है जो देश की रूढ़ियों के अनुसार सर्वसाधारण के सामने नहीं आती है, तो अनुज्ञप्ति उसकी ओर से उसके द्वारा सम्यकतः प्राधिकृत अभिकर्ता द्वारा अभिप्राप्त की जा सकेगी।

टिप्पण : ऐसे मामलों में, यथास्थिति, संरक्षक या अभिकर्ता को इन नियमों के प्रयोजनों के लिए स्वामी समझा जाएगा।

6. मांग किए जाने पर, अनुज्ञप्ति, नियमों आदि का प्रस्तुत किया जाना :—

(1) प्रत्येक बन्दरगाह यान की अनुज्ञप्ति टिन्डल के पास रखी जाएगी जो उप संरक्षक द्वारा या इस निमित्त उप संरक्षक द्वारा सम्यकतः प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा मांग किए जाने पर अनुज्ञप्ति प्रस्तुत करेगा।

(2) इन नियमों की एक प्रति और उप संरक्षक द्वारा कार्यान्वयन की बाबत जारी किए गए किन्हीं लिखित निदेशों की एक प्रति भी स्वामी द्वारा टिन्डल को दी जाएगी जो मांग किए जाने पर, उन्हें किसी भाड़ेदार या ऐसे बन्दरगाह यान के परेषक या यात्री को लिखा दिखाएगा।

(3) स्वामी यह सुनिश्चित करने के लिए कि टिन्डल इन नियमों के उपबंधों और निदेशों को समझता है और उससे उस आशय की घोषणा लेने और जब उससे उप संरक्षक द्वारा अपेक्षा की जाए तब उसे प्रस्तुत करने के लिए, उत्तरदायी होगा।

7. अनुज्ञप्त बन्दरगाह यानों का सुभिन्न संख्यांकन—(1) अनुज्ञप्त बन्दरगाह यान का स्वामी, काली पृष्ठ भूमि पर सफेद रंग में और हल्की पृष्ठ भूमि पर काले रंग में, अंग्रेजी और हिन्दी के अंकों में जो लम्बाई में 6" से कम न होंगे ऐसे बन्दरगाह यान पर एक ओर सहजदृश्य भाग पर और दूसरी ओर के चौथाई भाग पर अनुज्ञप्ति में वर्णित बन्दरगाह यान की संख्या रंग लेपित करेगा या करवाएगा।

(2) कोई भी व्यक्ति, किसी ऐसे बन्दरगाह यान पर जो नियम 4 के अधीन सम्यकतः अनुज्ञप्त नहीं है, उपरोक्त रूप में ऐसी कोई संख्या या अन्य चिह्न रंग लेपित नहीं करेगा या करवाएगा जिससे यह विश्वास उत्प्रेरित होने की संभावना हो कि ऐसा बन्दरगाह यान उस रूप में अनुज्ञप्त है।

8. अनुज्ञप्त बन्दरगाह यान के स्वामित्व या नियंत्रण म परिवर्तन :—

जब कोई अनुज्ञप्ति का धारक, बन्दरगाह यान के स्वामित्व को किसी अन्य व्यक्ति को अंतरित करता है, तो ऐसे अन्तरण की तारीख से 6 दिन की समाप्ति पर, अनुज्ञप्ति विधिमान्य नहीं रह जाएगी और जहां ऐसा धारक बन्दरगाह यान को किसी अन्य व्यक्ति के पास बन्धक रखता है या उसके नियंत्रण में रखता है, वहां अनुज्ञप्ति ऐसे बन्धक या रखे जाने की तारीख 6 दिन की समाप्ति पर तब तक विधिमान्य नहीं रह जाएगी जब तक कि उप संरक्षक द्वारा अनुज्ञप्ति पर इस आशय का पृष्ठांकन नहीं कर दिया जाता है कि ऐसे अन्तरण या रखे जाने के बावजूद भी अनुज्ञप्ति विधिमान्य बनी रहेगी।

9. अनुज्ञप्त बन्दरगाह यान के कर्मी दल या उसकी वहन क्षमता में परिवर्तन की बाबत रिपोर्ट की जाएगी :—(1) जब कभी किसी अनुज्ञप्त बन्दरगाह यान में कोई ऐसा परिवर्तन किया जाता है जिससे कि कोई दी गई अनुज्ञप्ति में अंतर्विष्ट कोई विशिष्टि प्रभावित होती है, तो उसके स्वामी द्वारा ऐसे परिवर्तन की रिपोर्ट उप-संरक्षक को तुरन्त देनी होगी :

परन्तु यदि ऐसा परिवर्तन उस समय होता है कि बन्दरगाह यान पत्तन से दूर है, तो इसकी रिपोर्ट बन्दरगाह यान के पत्तन पर लौटने पर तुरन्त दी जाएगी।

(2) टिन्डल, या बन्दरगाह यान में अन्य किसी परिवर्तन की दशा में, जिससे उसकी वहन क्षमता प्रभावित नहीं होती है, बन्दरगाह यान तब तक नहीं चलाया जाएगा जब तक ऐसी रिपोर्ट नहीं की जाती है और टिन्डल के परिवर्तन की दशा में जब तक उसको भी उप संरक्षक के समक्ष पेश नहीं किया जाता है।

(3) यथास्थिति, ऐसी रिपोर्ट देने पर या ऐसे रिपोर्ट देने पर और पेश किए जाने पर, उप संरक्षक स्वामी द्वारा धारित मूल अनुज्ञप्ति में संशोधन कर देगा और टिन्डल के परिवर्तन की दशा में नियम 10 के अधीन रखे गए रजिस्टर में भी संशोधन किया जाएगा।

(4) बन्दरगाह यान में परिवर्तन की दशा में जिससे उसकी वहन क्षमता प्रभावित होती हो, स्वामी द्वारा धारित मूल अनुज्ञप्ति रद्द कर दी जाएगी और बन्दरगाह यान के पुनः परिमाप करने के पश्चात् उप-संरक्षक द्वारा नई अनुज्ञप्ति जारी की जाएगी और जब तक नई अनुज्ञप्ति जारी नहीं की जाए तब तक इसे चलाया नहीं जाएगा।

10. टिन्डल का रजिस्ट्रीकरण :—(1) नियम 4 के अधीन किसी बन्दरगाह यान को अनुज्ञप्त करते समय उसकी टिन्डल का नाम जो अनुज्ञप्ति में प्रविष्ट है और उससे संबन्धित अन्य विशिष्टियां एक ऐसे रजिस्टर में प्रविष्ट की जाएंगी जिसे उपसंरक्षक द्वारा प्ररूप (ख) में रखा जाएगा।

(2) प्रत्येक वर्ष मार्च मास में ऐसी तारीख को जो उपसंरक्षक द्वारा नियत की जाए, प्रत्येक बन्दरगाह यान का स्वामी रजिस्टर की प्रविष्टियों को सत्यापित करने के लिए, बन्दरगाह यान के टिन्डल को उप-संरक्षक के समक्ष पेश करेगा :

परन्तु यदि ऐसा बन्दरगाह यान इस प्रकार नियत तारीख पर पत्तन से दूर हो, तो स्वामी उसके वापस आने के पश्चात् 24 घन्टों के भीतर टिन्डल को पेश करेगा।

(3) किसी व्यक्ति को अनुज्ञप्त बन्दरगाह यान के टिन्डल के रूप में नियोजित या रजिस्ट्रीकृत उस दशा में नहीं किया जाएगा जब कि वह—

(क) नियम 29 के अनुसार ऐसे बन्दरगाह यान के मास्टर या इंजीनियर के रूप में अर्हित होने के लिए प्रमाणीकृत अधिकारी नहीं है,

(ख) उपसंरक्षक की राय में ऐसे बन्दरगाह यान के उपयोग से अनभ्यस्त है या अन्यथा अकुशल है।

11. अनुज्ञप्त बन्दरगाह यान और उसके कर्मीदल का वार्षिक और विशेष निरीक्षण आदि :—(1) अनुज्ञप्ति की समाप्ति पर या उसके पूर्व, प्रत्येक अनुज्ञप्त बन्दरगाह यान का स्वामी, अनुज्ञप्ति सहित उसे निरीक्षण के लिए ऐसे स्थान पर उप-संरक्षक को पेश करेगा जिसे यह इस प्रयोजन के लिए नियत करे।

(2) उप नियम (1) में निर्दिष्ट निरीक्षण के अतिरिक्त, उप-संरक्षक द्वारा ऐसे समयों पर जिन्हें उप संरक्षक आवश्यक समझे, विशेष या आंशिक निरीक्षण किए जा सकेंगे।

(3) इस नियम के अधीन, सभी निरीक्षणों के समय प्रत्येक बन्दरगाह यान अपने कर्मी दल और उपस्कर के समस्त पूरकों से मुक्त होगा।

निरीक्षण के लिए अदिष्ट अनुज्ञप्त बन्दरगाह यान की मरम्मत :—

(1) प्रत्येक अनुज्ञप्त बन्दरगाह यान का स्वामी उसकी ऐसी मरम्मतें करेगा जैसी उसे दक्ष बनाने के लिए उप-संरक्षक निदेश दे और कोई भी स्वामी या उसकी ओर से कोई व्यक्ति ऐसे बन्दरगाह यान का उपयोग तब तक नहीं करेगा, करवाएगा या करने देगा जब तक ऐसी मरम्मतें सम्यकतः नहीं कर दी जाती हैं और उपसंरक्षक उसके उपयोग की अनुज्ञा नहीं दे देता है।

(2) उपनियम (1) में निर्दिष्ट मरम्मतों के प्रयोजन के लिए, स्वामी बन्दरगाह यान को केवल ऐसे स्थान या स्थानों पर तट की ओर कृषित करवाएगा जिसकी या जिनकी बाबत उपसंरक्षक समय समय पर निदेश दे।

(3) किसी अनुज्ञप्त बन्दरगाह यान के बायलर, मशीनरी या पोत खोल की बड़ी मरम्मतें उप-संरक्षक द्वारा नियुक्त किसी इंजीनियर और पोत सर्वेक्षक के अधिक्षण में की जाएंगी और ऐसे यान का मास्टर या स्वामी मरम्मतों के प्रारम्भ होने से पूर्व उपसंरक्षक को ऐसी राशि का संदाय करेगा जो ऐसे इंजीनियर और पोत सर्वेक्षक की फीस तथा अन्य खर्चों को पूरा करने के लिए पर्याप्त हो।

स्पष्टीकरण :—इस उपनियम के प्रयोजनों के लिए, उपसंरक्षक यह विनिश्चित करेगा कि क्या किसी कार्य विशेष को छोटी मरम्मत माना जाएगा या नहीं।

(4) उपनियम (3) में निर्दिष्ट फीस निम्नलिखित मापमान पर संगणित की जाएगी, अर्थात् :—

फीसों का मापमान	रु०
(1) ऐसे प्रत्येक जलयान के लिए जिसका सकल टन भार 10 टन से अधिक नहीं है	90
(2) ऐसे प्रत्येक जलयान के लिए जिसका सकल टन भार 10 टन से अधिक है किन्तु 25 टन से अधिक नहीं है	115
(3) ऐसे प्रत्येक जलयान के लिए जिसका सकल टन भार 25 टन से अधिक है किन्तु 50 टन से अधिक नहीं है	145
(4) ऐसे प्रत्येक जलयान के लिए जिसका सकल टन भार 50 टन से अधिक है किन्तु 75 टन से अधिक नहीं है	175
(5) ऐसे प्रत्येक जलयान के लिए जिसका सकल टन भार 75 टन से अधिक है किन्तु 100 टन से अधिक नहीं है	205
(6) ऐसे प्रत्येक जलयान के लिए जिसका सकल टन भार 100 टन से अधिक है किन्तु 300 टन से अधिक नहीं है	230
(7) ऐसे प्रत्येक जलयान के लिए जिसका सकल टन भार 300 टन से अधिक है किन्तु 600 टन से अधिक नहीं है	290
(8) ऐसे प्रत्येक जलयान के लिए जिसका सकल टन भार 600 टन से अधिक है किन्तु 900 टन से अधिक नहीं है	350
(9) ऐसे प्रत्येक जलयान के लिए जिसका सकल टन भार 900 टन से अधिक है किन्तु 1200टन से अधिक नहीं है	405
(10) ऐसे प्रत्येक जलयान के लिए जिसका सकल टन भार 1200 टन से अधिक	405 तथा 1200 टन से अधिक, प्रत्येक 300 टन या उसके भाग के लिए 60 रु०
(11) अन्तरिम सर्वेक्षण के लिए	25 रु० प्रति निरीक्षण

(ख) उप नियम (3) में निर्दिष्ट खर्चे, इस निमित्त केन्द्रीय सरकार के साधारण या विशेष अनुदेशों के अनुसार अवधारित किए जाएंगे।

13. अनुज्ञप्त बन्दरगाह यान के कार्यकरण पर नियंत्रण :— (1) स्वामी प्रत्येक अनुज्ञप्त बन्दरगाह यान के लिए ऐसे कर्मीदल और उपस्कर की व्यवस्था करेंगे जो उप संरक्षक द्वारा अवधारित किए जाएं और उन्हें अनुज्ञप्ति में प्रविष्ट किया जाएगा।

(2) अनुज्ञप्त बन्दरगाह यान का टिन्डल अच्छे या प्रक्षुब्ध मौसम में चलने वाले बन्दरगाह यान के अनुसार उसकी अनुज्ञप्ति में विनिर्दिष्ट संख्या से अधिक या कम व्यक्तियों को फलक पर नहीं रखेगा और बन्दरगाह यान की अनुज्ञप्ति में प्रविष्टि संख्या या मात्रा से अधिक यात्री या माल का वहन नहीं करेगा।

(3) पत्तन के भीतर चलने वाला प्रत्येक अनुज्ञप्त बन्दरगाह, यान इतनी संख्या में जीवन रक्षक बोया ले जाएगा जो उप-संरक्षक द्वारा युक्तियुक्त समझे जाएं और वे ऐसे टाइप के होंगे जिनका वह अनुमोदन करे और इसके अतिरिक्त प्रत्येक ऐसा बन्दरगाह यान ऐसे तरणशील साधित्र अपने साथ ले जाएगा जो उप संरक्षक द्वारा आवश्यक समझे जाए।

(4) बन्दरगाह यान में वहन किए जाने वाले सभी बोया और तरणशील साधित्र उप-संरक्षक के समाधानप्रद रूप में रखे जाएंगे जिससे फलक पर व्यक्ति उन तक आसानी से पहुंच सके।

(5) यात्रियों के वहन के लिए अनुज्ञप्त प्रत्येक बन्दरगाह यान को इस प्रकार से फिट किया जाएगा कि प्रत्येक यात्री के लिए पर्याप्त बैठने का स्थान उपलब्ध हो जाए और जहां आवश्यक हो, वहां सायबानों और पार्श्व मौसम रक्षक पर्दों की भी व्यवस्था की जाएगी जिससे यात्रियों को क्रमशः धूप और मौसम से संरक्षा की जा सके।

(6) पत्तन के भीतर चलने वाले और यात्री ले जाने वाले किसी अनुज्ञप्त बन्दरगाह यान में अपेक्षित कर्मीदल की संख्या नियत करने में उप-संरक्षक अपने विवेक से काम लेगा।

(7) जहां किसी अनुज्ञप्त बन्दरगाह का स्वामी यात्रियों की पूरी संख्या नहीं ले जाना चाहता है या विहित जीवन रक्षक साधित्रों को ले जाने के लिए तैयार नहीं है या ले जाना उसके लिए असाध्य प्रतीत होता है वहां उप संरक्षक तदनुकल यात्रियों की संख्या सीमित कर सकेगा और इस आशय का पृष्ठांकन अनुज्ञप्ति पर कर सकेगा।

14. पत्तन यातायात में बाधा पहुंचाना :—(1) किसी अनुज्ञप्त बन्दरगाह यान में सेवा करने वाला कोई टिन्डल या कर्मीदल का कोई सदस्य, किसी अन्य बन्दरगाह यान के लदान-उतराई या सर्विस में बाधा या रुकावट नहीं पहुंचाएगा या पत्तन में काम करने वाले किसी जलयान में बाधा या रुकावट नहीं पहुंचाएगा।

(2) कोई भी टिन्डल अपने भारसाधानाधीन किसी अनुज्ञप्त बन्दरगाह यान को पत्तन या घाटों या जैट्टियों के प्रवेश मार्गों में निर्विवाद रूप से नौ-परिवहन करने में बाधा नहीं पहुंचाने देगा।

15. वाणिज्य पोत परिवहन (समुद्र में टक्करों का निवारण) विनियम, 1975 के अधीन समुद्र वेधशाला पर टक्कर के निवारण से सम्बन्धित उपबन्धों का अनुपालन :—

सभी अनुज्ञप्त बन्दरगाह यान, जब वे मार्ग में हो, वाणिज्य पोत परिवहन, (समुद्र में टक्करों का निवारण) विनियम, 1975 के उपबन्धों का अनुपालन करेंगे।

16. विधिपूर्ण कारण के बिना चलने से इन्कार किया जाना :— यदि भाड़े पर नियमित रूप से चलने वाले अनुज्ञप्त बन्दरगाह यान का स्वामी या भारसाधक टिन्डल, जब उससे ऐसा करना अपेक्षित किया जाये, युक्तियुक्त कारण के बिना जिसकी बाबत उप संरक्षक नियम 27 में उपबन्धित अपील के अधीन रहते हुए, एक मात्र रूप में विनिश्चायक प्राधिकारी होगा, भाड़े पर चलने के लिये इन्कार करता है, तो ऐसे बन्दरगाह यान की अनुज्ञप्ति प्रतिसंहरित की जायेगी।

17. रात्रि के समय और खराब मौसम में अनुज्ञप्त बन्दरगाह यान का कार्य :—

(1) कोई भी अनुज्ञप्त बन्दरगाह यान—

(i) उप-संरक्षक की पूर्वतन अनुज्ञा के बिना 6 बजे सायंकाल और 6 बजे प्रातःकाल के घण्टों के बीच बाह्य मार्गों पर नहीं चलेगा।

(ii) बाह्य मार्गों में उस दशा में नहीं चलेगा जब कि पत्तन ध्वजदण्ड से खुले समुद्र में खराब मौसम उपवर्णित करते हुए एक सूफान चेतावनी संकेत प्रदर्शित किया जा रहा हो।

(2) जब उप नियम (1) के खण्ड (ii) में निर्दिष्ट संकेत पत्तन ध्वज दण्ड पर फहराया जाता है, तो बाह्य मार्गों पर चलने वाले सभी

बन्दरगाह यान तुरन्त आन्तरिक बन्दरगाह को वापस आ जायेंगे और उस संरक्षक की विशेष अनुज्ञा के बिना तब तक बाह्य मार्गों की ओर नहीं जायेंगे जब तक कि संकेत नीचे की ओर कर्षित नहीं किया जाता है ।

18. अच्छे और प्रक्षुब्ध मौसम में अनुज्ञप्त बन्दरगाह यान में अनुज्ञेय लदान :--

(1) कोई भी व्यक्ति किसी अनुज्ञप्त बन्दरगाह यान में यात्रियों या पणुओं या अन्य स्थोरा का लदान उसकी अनुज्ञप्ति के निबन्धनों के उल्लंघन नहीं करेगा ।

(2) किसी अनुज्ञप्त बन्दरगाह यान का टिन्डल उसमें तब तक किसी पणु का लदान नहीं करने देगा जब तक कि बन्दरगाह यान में बालू की बैलास्ट या चपटा फर्श बनाने के लिये पर्याप्त तृणों की व्यवस्था न की जाये और जब तक कि ऐसी अन्य अपेक्षाओं का अनुपालन न किया गया हो जो उप-संरक्षक द्वारा बन्दरगाह यानों की बाबत अधिरोपित की जाये ।

(3) जहां किसी अनुज्ञप्त बन्दरगाह यान में पशुओं का वहन किया जाता है, वहां कोई अन्य स्थोरा या यात्री उसमें नहीं ले जाया जायेगा ।

(4) यान्त्रिकीय या विद्युत शक्ति द्वारा नियोजित किसी अनुज्ञप्त बन्दरगाह यान में यात्रियों तथा पणुओं से भिन्न स्थोरा को साथ-साथ ले जाया जायेगा ।

19. अतिभार रोकने के लिये टिन्डल की शक्ति :--

जब कभी किसी अनुज्ञप्त बन्दरगाह यान में यात्रियों की संख्या या स्थोरा की मात्रा, अनुज्ञप्ति में प्रविष्ट की गयी संख्या या मात्रा से अधिक हो जाती है, तब टिन्डल जलयान या तट से चलने से पूर्व किसी यात्री से बन्दरगाह छोड़ने या किसी परेषक, परेषिती या सम्बद्ध पोत परिवहन या अवतरण अभिकर्ता से बन्दरगाह यान से सम्पूर्ण स्थोरा या उसका कोई भाग हटाने की अपेक्षा करेगा ।

20 टिन्डल द्वारा कतिपय संकेतों की ओर ध्यान दिया जाना:--

(1) नियम II के अधीन जब उप-संरक्षक द्वारा निरीक्षण करने की वांछा की जाती है, तब प्रत्येक अनुज्ञप्त बन्दरगाह यान का स्वामी, ऐसे बन्दरगाह यान के टिन्डल को यह निदेश देगा कि वह बन्दरगाह यान के मास्टर, ध्वज, वर्गाकार नीले ध्वज जिस पर चार क्रास समानान्तर लाल रेखाएं हैं, और जिसे पत्तन ध्वज दण्ड पर प्रदर्शित किया जायेगा की ओर तुरन्त ध्यान दे ।

21. अनुज्ञप्त बन्दरगाह यान लंगर डालने से पूर्व लंगर डालने वाले या प्रवेश करने वाले जलयानों में बाधा नहीं डालेगा :--

किसी अनुज्ञप्त बन्दरगाह यान का भारसाधक या नौपरिवहन करने वाला कोई भी व्यक्ति, नौबन्दस्थल या लक्षक बोया से ऐसे बन्दरगाह यान को कस कर बांधने का प्रयास नहीं करेगा या ऐसे जलयान को लंगर डालने या बोया पर बांधने से पूर्व, किसी लंगर स्थान या बन्दस्थल को जाने वाले जलयान के पार्श्व में उसे नहीं ले जायेगा ।

22. मत्स्यन नौकाओं को किसी स्थोरा नौका के निकट या जलयान के पार्श्व में नहीं जाने दिया जायेगा :--

(1) किसी अनुज्ञप्त स्थोरा नौका का भारसाधक या नौपरिवहन करने वाला कोई भी व्यक्ति, किसी मत्स्यन नौका को उससे दस मीटर की दूरी के भीतर उस दशा में नहीं जाने देगा जब कि ऐसी स्थोरा नौका किसी जलयान या तट के बीच चल रही हो ।

(2) किसी मत्स्यन नौका भारसाधक या परिवहन करने वाला व्यक्ति, उस दशा में उसे किसी जलयान के पार्श्व में नहीं ले जायेगा जब कि किसी स्थोरा की उतराई या पोत परिवहन हो रहा हो ।

(3) यदि उप-संरक्षक द्वारा यह पाया जाता है कि किसी अनुज्ञप्त बन्दरगाह यान में उपनियम (1) या (2) के उप-बन्धों का उल्लंघन किया है, तो,

(क) उप-संरक्षक बन्दरगाह यान के संबंध में जारी की गयी अनुज्ञप्ति रद्द कर सकेगा ।

(ख) यह निदेश कर सकेगा कि दोषी टिन्डल को किसी अनुज्ञप्ति बन्दरगाह यान में किसी हैसियत में नियोजित नहीं किया जायेगा और टिन्डल रजिस्टर से उसका नाम हटा दिया जायेगा ।

(4) यदि उप-नियम (3) के खण्ड (ख) के अधीन उप-संरक्षक द्वारा दिये गये निदेशों के विरुद्ध कोई स्वामी ऐसे टिंडल को नियोजित करता है, तो उप-संरक्षक उक्त स्वामी द्वारा धारित सभी या किसी अनुज्ञप्ति को रद्द कर सकेगा ।

23. यात्रियों तथा माल की उतराई और पोत परिवहन पत्तन के भीतर किया जायेगा :--

सभी यात्रियों और माल की पत्तन की सीमाओं के भीतर ऐसे स्थानों पर उतराई या पोत परिवहन किया जायेगा जिन्हें संरक्षक नियत करे और कोई भी व्यक्ति, ऐसे स्थानों के बाहर तब तक यात्रियों या माल की उतराई या पोत परिवहन नहीं करेगा जब तक कि पत्तन और पत्तन पर तैनात सीमा शुल्क अधिकारियों की पूर्वतन मंजूरी नहीं ली गयी हो ।

24. बन्दरगाह यान की भाड़े की दरें :--यात्रियों को ले जाने के लिये किसी अनुज्ञप्त बन्दरगाह यान का स्वामी, टिन्डल या कर्मीदल का कोई सदस्य और ऐसे बन्दरगाह यान के स्वामी द्वारा प्रतिनियुक्त कोई व्यक्ति, किसी यात्री से भाड़े के उन प्रभारों से अधिक की मांग नहीं करेगा जो केन्द्रीय सरकार द्वारा मंजूर किया गया हो और ऐसे बन्दरगाह यान का स्वामी, टिन्डल या कर्मीदल का सदस्य, किसी जलयान और तट के बीच या एक स्थान से दूसरे स्थान तक, चाहे वह पत्तन के भीतर हो या बाहर, यात्रा के दौरान कोई उपदान या उपहार नहीं मांगेगा या स्वीकार नहीं करेगा ।

25. दोष-सिद्ध टिन्डल आदि के नियोजन पर प्रतिषेध --यदि किसी अनुज्ञप्त बन्दरगाह यान का टिन्डल या कर्मीदल का कोई सदस्य, इन नियमों के किसी उपबन्ध के भंग के लिये दोषसिद्ध ठहराया जाता है, तो उप-संरक्षक द्वारा ऐसे किये जाने की अपेक्षा करने पर, बन्दरगाह यान का स्वामी ऐसे टिन्डल या कर्मीदल के सदस्य को अपने नियोजन से पदच्युत करेगा ।

26. अनुज्ञप्तियों का प्रतिसंहरण--यदि उप-संरक्षक की राय में किसी अनुज्ञप्त बन्दरगाह यान के स्वामी ने इन नियमों के किन्हीं उप-बन्धों का उल्लंघन किया है, तो वह, किसी अन्य कार्रवाई जो उस उल्लंघन की बाबत ऐसे स्वामी के विरुद्ध की जा सकेगी, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, स्वामी द्वारा धारित सभी या किन्हीं अनुज्ञप्तियों को रद्द कर सकेगा ।

27 उप-संरक्षक के विनिश्चय के विरुद्ध अपील--(1) इन नियमों के अधीन उप-संरक्षक के किसी विनिश्चय के विरुद्ध अपील पत्तन के संरक्षक के समक्ष की जायेगी जो उसे विनिश्चित करेगा ।

(2) ऐसी अपील, उस तारीख से जिसको उप-संरक्षक के विनिश्चय जिसके विरुद्ध अपील की गई है, की लिखित सूचना संबद्ध पक्षकार या पक्षकारों को दी गई है, से सात दिन के भीतर लिखित रूप में की जायेगी ।

28 फीस--बन्दरगाह यानों के सर्वेक्षण, अनुज्ञापन, निरीक्षण के लिये निम्नलिखित फीसें उद्गृहीत की जायेंगी :--

की गई सेवा	केनील और केनील और केटा-मारेन चालित यान से भिन्न नौका	शूश्रोनीज	शूधोनीज	शक्ति
	रु० पै०	रु० पै०	रु० पै०	रु० पै०
1. अनुज्ञप्ति का जारी किया जाना	6.00	2.00	2.00	50.00
2. अन्य व्यक्ति के हक में अनुज्ञप्ति का संशोधन या अनुज्ञप्ति का अन्तरण	2.00	2.00	2.00	2.00
3. उस दशा में अनुज्ञप्ति की दूसरी प्रति देना जब कि मूल प्रति खो गई हो, अज्ञात स्थान पर रख दी गई हो या सुवाच्य न रह गई हो	2.00	2.00	2.00	2.00
4. टिन्डल का रजिस्ट्रीकरण	2.00	2.00	2.00	2.00
5. टिन्डल के रजिस्ट्रीकरण का संशोधन	2.00	2.00	2.00	2.00
6. प्रत्येक सर्वेक्षण और माप के लिये	10.00	4.00	4.00	95.00
7. वार्षिक निरीक्षण	6.00	2.00	2.00	50.00
8. विशेष निरीक्षण	5.00	2.00	2.00	50.00

29. इन नियमों के अधीन अनुज्ञप्त वाष्प नौकाओं और मोटर नौकाओं को लागू होने वाले विशेष उपबन्ध—(1) इन नियमों के अधीन अनुज्ञप्त प्रत्येक वाष्प नौका के फलक पर, जब कि वह भाड़े पर या अन्यथा चल रही हो, निम्नलिखित प्रमाणीकृत अधिकारी होंगे :—

(1) यदि उसके इंजन 100 एन०एच०पी० से अन्यून हों, तो—

(क) उसका मास्टर ऐसा व्यक्ति होगा जिसके पास अन्तर्देशीय वाष्प जलयान अधिनियम 1917 (1917 का 1) के अधीन दिया गया प्रथम श्रेणी मास्टर का प्रमाणपत्र या वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 (1958 का 44) के अधीन या ऐसे विनियमों के अधीन, जिन्हें केन्द्रीय सरकार इस निमित्त, समय-समय पर विनिर्दिष्ट करे, दिया गया मेट प्रवीणता प्रमाणपत्र हो, और

(ख) उसका इंजीनियर ऐसा व्यक्ति होगा जिसके पास उपर्युक्त अधिनियमों या विनियमों के अधीन दिया गया इंजीनियर प्रमाणपत्र हो।

(2) यदि उसके इंजन 100 एन०एच०पी० से कम किन्तु 40 एन०एच०पी० से अन्यून के हों, तो—

(क) उसका मास्टर ऐसा व्यक्ति होगा जिसके पास अन्तर्देशीय वाष्प जलयान अधिनियम, 1917 (1917 का 1) के अधीन दिया गया द्वितीय श्रेणी मास्टर का प्रमाणपत्र या ऐसा कोई अन्य प्रमाणपत्र हो जिसे खण्ड (i) के उप-खण्ड (क) में निर्दिष्ट किया गया है, और

(ख) उसका इंजीनियर ऐसा व्यक्ति होगा जिसके पास अन्तर्देशीय वाष्प जलयान अधिनियम, 1917 (1917 का 1) के अधीन दिया गया प्रथम श्रेणी इंजन चालक का प्रमाणपत्र या वाणिज्य पोत परिवहन विनियम, 1958 (1958 का 44) के अधीन या ऐसे विनियमों के अधीन जिन्हें केन्द्रीय सरकार समय-समय पर इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे, दिया गया इंजन चालक का प्रमाणपत्र या ऐसा प्रमाणपत्र हो जिसे खण्ड (i) के उपखण्ड (ख) में निर्दिष्ट किया गया है।

परन्तु किसी नौका के बारे में उस दशा में यह समझा जायेगा कि उसने इस खण्ड का अनुपालन कर लिया है जब कि उसके पास ऐसा व्यक्ति हो जिसके पास खण्ड (क) और खण्ड (ख) में निर्दिष्ट दोनों प्रमाणपत्र हों, और

(iii) यदि उसके इंजन 40 एन०एच०पी० से कम के हों, तो—

(क) उसका मास्टर ऐसा व्यक्ति होगा जिसके पास अन्तर्देशीय वाष्प जलयान अधिनियम, 1917 (1917 का 1) के अधीन सेरांग का प्रमाणपत्र या ऐसा अन्य प्रमाणपत्र हो जिसे खण्ड (ii) के उपखण्ड (क) में निर्दिष्ट किया गया है, और

(ख) उसका इंजीनियर ऐसा व्यक्ति होगा जिसके पास अन्तर्देशीय जलयान अधिनियम, 1917 (1917 का 1) के अधीन दिया गया द्वितीय श्रेणी इंजन चालक का प्रमाणपत्र या ऐसा अन्य प्रमाणपत्र हो जिसे खण्ड (ii) उपखण्ड (ख) में निर्दिष्ट किया गया है,

परन्तु किसी नौका के बारे में उस दशा में यह समझा जायेगा कि उसने इस खण्ड का अनुपालन किया है जबकि उसके पास ऐसा व्यक्ति हो जिसके पास उपखण्ड (क) और उपखण्ड (ख) में निर्दिष्ट दोनों प्रमाण पत्र हों।

(2) इन नियमों के अधीन अनुज्ञप्त प्रत्येक मोटर नौका के फलक पर, जबकि वह भाड़े पर या अन्यथा चल रही हो, निम्नलिखित प्रमाणीकृत अधिकारी होंगे :—

(1) यदि उसके इंजन 565 बी०एच०पी० से कम के न हों तो—

(क) उसका इंजीनियर ऐसा व्यक्ति होगा जिसके पास अन्तर्देशीय वाष्प जलयान अधिनियम, 1917 (1917 का 1) के अधीन दिया गया मोटर इंजीनियर का प्रमाणपत्र या वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 (1958 का 44) के अधीन या ऐसे विनियमों के अधीन जिन्हें केन्द्रीय सरकार समय-समय पर इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे, दिया गया प्रथम श्रेणी या द्वितीय श्रेणी समुद्रगामी मोटर पोत इंजीनियर का प्रमाणपत्र हो।

(ख) उसका मास्टर ऐसा व्यक्ति होगा जिसके पास अन्तर्देशीय वाष्प जलयान अधिनियम, 1917 (1917 का 1) के अधीन दिया गया प्रथम श्रेणी मास्टर का प्रमाण-पत्र या वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 (1958 का 44) के अधीन या ऐसे विनियमों के अधीन जिन्हें केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर, इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे, दिया गया मास्टर या मेट का प्रवीण का प्रमाणपत्र हो;

(ii) यदि उसके इंजन 565 बी०एच०पी० से कम के हों, किन्तु 226 बी०एच०पी० से अन्यून के हों, तो—

(क) उसका इंजीनियर ऐसा व्यक्ति होगा जिसके पास अन्तर्देशीय वाष्प जलयान अधिनियम, 1917 (1917 का 1) के अधीन दिया गया प्रथम श्रेणी मोटर इंजन चालक का प्रमाणपत्र या वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 (1958 का 44) के अधीन या या ऐसे विनियमों के अधीन जिन्हें केन्द्रीय सरकार समय-समय पर इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे, दिया गया समुद्रगामी मोटर पोत इंजन चालक का प्रमाणपत्र हो या ऐसा अन्य प्रमाणपत्र हो जिसे खण्ड (i) के उप-खण्ड (क) में निर्दिष्ट किया गया है, और

(ख) उस दशा में जब इंजनों का उपयोग नोदन के लिये किया जाता है, उसका मास्टर ऐसा व्यक्ति होगा जिसके पास अन्तर्देशीय वाष्प जलयान अधिनियम, 1917 (1917 का 1) के अधीन दिया गया द्वितीय श्रेणी मास्टर का प्रमाणपत्र या ऐसा प्रमाणपत्र जिसे खण्ड (1) के उप-खण्ड (ख) में निर्दिष्ट किया गया है, और

(iii) यदि उसके इंजन 226 बी०एच०पी० से कम के हों, तो–

(क) उसका इंजीनियर ऐसा व्यक्ति होगा जिसके पास अन्तर्देशी वाष्प जलयान अधिनियम, 1917 (1917 का 1) के अधीन दिया गया द्वितीय श्रेणी मोटर इंजन चालक का प्रमाणपत्र या ऐसे प्रमाणपत्र हो जिसे खण्ड (ii) के उप-खण्ड (क) में निर्दिष्ट किया गया है, और

(ख) उस दशा में जब कि इंजन का उपयोग नोदन के लिये किया जाता है, उसका मास्टर ऐसा व्यक्ति होगा जिसके पास अन्तर्देशीय वाष्प जलयान अधिनियम, 1917(1917 का 1) के अधीन दिया गया सेरांग का प्रमाणपत्र या ऐसा अन्य प्रमाणपत्र हो जिसे खण्ड (ii) के उप-खण्ड (ख) में निर्दिष्ट किया गया है,

परन्तु ऐसी मोटर नौका में जिसके इंजन 40 बी०एच०पी० से अधिक के न हो, उसका इंजीनियर के रूप में ऐसा व्यक्ति होगा जिसके पास ऐसा अनुज्ञापत्र हो जिसे केन्द्रीय सरकार द्वारा या इस निमित्त केन्द्रीय सरकार द्वारा सम्यकतः प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा दिया गया है,

परन्तु यह और कि ऐसे मोटर नौका में जिसके इंजन 20 बी० एच०पी० से अधिक का न हों और जिसकी लम्बाई तने के अग्र भाग से तने के पिछले भाग तक माप किये जाने पर 30 फीट से अधिक न हो, मास्टर और इंजीनियर के रूप में ऐसा व्यक्ति होगा जिसके पास उपखण्ड (क) और उपखण्ड (ख) में निर्दिष्ट दोनों प्रमाणपत्र हों :

परन्तु यह और भी कि ऐसी मोटर नौका में जिसके इंजन 20 बी० एच०पी० से अधिक न हों और जिसकी लम्बाई उपर्युक्त रूप में माप किये जाने पर 30 फीट से अधिक न हों और जिसके प्रयोग अनन्यतः स्वामी या उसके कुटुम्ब या मित्रों द्वारा वैयक्तिक आमोद-प्रमोद के लिये किया जाता है, प्रमाणीकृत मास्टर या इंजीनियर की आवश्यकता नहीं होगी किन्तु उसका नौ-परिवहन स्वामी या ऐसे अन्य व्यक्ति द्वारा किया जायेगा जिसके पास केन्द्रीय सरकार द्वारा या इस निमित्त केन्द्रीय सरकार द्वारा सम्यकतः प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा किया गया अनुज्ञापत्र हो, किया जायेगा ।

(3) ऐसे व्यक्ति का जिसने पहली जनवरी, 1973 को दो वर्ष की अवधि के लिये पत्तन पर चलने वाली वाष्प नौका या मोटर नौका के मास्टर, सेरांग, इंजीनियर या इंजन चालक के रूप में सेवा की हो, किन्तु जिसके पास, यथास्थिति, उप-नियम (1) या उप-नियम (2) (2) के अधीन अपेक्षित प्रवीणता प्रमाणपत्र नहीं है, मास्टर या सेरांग की दशा में है ।

सेरांग की दशा में उप संरक्षक द्वारा और इंजीनियर या इंजन चालक की दशा में अधीक्षक, यांत्रिकीय द्वारा इस आशय का प्रमाणपत्र दिया जा सकेगा कि वह इस प्रकार सेवा करने के कारण, यथास्थिति, पत्तन में चलने वाली वाष्प नौका या मोटर नौका के फलक पर परीक्षा के बिना, नीचे दी गई फीस का संदाय करने पर, मास्टर, सेरांग, इंजीनियर या इंजन चालक के रूप में कार्य करने के लिये सक्षम है :—

प्रथम श्रेणी मास्टर प्रमाणपत्र	16.00 रु०
द्वितीय श्रेणी मास्टर का प्रमाणपत्र	6.00 रु०
सेरांग का प्रमाणपत्र	4.00 रु०
द्वितीय श्रेणी इंजन चालक या द्वितीय श्रेणी मोटर इंजन चालक का प्रमाणपत्र	4.00 रु०
प्रथम श्रेणी इंजन चालक का या प्रथम श्रेणी मोटर इंजन चालक का प्रमाणपत्र	10.00 रु०
इंजीनियर या मोटर इंजीनियर का प्रमाणपत्र	12.00 रु०

(4) केन्द्रीय सरकार, विशेष परिस्थितियों में,

(क) वाष्प नौकाओं या मोटर नौकाओं के किसी वर्ग को, यथास्थिति, उप-नियम, (1) या उप-नियम (2) की अपेक्षा से छूट दे सकेगी

(ख) ऐसी नौकाओं में नियोजित अधिकारियों के लिये अपेक्षित अर्हताएं अधिकथित कर सकेगी ।

30. अग्निशामक उपस्कर और खशामक आदि –(1) इन नियमों के अधीन अनुज्ञप्त प्रत्येक मोटर नौकाओं में आग बुझाने के लिए एक बालू का बक्स और यथोक्ति क्षमता वाला अनुमोदित पेटेन्ट अग्नि शामक की व्यवस्था की जाएगा और स्वामी उसे तेल के कचरे से मुक्त रखेगा ।

(2) इन नियमों के नियम अनुज्ञप्त सभी मोटर नौकाओं के शोर करने वाले इंजनों में, जबकि वे पत्तन के भीतर चल रही हों, दक्ष खशामक फिट किए जाएंगे ।

31. अनुज्ञप्त बन्दरगाह यान का डूबना—ऐसे अनुज्ञप्त बंदरगाह यान जो पत्तन क्षेत्र के भीतर डूब गया हो, का स्वामी, ऐसे डूबने के तथ्य और उप स्थान की बाबत जहां यह घटित हुआ है, उप-संरक्षक को तुरन्त रिपोर्ट करेगा ।

प्ररूप 'क'

(नियम 4(2) देखिए)

सं०.....फुट लम्बी..फुट चौडी.....फुट गहरी.....रजिस्ट्रीकृत टन भार की नौका के स्वामी.....

को नव मंगलौर पत्तन (बन्दरगाह यान), नियम, 1975 में अधिकथित निबन्धनों और शास्तियों के अधीन रहते हुए, नव मंगलौर पत्तन को या उससे पोतों पर, नीचे विनिर्दिष्ट सीमा तक स्थोरा (पशुओं से भिन्न) और या यात्रियों, पशुओं को ढोने के लिए अनुज्ञप्ति ।

रजिस्ट्री की तारीख	बंदरगाह यान का नाम, संख्या और वर्णन	रिग और उपस्कर	कब बनाया गया और कहां	पिछली बार कब मरम्मत की गई और किस दशा में	यात्रियों के बिना ब्यौरा		स्थौरा के बिना यात्रियों की संख्या	कर्मीदल की संख्या
					पशुओं की संख्या और परिकल्पित भार	पशुओं से भिन्न स्थौरा का भार		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					अच्छे मौसम में प्रक्षुब्ध मौसम में	अच्छे मौसम में प्रक्षुब्ध मौसम में	अच्छे मौसम में प्रक्षुब्ध मौसम में	अच्छे मौसम में टिंडल समेत प्रक्षुब्ध मौसम में टिंडल समेत

नौका के स्वामी या स्वामियों के सम्बन्ध में विशिष्टियां		नौका के टिंडल के संबंध में विशिष्टियां		वह अवधि जिसके लिए अनुज्ञप्ति प्रवृत्त है	टिप्पणियां
नाम	उपजीविका निवास के स्थान	नाम	निवास का स्थान		
10	11	12	13	14	15

तारीख :

टिप्पणी :—12 वर्ष की आयु से कम के दो बच्चे—1 वयस्क

उपसंरक्षक

.....तक विस्तारित

यथोक्त
यथोक्त
यथोक्त
यथोक्त
यथोक्त
यथोक्त
यथोक्त
यथोक्त
यथोक्त

टिंडल के परिवर्तन की बाबत पृष्ठांकन.....

प्ररूप 'ख'

(नियम 10 देखिए)

19———वर्ष के लिए नव मंगलौर पत्तन में नियोजित टिंडलों के नाम, आयु, निवास स्थान और हस्ताक्षर/अंगूठे निशान दर्शित करने वाला रजिस्टर।

क्रम सं०	रजिस्ट्री की तारीख	बंदरगाह यान की की संख्या	नाम	आयु			निवास का स्थान
				वर्ष	मास	दिन	
1	2	3	4	5	6	7	8

हस्ताक्षर, अंगूठे का निशान (निरक्षरों की दशा में)		टिप्पणियां
9	10	

[फा० सं० पी जी एल-9/74]

बी० द्वारकादास, अवर सचिव

New Delhi, the 19th July, 1976

G.S.R. 1169.—Whereas draft of the port of New Mangalore (Harbour Craft Rules, 1975, was published as required by sub-section (2) of section 6 of the Indian Ports Act, 1908 (15 of 1908) at pages 3025 to 3030 of the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (i), dated the 25th October, 1975, under the notification of the Government of India in the Ministry of Shipping and Transport (Transport Wing), No. G.S.R. 2583, dated the 26th September, 1975, inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby till the expiry of a period of sixty days from the date of publication of that notification in the Official Gazette;

And whereas the said Gazette was made available to the public on the 10th November 1975;

And whereas no objections or suggestions have been received from the public;

Now, Therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 6 of the said Act, the Central Government hereby makes the following rules, namely:—

1. Short title, commencement and application.—(1) These rules may be called the Port of New Mangalore (Harbour Craft) Rules, 1976.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

(3) They shall apply to the Port of New Mangalore.

2. Definitions.—In these rules, unless the context otherwise requires :—

(a) "Deputy Conservator" means the Deputy Conservator, Port of New Mangalore;

(b) "Form" means a form appended to these rules ;

(c) "Harbour Craft" means any catamaran plying for hire or any flat or cargo, passenger or other boat plying whether for hire or not and whether power driven or not and whether plying regularly or only occasionally or partly within and partly without the port;

(d) "Inner harbour" means that part of the Port which lies east of the baseline having a bearing of 348° 55'-00" and passing through the North Boring Mark and includes the turning basin, eastern dock arm, oil jetty and any future berths, docks dredged and developed from time to time.

(e) "Licensed harbour craft" means any harbour craft licensed under these rules ;

(f) "Motor boat" means any power-driven harbour craft propelled wholly or in part by any form of electrical or mechanical power other than steam;

(g) "Outer harbour" means that part of the approach channel lying west of the baseline defined above and extending upto the fairway buoy located at lattitude 12° 55' 06.2" N and longitude 74° 46' 17.6° E;

(h) "Owner" used in relation to a harbour craft including any part owner, agent or mortgagee in possession thereof;

(i) "Port" means the Port of New Mangalore;

(j) "Roads" means that part of the Port which lies seawards of the fairway buoy located at latitude 12° 55' 06.2" North and longitude 74° 46' 17.6" East;

(k) "Servant" used in relation to owner includes the tindal or any boatman;

(l) "Steam-boat" means any harbour craft propelled wholly or in part by steam power;

(m) "Tindal" includes any person in charge of a harbour craft.

3. Harbour Craft to be Licensed.—No person shall, whether as owner, tindal or servant use any harbour craft to carry goods, or passengers, to or from, any vessel at the port or from place to place within the port unless the harbour craft has been duly licensed under these rules and a harbour craft licensed to ply between ship and shore may also ply from place to place within the port without a separate licence :

Provided that nothing in this rule shall apply to—

(a) any boat forming part of the equipment of a ship or a steamer;

(b) any harbour craft maintained solely for purposes of pleasure.

(c) any boat belonging to the port :

Provided further that the Deputy Conservator may, if he thinks fit, require any boat or harbour craft referred to in clause (a) or clause (b) to be licensed under these rules.

4. Licensing of Harbour Craft.—(1) Every application for the licensing of a harbour craft under rule 3 shall be made to the Deputy Conservator in writing and shall contain the following particulars, namely :—

(a) the owner's name and address in full and if the owner is a minor, it shall contain the name and address of his guardian;

(b) the name and address of the agent, if any, duly authorised by the owner to act on his behalf;

(c) the name of the tindal whom the owner proposes to place in charge of the barbour craft;

(d) the nature of the licence required, that is to say whether it is required, for a passenger boat or for a cargo boat, or for any other purpose; and

(e) the details of the barbour craft in respect of its measurements, gross tonnage and other relevant particulars.

(2) On receiving an application for licence under sub-rule (1), the Deputy Conservator shall survey and measure the harbour craft, or cause it to be surveyed and measured in the presence of the owner or any person duly appointed for the purpose by such owner, and grant a licence in Form A on payment of the fees specified in rule—28 and on being satisfied that the barbour craft is seaworthy and fit for service at the port, or upon the production of a certificate in writing from the officer who surveyed the harbour craft certifying—

(a) that such harbour craft is seaworthly, proper equipped and suited for the purpose for which the licence is required;

(b) the number of passengers that such harbour craft is capable of carrying under all conditions;

(c) the number of crew required for the safe navigation of such harbour craft;

(d) that the equipment of such harbour craft is in good order and condition.

(3) For purposes of survey and measurement specified in sub-rule (2), the owner shall cause the harbour craft to be brought to such place as the Dy. Conservator may appoint.

(4) Subject to the provisions of these rules, all licences in Form A shall be issued for the financial year ending on the 31st March.

5. Minor or Female Owners.—(1) If the owner of a harbour craft is a minor, the licence may be obtained by the guardian of the minor.

(2) If the owner is a woman, who according to the customs of the country does not appear in public, the licence may be obtained on her behalf by her duly authorised agent.

NOTE.—In such cases the guardian or the agent as the case may be shall be deemed to be the owner for the purposes of these rules.

6. Licence, Rules, etc., To be produced when demanded.—(1) The licence of every harbour craft shall be kept in the possession of the tindal who shall produce the licence whenever called upon to do so by the Deputy Conservator or by any person duly authorised by the Deputy Conservator in that behalf.

(2) A copy of these rules and of any written directions issued by the Deputy Conservator in respect of the implementation shall also be furnished by the owner to the tindal who shall on demand, show them to any hirer or consignor of, or passenger in such harbour craft.

(3) The owner shall be responsible for ensuring that the tindal understands the provisions of these rules and directions and for obtaining a declaration from him to that effect and producing the same whenever required by the Deputy Conservator.

7. Distinctive numbering of licensed harbour craft.—(1) The owner of licensed harbour craft shall paint or cause to be painted upon a black background in white or upon a light back-ground in back English and Hindi figures not less than six inches in length, on a conspicuous part of the bow of such harbour craft on one side, and on the quarter of the other, the number of the harbour craft as mentioned in the licence.

(2) No person shall paint or cause to be painted upon any harbour craft not duly licensed under rule, any such number as aforesaid or any other mark likely to induce the belief that such harbour craft has been so licensed.

8. Chance of ownership or control of Licenced Harbour Craft.—When the holder of a licence transfers the ownership of the harbour craft to another person the licence shall cease to be valid on the expiry of six days from the date of such transfer and where such holder mortgages the harbour craft to, or places it under the control of another person, the licence shall cease to be valid on the expiry of six days from the date of such mortgage or placing unless an endorsement on the licence is made by the Deputy Conservator to the effect that notwithstanding such transfer or placing, the licence shall continue to be valid.

9. Changes in crew or carrying capacity of Licensed Harbour craft to be reported.—(1) Whenever any alteration in a licensed harbour craft is made so as to affect any of the particulars contained in the licence granted to it, such alteration shall forthwith be reported by its owner to the Deputy Conservator:

Provided that, if such alternation takes place at a time when the harbour craft is away from the port, it may be reported immediately on the return of the harbour craft to the port.

(2) In the case of a change of tindal or of any alteration in the harbour craft not affecting its carrying capacity the harbour craft shall not ply until such report is made and in the case of change of tindal until the tindal had also been produced before the Deputy Conservator.

(3) On such report or on such report and production, as the case may be, the Deputy Conservator shall amend the original licence held by the owner and in the case of change of tindal, the register kept under rule 10 shall also be amended.

(4) In the case of any alteration in the harbour craft affecting its carrying capacity, the original licence held by the owner shall be cancelled and a fresh licence shall be issued by the Deputy Conservator after the harbour craft has been remeasured, and it shall not ply until such fresh licence has been issued.

10. *Registration of Tindals.*—(1) At the time of licensing of any harbour craft under rule 4, the name of its tindal as entered in the licence and other particulars relating to him shall be entered in a register which shall be kept by the Deputy Conservator in Form B.

(2) Every year in the month of March on a date to be fixed by the Deputy Conservator the owner of every licensed harbour craft shall produce before the Deputy Conservater, the tindal of the harbour craft for verifying the correctness of the entries in the register:

Provided that if such harbour craft is away from the port on the date so fixed, that owner shall produce the tindal within 24 hours after its return.

(3) No person shall be employed or registered as a tindal of a licensed harbour craft if he :—

(a) is not a certificated officer qualified to be the Master or Engineer of such harbour craft in accordance with rule 29:

(b) is in the opinion of the Deputy Conservator unaccoustomed to the use of such harbour craft or otherwise inefficient.

11. Animal and Special Inspection Etc. Of Licensed Harbour Craft And Crew.— (1) On or before the expiry of the licence, the owner of every licensed harbour craft shall produce it together with its licence for inspection to the Deputy Conservator at such place as he may appoint for the purpose.

(2) In addition to the inspection referred to in sub-rule (1), *special or partial inspections may be held by the* Deputy Conservator at such times as the Deputy Conservator may consider necessary.

(3) At all inspections under this rule, each harbour craft shall have its full complement of crew and equipment.

12. Repairs of Licenced Harbour Craft Ordered for inspection.—(1) The owner of every licensed harbour craft shall execute such repairs thereto as the Deputy Conservator may direct in order to render it efficient, and no order or any of his persons shall use any such harbour craft or cause or permit it to be used until such repairs have been duly executed and the Deputy Conservator has granted permission for its use.

(2) For the purpose of the repairs referred to in sub-rule (1), the owner shall cause the harbour craft to be hauled up only to such place or places on the foreshore as the Deputy Conservator may from time to time direct.

(3) All major repairs to the boiler, machinery or hull of a licensed harbour craft shall be carried out under the supervision of an Engineer and Ship Survey or appointed by the Deputy Conservator and the master or the owner of such craft shall before the commencement of the repairs, pay to the Deputy Conservator a sum sufficient to cover the fees and other expenses of such Engineer and Ship Surveyor..

Explanation.—For the purpose of this sub-rule, the Deputy Conservator shall decide as to whether a particular work should be regarded as a minor repair or not.

(4) The fees referred to in sub-rule (3) shall be calculated on the following scale, namely —

SCALE OF FEES

		Rs.
(i)	For every vessel the gross tonnage of which does not exceed 10 tons.	90.00
(ii)	For every vessel the gross tonnage of which exceeds 10 tons but does not exceed 25 tons.	115.00
(iii)	For every vessel the gross tonnage of which exceeds 25 tons but does not exceed 50 tons.	145.00
(iv)	For every vessel the gross tonnage of which exceeds 50 tons but does not exceed 75 tons.	175.00
(v)	For every vessel the gross tonnage of which exceeds 75 tons but dies not exceed 100 tons.	205.00
(vi)	For every vessel the gross tonnage of which exceeds 100 tons but does not exceeds 300 tons.	230.00
(vii)	For every vessel the gross tonnage of which exceeds 300 tons but does not exceed 600 ons.	290.00
(viii)	For every vessel the gross tonnage of which exceeds 600 tons but does not exceed 900 tons.	350 00
(ix)	For every vessel the gross tonnage of which exceeds 900 tons but does not exceed 1,200 tons.	405.00
(x)	For every vessel the gross tonnage of which exceeds 1,200 tons.	405.00 Plus Rs. 60/- for every 300 tons or part thereof in excess of 1,200 tons.
(xi)	For interim survey	25.00/visit.

(b) The expenses referred to in sub-rule (3) shall be determined in accordance with the general or specific instructions of the Central Government in this behalf.

13. Control of working of Licenced Harbour Craft.—(1) The owners shall provide every licensed harbour craft with such crew and equipment as may be determined by the Deputy Conservator and entered in the licence.

(2) The tindal of the harbour craft shall not have on the board more or less than the number of the crew specified in the licence for fine or rough whether according as the harbour craft plies in fine or rough weather and shall not carry passengers or goods in excess of the number or quantity entered in the licence for the harbour craft.

(3) Every licensed harbour craft plying within the por shall carry such number of life boys as may be considered reasonable by the Deputy Conservator and of a type approved by him and every such harbour craft shall carry in addition, such buoyant apparatus as may be considered necessary by the Deputy Conservator.

(4) All boys and buoyant apparatus carried in the harbour craft shall be stowed to the satisfaction of the Deputy Conservator and so as to be readily accessible to the persons on board.

(5) Every harbour craft licensed for the carriage of passengers shall be so fitted that sufficient sitting space is available for each passenger and ownings and side weather screen shall also be provided, where necessary, to give protection to passengers from sun and weather respectively.

(6) The Deputy Conservator shall exercise his discretion in fixing the number of crew required in a licensed harbour craft plying within the port and carrying passengers.

(7) Whether the owner of a licensed harbour craft does not desire to carry the full complement of passengers, or is not prepared, or considers it impracticable to carry the prescribed life saving appliances, the Deputy Conservator may limit the number of passengers accordingly and endorse the licence to that effect.

14. Obstructing Port Traffic.—(1) No tindal or any member of the crew serving in any licensed harbour craft shall obstruct or hinder the loading, discharging or service of such harbour craft, or of any other licensed harbour craft, or obstruct or hinder any vessel working in the port.

(2) No tindal shall permit any licensed harbour craft in his charge to obstruct the free navigation of the port or the approaches to wharves or jetties.

15. Compliance with the provisions regarding prevention of collisions at Sea-observance of the merchant shipping (Prevention of collisions at sea) Regulations, 1975.—All licensed harbour crafts, when under way, shall comply with the provisions of the Merchant Shipping (Prevention of Collisions at Sea) Regulations, 1975.

16. Refusal to ply without Lawful Excuse.—If the owner or the tindal in charge of a licensed harbour craft plying regularly for hire refuses to ply for hire when required to do so without reasonable excise, of which the Deputy Conservator shall, subject to the appeal provided in rule 27, be the sole deciding authority, the licence of such harbour craft shall be liable to be revoked.

17. Working of the licensed harbour craft at night and in bad weather.—(1) No licensed harbour craft shall ply in the outer roads—

(i) between the hours of 6 P.M. and 6 A.M. without the previous permission of the Deputy Conservator;

(ii) when a stern warning signal indicating bad weather on high seas is displayed from the port flagstaff.

(2) When the signal referred to in clause (ii) of sub-rule (1) is hoisted at the port flag staff, all harbour craft plying in the outer roads shall return to the inner harbour at once and shall not proceed to the outer roads without the special permission of the Deputy Conservator until the signal is hauled down.

18. Permissible Loading of Licensed Harbour Craft in Fine and Rough whether.—(1) No person shall load a licensed harbour craft with passengers or with animals or other cargo in contravention of the terms of its licence.

(2) No tindal of any licensed harbour craft shall permit any animal to be loaded in it, unless the harbour craft has been provided with stand ballast or straw sufficient to form a flat floor and unless such other requirements as may be imposed by the Deputy Conservator in respect of the harbour crafts, have been complied with.

(3) Where animals are carried in a licensed harbour craft, no other cargo or passenger shall be carried therein.

(4) Passengers and cargo other than animals may be carried at the same time only in a licensed harbour craft propelled by mechanical or electrical power.

19. Power of Tindal to Prevent Overloading.—Whenever the number of passengers or the quantity of cargo in a licensed harbour craft exceeds the number or quantity entered in the licence, the tindal shall, before starting from the vessel or from the shore, require any passenger to leave the harbour craft or any consignor, consignee, or shipping or landing agent concerned to remove from the harbour craft the whole or any part of the cargo.

20. Attention to certain Signals Required of Tindals.—The owner of every licensed harbour craft shall instruct the tindal of such harbour craft to ply immediate attention to the harbour craft master flag, square blue flag with four parallel red bars running crosswise which will be displayed on the port flagstaff when the Deputy Conservator desired to carry out an inspection under rule 11.

21. Licensed Harbour Craft not to Interfere with Mooring or Approaching Vessels before they Anchor.—No person in charge of or navigating any licensed harbour craft shall attempt to make such harbour craft fast to any mooring or mark buoy, or take it alongside of a vessel approaching an anchorage or mooring before such vessel has come to anchor or been moored to a buoy.

22. Fishing Boats not to be Allowed near a Cargo Boat or alongside Vessel.—(1) No person in charge of or navigating a licensed cargo boat shall allow a fishing boat to be within ten metres of her, when such cargo boat is plying between a vessel and the shore,

(2) No person in charge of or navigating a fishing boat shall allow it to go alongside a vessel which discharging or shipping of cargo is proceeding.

(3) If any licensed harbour craft is found by the Deputy Conservator to have contravened the provisions of sub-rule (1) or (2), the Deputy Conservator may—

(a) cancel the licence issued in respect of the harbour craft;

(b) direct that the tindal at fault shall not be employed in any capacity in any licensed harbour craft and that his name shall be removed from the register of tindals.

(4) If any owner employs such tindal contrary to the directions of the Deputy Conservator, given under clause (b) of sub-rule (3), the Deputy Conservator, may cancel all or any of the licenses held by the said owner.

23. Landing and Shipping of Passengers and Goods to be within the Port.—All passengers and goods shall be landed or shipped in such places within the limits of the port as the Conservator may appoint and no person, shall ship or land passengers or goods outside such places unless the sanction of the port and officers of customs at the port has previously been obtained.

24. Rates of Harbour Craft Hire.—No owner, tindal or any member of the crew of a licenced harbour craft licensed to carry passengers for hire and no person deputed by the owner of such harbour craft, shall demand from any passenger hire charged exceeding that sanctioned by the Central Government and no owner, tindal or member of the crew of such harbour craft shall demand or accept any gratuity or present from any passenger during the course of its trip between any vessel and the shore or from place to place whether within or without the port.

25. Prohibition of Employment of Convicted Tindal etc.—If the tindal or any member of the crew of a licensed harbour craft is convicted for a breach of any of the provisions of these rules, the owner of the harbour craft shall, on being required so to do by the Deputy Conservator, dismiss such tindal or member of the crew from his employment.

26. Revocation of licenses.—If, in the opinion of the Deputy Conservator, the owner of any licensed harbour craft has contravened any of the provisions of these rules, he may, without prejudice to any other action that may be taken against such owner in respect of the contravention, cancel all or any of the licences held by the owner.

27. Appeal from Deputy Conservator's Decision.—(1) An appeal shall lie from any decision of the Deputy Conservator under these rules, to the Conservator of the Port who shall decide the same.

(2) Such appeal shall be preferred in writing within seven days from the date on which the decision of the Deputy Conservator appealed against has been communicated in writing to the party or parties concerned.

28. Fees.—The following fees shall be leviable for survey, licensing, inspection of the harbour crafts :

Service rendered	Boats other than canoels and shoe-dhonies	Canoes and shoe-dhonies	Catamarans	Power driven craft
	Rs. Ps.	Rs. Ps.	Rs. Ps.	Rs. Ps.
1. Issue of licence.	6.00	2.00	2.00	50.0
2. Amendment of the licence or transfer of licence in favour of another person.	2.00	2.00	2.00	2.00
3. Grant of duplicate licence when the original is lost, mislaid or rendered illegible.	3.00	2.00	2.00	2.00
4. Registration of Tindal.	2.00	2.00	2.00	2.00
5. Amendment to registration of Tindal.	2.00	2.00	2.00	2.00
6. For each survey and measurement.	10.00	4.00	4.00	95.00
7. Annual inspection.	6.00	2.00	2.00	50.00
8. Special inspections.	5.00	2.00	2.00	50.00

29. Special Provisions Applicable to Steam Boats and Motor Boats Licensed under these Rules.—(1) Every steam boat licensed under these rules shall, while plying for hire or otherwise, have on board the following certificated officers :—

(i) if she has engines of not less than 100 N.H P.,—

(a) as her Master, a person possessing a First Class Master's Certificate granted under the Inland Steam Vessels Act, 1917 (1 of 1917) or a Master's Certificate or Mate's Certificate of Competency granted under the Merchant Shipping Act, 1958 (44 of 1958) or under such regulations as the Central Government may, from time to time specify in this behalf, and

(b) as her Engineer a person possessing an Engineer's Certificate granted under any of the aforesaid Acts or regulations;

(ii) if she has engines of less than 100 N.H.P. but not less than 40 N.H.P.,—

(a) As her Master, a person possessing a Second Class Master's Certificate granted under the Inland Steam Vessels Act, 1917 (1 of 1917) or any such certificate as is referred to in sub-clause (a) of clause (i), and

(b) as her Engineer, a person possessing a First Class Engine Driver's Certificate granted under the Inland Steam Vessels Act, 1917 (1 of 1917) or an Engine Driver's Certificate granted under the Merchant Shipping Act, 1958 (44 of 1958) or under such regulations as the Central Government may, from time to time, specify in this behalf or any such certificate as is referred to in sub-clause (b) of clause (i) :

Provided that a boat shall be deemed to have complied with this clause, if she has a person possessing both the certificates referred to in sub-clause (a) and sub-clause (b); and

(iii) if she has engines of less than 40 N.P.H.,—

(a) as her Master, a person possesssing a Serang's Certificate granted under the Inland Steam Vessels Act, 1917 (1 of 1917) or any such certificate as is referred to in sub-clause (a) of clause (ii); and

(b) as her Engineer, a person possessing a Second Class Engine Driver's Certificate granted under the Inland Steam Vessels Act, 1917 (1 of 1917) or any such certificate as is referred to in sub-clause (b) of clause (ii) :

Provided that a boat shall be deemed to have complied with this clause if she has a person possessing both the certificates referred to in sub-clause (a) and sub-clause (b).

(2) Every motor boat licensed under these rules shall, while plying for hire or otherwise are on board the following certificated officers :—

(i) if she has engines of not less than 565 B.H.P.,—

(a) as her Engineer, a person possessing a Motor Engineer's Certificate granted under the Inland Steam Vessels Act, 1917 (1 of 1917) or a Certificate as a First Class or Second Class Engineer of a sea-going motor ship granted under the Merchant Shipping Act, 1958 (44 of 1958) or under such regulations as the Central Government may from time to time specify;

(b) as her Master, a person possessing a First class Master's Certificate granted under the Inland Steam Vessels Act, 1917 (1 of 1917) or a Master's or Mate's Certificate of Competency granted under the Merchant Shipping Act, 1958 (44 of 1958) or under such regulations as the Central Government may from time to time specify in this behalf;

(ii) if she has engines of less than 565 BHP but not less than 226 BHP.—

(a) as her Engineer, a person possessing a First Class Motor Engine Driver's Certificate granted under the Inland Steam Vessels Act, 1917 (1 of 1917), or a certificate of an Engine Driver of a set-going motor ship granted under the Merchant Shipping Act, 1958 (44 of 1958) or under such regulations as the Central Government may from time to time specify in this behalf or any such certificate as is referred to in sub-clause (a) of clause (i); and

(b) in case the engines are used for propulsion, as her Master, a person possessing a Second Class Master's Certificate granted under the Inland Steam Vessels Act, 1917 (1 of 1917), or any such certificate as is referred to in sub-clause (b) of clause (i); and

(iii) If she has engines of less than 226 BHP.—

(a) as her Engineer, a person possessing a Second Class Motor Engine Driver's Certificate granted under the Inland Steam Vessels Act, 1917 (1 of 1917), or any such certificate as is referred to in sub-clause (a) of clause (ii); and

(b) in case the engines are used for propulsion, as her Master, a person possessing a Sarang's Certificate granted under the Inland Steam Vessels Act, 1917 (1 of 1917) or any such certificate as is referred to in sub-clause (b) of clause (ii) :

Provided that a motor boat having engines of not more than 40 BHP may have as her Engineer, a person holding a permit granted by the Central Government or by any person duly authorised by the Central Government in this behalf :

Provided further that a motor boat having engines of not more than 20 BHP the length of which measured from the fore part of the stem to the after part of the stem post does not exceed 30 feet may have as her Master and Engineer a person possessing both the certificate referred to in sub-clause (a) and sub-clause (b) :

Provided also that a motor boat having engines of not more than 20 BHP the length of which measured as aforesaid does not exceed 30 feet, which is used exclusively for personal recreation by the owner or his family or friends need not carry a certificated Master or Engineer but may be navigated by the owner or any other person possessing a permit granted by the Central Government or by any person duly authorised by the Central Government in this behalf.

(3) Any person who has served as Master, Serang, Engineer or Engine Driver of a steam boat or motor boat plying in a Port for a period of two years on the 1st January 1976 but is not in possession of the certificate of competency required under sub-rule (1) or sub-rule (2) as the case may be, may be granted, in the case of the Master or Serang by the Deputy Conservator and in the case of Engineer or Engine Driver by the Superintendent, Mechanical, a certificate to the effect that he is, by reason of his having so served, competent to as Master, Serang, Engineer or Engine Driver as the case may be, on board such steam boat or motor boat while plying in the Port without examination, on payment of the fees set out below :

	Rs.
First Class Master's Certificate.	16.00
Second Class Master's Certificate.	6.00
Serang's Certificate.	4.00
Second Class Engine Driver's or Second Class Motor Engine Driver's Certificate.	4.00
First Class Engine Driver's or First Class Motor Engine Driver's Certificate.	10.00
Engineer's or Motor Engineer's Certificate.	12.00

(4) The Central Government may, in special circumstances;—

(a) exempt any class of steam boats or motor boats from the requirement of sub-rule (1) or sub-rule (2), as the case may be;

(b) lay down the qualifications required for the officers employed on such boats.

30. Fire Extinguishing Equipment and Silencers, etc.—(1) Every motor boat licensed under these rules shall be provided with a sand box and an approved patent fire extinguisher of suitable capacity for extinguishing fire and the owner shall keep it free from oil refuse.

(2) Noisy engines of all motor boats licensed under these rules while plying within the Port shall be fitted with efficient silencers.

31. Sinking of Licensed Harbour Craft.—The owner of any licensed harbour craft which has been sunk within the port area shall forthwith report the fact of such sinking and the place where it occured to the Deputy Conservator.

FORM A

[See rule 4(2)]

Licence No.

Licence granted to.....owner of boat measuring.....feet long.....feet board.....feet deep.....registered tons, to carry cargo (other than animals) and/or passengers animals to the extent specified below, to and from ships at or off the port of New Mangalore under the restrictions and subject to the penalties laid down in the port of New Mangalore (Harbour Craft) Rules, 1976.

Date of Registry	Name, number and description of Harbour Craft	Hig. and equipment	When built and where	When repaired last and in what condition	Cargo without passengers	
					Number of animals and presumed weight	Weight of cargo other than animals
1	2	3	4	5	6	7
					In fine weather In rough weather	In fine weather In rough weather

Date :

NOTE : Two children under 12 years of age = 1 adult.

Deputy Conservator

Number of passengers without cargo	Number of crew	Particulars respecting the owner or owners of the boat		Particulars respecting tindal of the boat		Period for which the licence is to be in force	Remarks
		Name or Names	Occupations, place or places or residence	Name	Place of residence		
8	9	10	11	12	13	14	15

In fine weather	In fine weather Tindal Lascars.
In rough weather	In rough weather Tindal Lascar.

Deputy Conservator

Extended to.....

Ditto
Ditto
Ditto
Ditto
Ditto
Ditto
Ditto
Ditto
Ditto

Endorsement for change of Tindal

FORM B

(See rule 10)

Register showing the names, ages, places of residence and Signature/Thumb impression of Tindals employed in the Port of New Mangalore for the year 19.....

Sl. No.	Date of Registry	Number of Harbour craft	Name	Age		
				Years	Months	Days
1	2	3	4	5	6	7

Place of Residence	Signature/Thumb impression (in case of illiterate)	Remarks
8	9	10

[File No. PGL-9/74]

सा०का०नि० 1170:—केन्द्रीय सरकार भारतीय पत्तन अधिनियम, 1908 (1908 का 15) की धारा 35 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के नौवहन और परिवहन मंत्रालय (परिवहन पक्ष) की अधिसूचना सं० सा०का०नि० 122(अ), तारीख 12 मार्च, 1976 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में, स्थानान्तर-प्रभारों से संबंधित खण्ड 3 में, टिप्पण (2) के पश्चात्, निम्नलिखित टिप्पण अन्तःस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :—

"(3) विदेशी जलयानों द्वारा, ऊपर विनिर्दिष्ट दरों पर 57.5% का अधिभार भी संदेय होगा।"

[फा० सं० पी०जी० आर०-14/74]

वी० द्वारकावास, अवर सचिव

G.S.R. 1170.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 35 of the Indian Ports Act, 1908 (15 of 1908), the Central Government hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Shipping and Transport (Transport Wing) No. G.S.R. 122(E), dated the 12th March, 1976, namely :—

In the Schedule to the said notification, in clause 3 relating to the shifting charges, after Note (2), the following Note shall be inserted, namely :—

"(3) A surcharge of 57.5 per cent on the rates specified above shall be payable in addition, by foreign vessels."

[File No. PGR-14/74]

V. DWARAKAVAS, Under Secy.

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

नई दिल्ली, 19 जुलाई, 1976

सा० का० नि० 1171:—संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति, आकाशवाणी (श्रेणी-1 पद) भर्ती नियमावली, 1963 में अतिरिक्त संशोधन करने के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों को आकाशवाणी (श्रेणी-1 पद) भर्ती (चतुर्थ संशोधन) नियमावली, 1976 कहा जा सकेगा।

(2) ये नियम सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. आकाशवाणी (श्रेणी–1 पद) भर्ती नियमावली, 1963 की अनुसूची में, क्रम संख्या 23 और इससे सम्बन्धित प्रविष्टियों के बाद निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

1	2	3	4	5	6	7	8
"24.	उप निदेशक (सुरक्षा)	1	सामान्य केन्द्रीय सेवा ग्रुप-क, राजपत्रित	700-40-900-ई० रो०-40-1100-50 1300 रुपए	लागू नहीं होता	लागू नहीं होना	लागू नहीं होना।

9	10	11	12	13	14
लागू नहीं होता।	2 वर्ष	पुनर्नियुक्ति द्वारा या प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण द्वारा	पुनर्नियुक्ति : सेना के कप्तान के दर्जे के भूतपूर्व आपात कमीशन प्राप्त अधिकारी/ अल्प सेवा कमीशन प्राप्त अधिकारी/ रक्षा सेवाओं के सेवा निवृत्त अधिकारी या समकक्ष दर्जे के अधिकारी। (सिविल पदों के संबंध में अधिवार्षिकी आयु हो जाने तक पुनर्नियुक्ति)। **प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण :** (1) पुलिस उप अधीक्षक के दर्जे के वे अधिकारी जिनकी इस ग्रेड में 2 वर्ष की सेवा हो, या (2) केन्द्रीय/राज्य सरकारों के पुलिस संगठनों के पुलिस निरीक्षक के दर्जे के वे अधिकारी जिनकी इस ग्रेड में 8 वर्ष की सेवा हो। (प्रतिनियुक्ति की अवधि सामान्यतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी)।	लागू नहीं होता	जैसा कि संघ लोक सेवा आयोग (परामर्श से छूट) विनियम, 1958 के अंतर्गत अपेक्षित है।"

[सं० 1/1/73-बी(ए)
मोहन लाल टंडन, अवर सचिव

MINISTRY OF INFORMATION & BROADCASTING

New Delhi, the 19th July, 1976

G.S.R. 1171.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the All India Radio (Class I Posts) Recruitment Rules, 1963., namely:—

1. (1) These rules may be called the All India Radio (Class I Posts) Recruitment (Fourth Amendment) Rules, 1976.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule to the All India Radio (Class I Posts) Recruitment Rules, 1963, after serial No. 23 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be susbstituted, namely:—

1	2	3	4	5	6	7	8
"24.	Deputy Director (Security)	1	General Central Service Group 'A' Gazetted.	Rs. 700-40-900-EB-40-1100-50-1300	Not applicable	Not applicable	Not applicable

9	10	11	12	13	14
Not applicable	2 years	By re-employment or by transfer on deputation	Re-employment : Ex-Emergency Commissioned Officers/Short Service Commissioned Officers/Retired Defence Services Officers of the rank of Captain in the army or equivalent (Re-employment upto the age of superannuation with reference to civil posts). Transfer on deputation : Officers of the rank of (i) Deputy Superintendent of Police with two years' service in the grade, or (ii) Inspector of Police with 8 years' of service in the grade from Central/ State Government Police Organisations. (Period of deputation shall ordinarily not exceed 3 years).	Not applicable	As required under the Union Public Service Commission (Exemption from Consultation) Regulations, 1958."

[No. 1/1/73-B(A)]

M. L. TANDON, Under Secy.

निर्माण और आवास मंत्रालय

नई दिल्ली, 20 जुलाई, 1976

सा०का०नि० 1172.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भूमि और विकास कार्यालय (वर्ग 3 और 4 पद) भर्ती नियम, 1969 में संशोधन करने के लिये निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का नाम भूमि और विकास कार्यालय (वर्ग 3 और 4 पद) भर्ती (दूसरा संशोधन) नियम, 1976 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को, प्रवृत्त होंगे।

2. भूमि और विकास कार्यालय (वर्ग 3 और 4 पद) भर्ती नियम, 1969 की अनुसूची में, क्रम संख्या 1, 2, 3, 6, 7 और 8 के सामने स्तम्भ 13 में विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जायेगी, अर्थात् :—

"विभागीय प्रोन्नति समिति का गठन—

1. भूमि और विकास अधिकारी—अध्यक्ष
2. अवर सचिव (भूमि और विकास कार्यालय के स्थापन सम्बन्ध विषयों का भरसाधक)—सदस्य
3. अवर सचिव (आवासन-1)—सदस्य
4. भूमि और विकास कार्यालय में विशेष कार्य अधिकारी—सदस्य
5. उप-भूमि और विकास अधिकारी—सदस्य/सचिव।"

[संख्या 10/76/68-एल०-II(खाल-II)]

एच० आर० निगम, अवर सचिव

MINISTRY OF WORKS AND HOUSING

New Delhi, the 20th July, 1976

G.S.R. 1172.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to amend the Land and Development Office (Class III and IV posts) Recruitment Rules, 1969 namely :—

1. (1) These rules may be called the Land and Development Office (Class III and IV posts) Recruitment (Second Amendment) Rules 1976.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule to the Land and Development Office (Class III and IV posts) Recruitment Rules 1969, against serial numbers 1, 2, 3, 6, 7 and 8, in column 13, for the existing entry, the following entry shall be substituted, namely :—

"Composition of Departmental Promotion Committee—

1. Land and Development Officer—Chairman.
2. Under Secretary (Incharge of Establishment matters of Land and Development Office)—Member.
3. Under Secretary (Housing-I)—Member.
4. Officer-on-Special Duty in the Land and Development Office—Member.
5. Deputy Land and Development Officer—Member/ Secretary".

[No. 10(76)/68-LII (Vol. II)]

H. R. NIGAM, Under Secy.

पूर्ति और पुनर्वास मंत्रालय

(पूर्ति विभाग)

नई दिल्ली, 9 जून, 1976

सा० का० नि० 1173.—संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति, एतद्द्वारा मुख्य वेतन

तथा लेखा अधिकारी के संगठन (चतुर्थ श्रेणी स्टाफ) के भर्ती नियम, 1973 में संशोधन करने के लिये निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. (1) ये नियम मुख्य वेतन तथा लेखा अधिकारी के कार्यालय के संगठन (चतुर्थ श्रेणी स्टाफ) के भर्ती नियम, 1976 कहे जायें

(2) ये भारतीय राजपत्र में अपने प्रकाशन की तारीख से लागू माने जायेंगे ।

2. मुख्य वेतन तथा लेखा अधिकारी के संगठन (चतुर्थ श्रेणी स्टाफ) के भर्ती नियम, 1973 की अनुसूची में क्रम सं० (1) के स्तम्भ 10 और 11 की वर्तमान प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जायेंगी :—

स्तम्भ 10	स्तम्भ 11
"75% सीधी भर्ती द्वारा और 25% स्थानान्तरण द्वारा" ।	"ऐसे स्वीपरों, फराशों, चौकीदारों, के स्थानान्तरण द्वारा, जिनके पास चपरासी के पद पर भर्ती के लिये निर्धारित अर्हताएं नहीं हैं, लेकिन जो प्रारम्भिक साक्षरता प्राप्त हैं, जिन्हें सरल लिखित परीक्षा में हिन्दी पढ़ने की योग्यता का प्रमाण पत्र प्राप्त है और वर्तमान संवर्ग में जिन्होंने पांच वर्ष की सेवा पूरी कर ली है ।"

[ए० 12018/10/71-स्था०-2]

दर्शन सिंह दुग्गल, अवर सचिव

MINISTRY OF SUPPLY & REHABILITATION

(Department of Supply)

New Delhi, the 9th June, 1976

G.S.R. 1173.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the constitution, the President hereby makes the following rules to amend the Chief Pay and Accounts Officer's Organisation (Class IV Staff) Recruitment Rules, 1973, namely :

1. (i) The Rules may be called the Chief Pay and Accounts Officer's Organisation (Class IV Staff) Amendment Rules, 1976.

(ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule to the Chief Pay and Accounts Officer's Organisation (Class IV Staff) Recruitment Rules, 1973, against Serial No. (1), in Columns 10 and 11, for the entries, the following entries shall be substituted namely :—

Column-10	Column-11
"75% by direct recruitment; and 25% by transfer"	"By transfer of sweepers, farashes chowkidars who do not possess the qualifications prescribed for direct recruits to the post of peon but who possess elementary literacy and given proof of ability to read Hindi in a simple written test and have put in five years service in the parent cadre."

[No. A-12018/10/71-ES. II, Pt.]

D. S. DUGGAL, Under Secy.

(पुनर्वास विभाग)

नई दिल्ली, 19 जुलाई, 1976

सा० का० नि० 1174.—संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति दण्डकारण्य परियोजना के शैक्षिक संगठन में (श्रेणी I तथा श्रेणी II के पदों) पर भर्ती के नियम, 1974 को संशोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. (1) ये नियम दण्डकारण्य परियोजना के शैक्षिक संगठन में (श्रेणी I तथा श्रेणी II के पदों) पर भर्ती के (संशोधन) नियम, 1976 कहलायेंगे ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से लागू होंगे ।

2. दण्डकारण्य परियोजना के शैक्षिक संगठन में (श्रेणी I तथा श्रेणी II के पदों) पर भर्ती के नियम, 1974 से संबंधित अनुसूची के क्रम संख्या 2 के सामने किए गए इन्दराजों के बाद निम्नलिखित जोड़ा जाएगा, अर्थात् :—

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन पद है अथवा गैर-चयन पद	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए आयु-सीमा	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों से अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य योग्यतायें
1	2	3	4	5	6	7
'3. प्रधानाचार्य	2	सामान्य केन्द्रीय सेवा वर्ग 'ख' राजपत्रित, अनिपिकवर्गीय	275-275-25-300-15-405-ई०बी०-20-425-25-550-ई०बी०-25-700 रुपये (पूर्व संशोधित) @ @संशोधित वेतनमानों को अभी समुचित नहीं किया गया ।	चयन	35 वर्ष सरकारी कर्मचारियों के लिए छूट** **आयु सीमा निर्धारित करने के लिए भारत (अण्डमान और निकोबार द्वीपों तथा लक्षद्वीप के अलावा) में रह रहे अभ्यर्थियों से आवेदन-पत्र प्राप्त करने की आखिरी तारीख को निर्णायक तिथि माना जाएगा ।	अनिवार्य : (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से मास्टर डिग्री या उसके समकक्ष । (ii) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अध्यापन/या शिक्षा में डिग्री या उसके समकक्ष । (iii) अध्यापन और शैक्षिक प्रशासन का 3 वर्ष का अनुभव । (अन्य प्रकार से योग्य अभ्यर्थियों के मामले में संघ लोक सेवा आयोग अपनी इच्छा से योग्यताओं में छूट

1	2	3	4	5	6	7
						दे सकता है, विशेष कर अनुभव संबंधी योग्यताओं में (अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों को उनके लिए आरक्षित पदों के लिए छूट दी जा सकती है) । **वांछनीय :** हिन्दी या बंगला या उड़िया भाषा का ज्ञान होना चाहिये ।
क्या सीधी भर्ती के उम्मीदवारों के लिए निर्धारित आयु तथा योग्यताएं पदोन्नति वाले उम्मीदवारों पर भी लागू होंगी ।	परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो	भर्ती की विधि सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति-स्थानांतरण द्वारा तथा विभिन्न विधियों से भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत ।	यदि पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा भर्ती होनी हो तो वे ग्रेड जिनसे किया जाना है ।	यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति हो तो उसकी संरचना क्या है ।	परिस्थितियां जिनमें भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श लिया जाना है ।	
8	9	10	11	12	13	
नहीं	2 वर्ष	पदोन्नति द्वारा, इसके न होने पर प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण द्वारा तथा दोनों के न होने पर सीधी भर्ती द्वारा ।	पदोन्नति : ऐसे प्राध्यापक जिसकी अपने ग्रेड में नियुक्ति हो जाने के पश्चात् 5 वर्ष की नियमित सेवा हो गई हो । प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण : केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के अन्तर्गत समान पदों पर कार्य कर रहे ऐसे अधिकारी जो कालम 7 में सीधी भर्ती के लिए निर्धारित योग्यताएं और अनुभव रखते हों । (प्रतिनियुक्ति की अवधि सामान्यतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी)	वर्ग 'ख' विभागीय पदोन्नति समिति 1. अध्यक्ष एवं मुख्य प्रशासक, दण्डकारण्य परियोजना—अध्यक्ष 2. शिक्षा अधीक्षक, दण्डकारण्य परियोजना—सदस्य 3. उप-मुख्य प्रशासक, दण्डकारण्य परियोजना—सदस्य . नोट :— जब विभागीय पदोन्नति समिति प्रधानाचार्य, दण्डकारण्य परियोजना के पद पर सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किए गए अधिकारी को स्थायी करने के मामले पर विचार करेगी तो संघ लोक सेवा आयोग के एक सदस्य को इसके साथ सहयोजित किया जाएगा ।	जैसा कि संघ लोक सेवा आयोग (परामर्श से छूट) विनियम, 1958 के अन्तर्गत अपेक्षित है।'	

[सं० 1(40)/73-दण्डक]

(DEPARTMENT OF REHABILITATION)

New Delhi, the 19th July, 1976

G.S.R.1174.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to amend the Dandakaranya Project, Education Organisation (Class I and Clast II posts) Recruitment Rules, 1974, namely:—

1. (1) These rules may be called the Dandakaranya Project, Education Organisation (Class I and Class II posts) Recruitment (Amendment) Rules, 1976.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule to the Dandakaranya Project, Education Organisation (Class I and Class II posts) Recruitment Rules, 1974, after serial number 2 and the entries relating thereto, the following shall be inserted, namely:—

Name of Post	No. of posts	Classification	Scale of pay	Whether selection post or non-selection post	Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits
1	2	3	4	5	6	7
"3. Principal	2	General Central Service Group 'B' Gazetted Non-Ministerial	Rs. 275-275-25-300-15-405-EB-20-425-25-550-EB-25-700 (Pre-revised) (Revised scales not yet notified)	Selection	35 years (relaxable for Government servants)* *The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (Other than those in the Andaman and Nicobar Islands and Laksha dweep).	Essential : (i) Master's degree of a recognised University or equivalent. (ii) Degree in teaching or education of a recognised University or equivalent. (iii) 3 years' experience of teaching and educational administration. (Qualifications relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in case of candidates otherwise well qualified; in particular the qualifications regarding experience is relaxable in case of candidates belonging to Scheduled Castes or the Scheduled Tribes for posts reserved for them) Desirable : Knowledge of Hindi or Bengali or Oriya.

Whether age and educational qualifications prescribed for the direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotionor by deputation or transfer and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion/deputation or transfer grades from which promotion/deputation or transfer to be made	If a DPC exists what is its composition	Circumstances in which UPSC is to be consulted in making recruitment
8	9	10	11	12	13
No.	2 years	By promotion failing which by transfer on deputation and failing both by direct recruitment.	Promotion : Lecturers with 5 years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis. Transfer on deputation : Officers under the Central Government or the State Governments holding analogous posts and possessing qualifications and experience prescribed for direct recruits in column 7. (Period of deputation shall not ordinarily exceed 3 years).	Group 'B' Departmental Promotion Committee. Note : A Member of the Union Public Service Commission will be associated with the Departmental Promotion Committee which may meet to consider confirmation of an officer in the post of Principal, Dandakaranya Project, who has been appointed to it by direct recruitment.	As required under the Union Public Service Commission (Exemption from Consultation) Regulations, 1958."

8	9	10	11	12	13
				1. Chairman and Chief Administrator, Dandakaranya Project. ...Chairman 2. Superintendent of Education, Dandakaranya Project. ...Member 3. Deputy Chief Administrator, Dandakaranya Project. ...Member.	

[No. 1 (40)/73-DNK]

नई दिल्ली, 20 जुलाई, 1976

का० आ० सं० 1175.—संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति दण्डकारण्य परियोजना (श्रेणी-1 तथा श्रेणी-2 के पदों) पर भर्ती के नियम, 1968 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. (1) ये नियम दण्डकारण्य परियोजना में (श्रेणी-1 तथा श्रेणी-2 के पदों) पर भर्ती के (तृतीय संशोधन) नियम, 1976 कहलायेंगे।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से लागू होंगे।

2. दण्डकारण्य परियोजना में (श्रेणी-1 तथा श्रेणी-2 के पदों) पर भर्ती के नियम, 1968 से संबंधित अनुसूची के क्रम संख्या 17 के सामने किये गये इन्दराजों के बाद निम्नलिखित जोड़ा जायेगा, अर्थात् :—

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन पद है अथवा गैर चयन पद	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों से अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य योग्यताएं
1	2	3	4	5	6	7
"18. कार्यपालक अधिकारी	1	सामान्य केन्द्रीय सेवा वर्ग 'क' राजपत्रित अनिपिक वर्गीय	700-40-900-द०रो० 1100-50-1300 रु०	गैर-चयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

क्या सीधी भर्ती के उम्मीदवारों के लिए निर्धारित आयु तथा योग्यताएं पदोन्नति वाले उम्मीदवारों पर भी लागू होंगी।	परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो	भर्ती की विधि सीधी भर्ती द्वारा, या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण द्वारा तथा विभिन्न विधियों से भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत	यदि पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण द्वारा भर्ती होनी हो तो वे ग्रेड जिनसे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण किया जाना है।	यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति हो तो उसकी संरचना क्या है।	परिस्थितियां जिनमें भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श लिया जाना है।
8	9	10	11	12	13
लागू नहीं होता	2 वर्ष	पदोन्नति द्वारा इसके न होने पर प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण द्वारा	पदोन्नति : ऐसे संपर्क अधिकारी जिनकी अपने ग्रेड में 3 वर्ष की नियमित सेवा हो गई हो, इसके न होने पर ऐसे संपर्क अधिकारी तथा सहायक कार्यपालक अधिकारी (वरिष्ठ) जिनकी दोनों ग्रेड में कुल मिलाकर 5 वर्ष की नियमित सेवा हो गई हो तथा दोनों के न होने पर ऐसे कार्यपालक अधिकारी (वरिष्ठ) जिनकी अपने ग्रेड में 5 वर्ष की नियमित सेवा हो गई हो।	वर्ग 'क' विभागीय पदोन्नति समिति। अध्यक्ष संघ लोक सेवा आयोग—अध्यक्ष अध्यक्ष, एवं मुख्य प्रशासक दण्डकारण्य परियोजना—सदस्य संयुक्त सचिव, पुनर्वास विभाग—सदस्य	जैसा कि संघ लोक सेवा आयोग (परामर्श से छूट) विनियम, 1958 के अंतर्गत अपेक्षित है।

8	9	10	11	12	13
			प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण : केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के अन्तर्गत समान पदों पर कार्य कर रहे अधिकारी या ऐसे अधिकारी जिनकी 650–1200 रु० या इसके समकक्ष वेतनमान के पदों पर 3 वर्ष की सेवा हो गई हो तथा जिन्हें सहायता एवं पुनर्वास कार्यों और भू-अर्जन संबंधी मामलों तथा राजस्व संबंधी कानूनों का अनुभव प्राप्त हो । (प्रतिनियुक्ति की अवधि सामान्यतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी)		

1	2	3	4	5	6	7
19. सहायक कार्यपालक अधिकारी (वरिष्ठ)	22	सामान्य केन्द्रीय सेवा वर्ग 'ख' राजपत्रित असिपिक वर्गीय	650-30-740-35-880-द०रो०-40-960 रु०	चयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

8	9	10	11	12	13
लागू नहीं होता	2 वर्ष	50% पदोन्नति द्वारा, इसके न होने पर प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण द्वारा तथा 50% प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण द्वारा ।	पदोन्नति : ऐसे सहायक कार्यपालक अधिकारी (कनिष्ठ) जिनकी अपने ग्रेड में नियुक्ति हो जाने के बाद तीन वर्ष की नियमित सेवा हो गई हो । प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण : केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों के समान पदों पर कार्य कर रहे अधिकारी या ऐसे अधिकारी जिनकी 550—900 रु० या इसके समकक्ष वेतनमान के पदों पर तीन वर्ष की सेवा हो गई हो तथा जिन्हें सहायता एवं पुनर्वास कार्यों और भू-अर्जन संबंधी मामलों तथा राजस्व संबंधी कानूनों का अनुभव प्राप्त हो या दण्डकारण्य परियोजना के ऐसे सहायक विस्तार अधिकारी जिनकी अपने ग्रेड में नियुक्ति हो जाने के बाद तीन वर्ष की नियमित सेवा हो गई हो । (प्रतिनियुक्ति की अवधि सामान्यतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी) ।	वर्ग 'ख' विभागीय पदोन्नति समिति । अध्यक्ष एवं मुख्य प्रशासक, दण्डकारण्य परियोजना—अध्यक्ष उप मुख्य प्रशासक दण्डकारण्य परियोजना—सदस्य	जैसा कि संघ लोक सेवा आयोग (परामर्श से छूट) विनियम, 1958 के अंतर्गत अपेक्षित है ।"

[सं० 1(104)/67 दण्डक]

New Delhi, the 20th July, 1976

G.S.R. 1175.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Dandakaranya Project (Class I and II posts) Recruitment Rules, 1968, namely :

1. (1) These rules may be called the Dandakaranya Project (Class I and II posts) Recruitment (Third Amendment) Rules, 1976.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule to the Dandakaranya Project (Class I and II posts) Recruitment Rules, 1968, after Serial No. 17 and the entries relating thereto, the following shall be inserted, namely :

Sl. No.	Name of the post	No. of posts	Classification	Scale of pay	Whether selection post or non-selection post	Age limit for direct recruits.	Educational and other qualifications required for direct recruits.
1		2	3	4	5	6	7
"18.	Executive	1	General Central Service Group 'A' Gazetted Non-Ministerial	Rs. 700-40-900-EB-40-1100-50-1200.	Non-selection	Not applicable	Not applicable

Whether age and educational qualifications prescribed for the direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or transfer and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion/deputation or transfer grades from which promotion/deputation or transfer to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
8	9	10	11	12	13
Not applicable	2 years	By promotion, failing which by transfer on deputation.	Promotion : Liaison Officer with 3 years' regular service in the grade, failing which with 5 years' total regular service in the grade of Liaison Officer and Assistant Executive Officer (Senior) combined together, and failing both, Assistant Executive Officers (Senior) with 5 years' regular service in the grade. Transfer on deputation : Officers under the Central Government or the State Governments holding analogous posts or with at least 3 years' service in posts in the scale of Rs. 650—1200 or equivalent and having experience in relief and Rehabilitation work and Land acquisition matters and revenue laws. (Period of deputation shall not ordinarily exceed 3 years).	Group 'A' Departmental Promotion Committee. Chairman, Union Public Service Commission. ...Chairman Chairman and Chief Administrator. ...Member Joint Secretary, Department of Rehabilitation. ...Member.	As required under the Union Public Service Commission (Exemption from Consultation) Regulations, 1958.

1		2	3	4	5	6	7
19.	Assistant Executive Officer (Senior)	22	General Central Service Group 'B' Gazetted Non-Ministerial	Rs. 650-30-740-35-880-EB-40-960.	Selection	Not applicable	Not applicable

8	9	10	11	12	13
Not applicable	2 years	50% by promotion failing which by transfer on deputation and 50% by transfer on deputation.	Promotion : Assistant Executive Officer (Junior) with 3 years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis. Transfer on deputation : Officers under the Central Government or the State Governments holding analogous posts, or with 3 years' service in posts in the scale of Rs. 550—900 or equivalent, and having experience in relief and rehabilitation work and land acquisition matters and revenues laws or Assistant Extension Officer in the Dandakaranya Project with 3 years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis. (Period of deputation shall not ordinarily exceed 3 years).	Group 'B' Departmental Promotion Committee. Chairman and Chief Administrator, Dandakaranya Project. ...Chairman Deputy Chief Administrator, Dandakaranya Project. ...Member	As required under the Union Public Service Commission (Exemption from Consultation) Regulations, 1958.

[No. 1 (104)/67-DNK]

नई दिल्ली, 21 जुलाई, 1976

का०आ०नि० 1176.—संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति दण्डकारण्य परियोजना में (श्रेणी I और II) के पदों पर भर्ती के नियम, 1968 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. (1) ये नियम दण्डकारण्य परियोजना में (श्रेणी I और II) के पदों पर भर्ती के (चतुर्थ संशोधन) नियम, 1976 कहलायेंगे।

(2) ये नियम सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. दण्डकारण्य परियोजना में (श्रेणी I और II) के पद पर भर्ती के नियम, 1968 की अनुसूची में अधीक्षक इंजीनियर, सिंचाई/निर्माण के पद से संबंधित क्रम संख्या 4 तथा उससे संबंधित इन्दराजों के लिए निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन पद है अथवा गैर चयन पद	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों से अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य योग्यताएं
1	2	3	4	5	6	7
4. अधीक्षक इंजीनियर (सिंचाई/निर्माण)	2	सामान्य केन्द्रीय सेवा वर्ग 'क' राजपत्रित	1500-60-1800-100-2000 रुपये	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

क्या सीधी भर्ती के उम्मीदवारों के लिए निर्धारित आयु तथा योग्यताएं पदोन्नति वाले उम्मीदवारों पर भी लागू होंगी	परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो।	भर्ती की विधि सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण द्वारा तथा विभिन्न विधियों से भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत	यदि पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण द्वारा भर्ती होनी हो तो वे ग्रेड जिनसे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण किया जाना है।	यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति हो तो उसकी संरचना क्या है।	परिस्थितियां जिनमें भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श लिया जाना है
8	9	10	11	12	13
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	पदोन्नति द्वारा इसके न होने पर प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण द्वारा	पदोन्नति : ऐसे कार्यपालक इंजीनियर (निर्माण) (सिंचाई)/निर्माण कार्य सर्वेक्षक जिनकी अपने ग्रेड में नियुक्ति हो जाने के पश्चात् 5 वर्ष की नियमित सेवा हो गई हो ;	वर्ग 'क' विभागीय पदोन्नति समिति जिसका गठन इस प्रकार है:— 1) संघ लोक सेवा आयोग का सदस्य— —अध्यक्ष	जैसा कि संघ लोक सेवा आयोग (परामर्श से छूट) विनियम, 1958 के अंतर्गत अपेक्षित है।

8	9	10	11	12	13
			प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण : केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकार के अधीक्षक इंजीनियर या कार्यपालक इंजीनियर के स्तर के ऐसे अधिकारी जिनके 5 वर्ष की नियमित सेवा हो गई हो। ऐसे अधिकारियों को अग्रता दी जाएगी जिन्हें निर्माण कार्य/सिंचाई परियोजनाओं में 2 वर्ष का व्यावहारिक अनुभव हो। (प्रतिनियुक्ति की अवधि सामान्यतया 4 वर्ष से अधिक नहीं होगी।	(ii) अध्यक्ष, दण्डकारण्य विकास प्राधिकरण या उसके द्वारा मनोनीत ऐसा अधिकारी जो भारत सरकार के उप सचिव के स्तर से कम नहीं होना चाहिए —सदस्य (iii) मुख्य प्रशासक या उसके द्वारा मनोनीत ऐसा अधिकारी जो भारत सरकार के उप सचिव के स्तर से कम नहीं होना चाहिए —सदस्य (iv) संयुक्त सचिव, पूर्ति और पुनर्वास मंत्रालय (पुनर्वास विभाग)—सदस्य	

[सं० 1(106)/74-दण्डक]

शान्ति लाल, उप सचिव

New Delhi, the 21st July, 1976

G.S.R. 1176.—In exercise of powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules, further to amend the Dandakaranya Project (Class-I and II posts) Recruitment Rules, 1968, namely:—

1. (1) These rules may be called the Dandakaranya Project (Class I and II posts) Recruitment (Fourth Amendment) Rules, 1976.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule to the Dandakaranya Project (Class I and II posts) Recruitment Rules, 1968, for Serial No. 4 relating to the post of Superintending Engineer, Irrigation/Construction and the entires relating thereto, the following shall be substituted, namely :—

SCHEDULE

Name of post	No. of post	Classification	Scale of pay	Whether selection post or non-selection post	Age limit for direct recruitment	Educational qualifications required for direct recruits
1	2	3	4	5	6	7
Superintending Engineer (Irrigation/Construction)	2	General Central Service Group 'A' Gazetted	Rs. 1500-60-1800-100-2000	Not applicable	Not applicable	Not applicable

Whether age and educational qualifications prescribed for the direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or transfer and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion/deputation or transfer grades from which promotion or transfer to be made	If a Departmental Promotion Committee exists what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
8	9	10	11	12	13
Not applicable	Not applicable	By promotion failing which by transfer on deputation	Promotion : Executive Engineers (Construction) (Irrigation)/Surveyors of Works with 5 years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis. Transfer on deputation : Officers of the rank of	Group 'A' Departmental Promotion Committee comprising (i) Member UPSC ...Chairman (ii) Chairman, Dandakaranya Development Authority	As required under the Union Public Service Commission (Exemption from Consultation) Regulations, 1958

8	9	10	11	12	13
			Superintending Engineer, or Executive Engineer, with 5 years' regular service as such, from the Central Government/State Governments, preferably having 2 years' field experience in construction work/irrigation Projects. (Period of deputation shall not ordinarily exceed 4 years)	or his nominee not below the rank of Deputy Secretary to Govt, if India. .....Member (iii) Chief Administrator or his nominee not below the rank of Deputy Secretary to Govt. of India. .....Member (iv) Joint Secretary, Ministry of Supply & Rehabilitation (Department of Rehabilitation.) .....Member	

[No. 1 (106)/74-DNK]
SHANTI LAL, Dy. Secy.

श्रम मंत्रालय

नई दिल्ली, 23 जुलाई, 1976

सा०का०नि० 1177.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मशीन कक्ष कर्मचारिवृन्द (श्रम ब्यूरो) भर्ती नियम, 1967 में संशोधन करने के लिये निम्नलिखित संशोधन करती है अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का नाम मशीन कक्ष कर्मचारिवृन्द (श्रम ब्यूरो) भर्ती (संशोधन) नियम, 1976 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. मशीन कक्ष कर्मचारिवृन्द (श्रम ब्यूरो) भर्ती नियम, 1967 की अनुसूची में, मशीन कक्ष पर्यवेक्षक के पद के सामने,—

(i) स्तम्भ 6 में की प्रविष्टि के स्थान पर, "18-25 वर्ष (सरकारी सेवकों के लिये शिथिलनीय" प्रविष्टि रखी जायेगी।

(ii) स्तम्भ 7(i) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "(i) उपाधि; जिसमें गणित, सांख्यिकी, अर्थशास्त्र या वाणिज्य एक विषय रहा हो या समतुल्य," प्रविष्टि रखी जायेगी ;

(iii) स्तम्भ 8 में की प्रविष्टि के स्थान पर, "शैक्षिक अर्हताएं :— हां, आयु :नहीं," प्रविष्टि रखी जायेगी, और

(iv) स्तम्भ 11 में की प्रविष्टि के स्थान पर, "ऐसे ज्येष्ठ मशीन प्रचालक, जिन्होंने, उस श्रेणी में 3 वर्ष सेवा की हो। प्रविष्टि रखी जायगी ।

[सं० ए०-12018/9/74-एल०बी०]

पी० आर० रामकृष्णन, अवर सचिव

MINISTRY OF LABOUR

New Delhi, the 23rd July, 1976

G.S.R. 1177.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to amend the Machine Room Staff (Labour Bureau) Recruitment Rules, 1967, namely :—

1. (1) These Rules may be called the Machine Room Staff (Labour Bureau) Recruitment (Amendment) Rules, 1976.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule to the Machine Room Staff (Labour Bureau) Recruitment Rules, 1967, against the post of Machine Room Supervisor,—

(i) for the entry in column 6, the entry "18—25 years (relaxable in the case of Government employees)" shall be substituted;

(ii) for the entry in column 7(i) the entry (i) Degree with Mathematics, Statistics, Economics or Commerce as one of the subject or its equivalent." shall be substituted;

(iii) for the entry in column 8, the entry "Educational Qualifications : Yes, Age : No" shall be substituted; and

(iv) for the enry in column 11, the entry "Senior Machine Operators with 3 years service in the Grade" shall be substituted.

[File No. A-12018/9/74-L.B.]

P. R. RAMAKRISHNAN, Under Secy.

(खान सुरक्षा महानिदेशालय)

नई दिल्ली, 22 जुलाई, 1976

सा०का०नि० 1178.—कोयला खान विनियम, 1957 के विनियम 2(23) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, प्रथम एवं द्वितीय डिग्री के गैस स्तरों में नीचे की कट, बीच की कट ऊपर की कट आदि पर प्रभाव डाले या बिना प्रभाव डाले कोयले में विस्फोट करने के लिये प्रयोग करने के लिये उपयुक्त अनुसात विस्फोटकों की सूची में निम्नलिखित विस्फोटकों को जोड़ा जाता है, अर्थात् :—

पेन्टाडाइन-पी०-5 विस्फोटक	अनुसात मैसर्स आई० डी० एल० कैमिकलस, लिमिटेड, (कुकटपल्ली) पो० बैग नं० 1, डाकघर संतनगर (आई० ई०) हैदराबाद-500018 द्वारा विनिर्मित :—

यह अनुमोदन निम्नलिखित शर्तों के अधीन है :—

(1) यह सुनिश्चित करने के लिये कि विस्फोटक केन्द्रीय खनन अनुसंधान केन्द्र परीक्षण रिपोर्ट सं० बी० 6/1/1328 दि० 25 मार्च, 1972 में वर्णित संघटन के अनुसार बना है, विनिर्मित की क्वालिटी पर कड़ा नियंत्रण रखा जायेगा।

(2) अधिकतम अनुमेय भार :

	प्रथम डिग्री	द्वितीय डिग्री
(क) पूर्ण विस्फोट के साथ	1 कि० ग्राम	0.565 कि०ग्रा०
(ख) नीचे की कट, बीच की कट, ऊपर की कट के साथ	1 ,, ,,	1 किलोग्राम

(3) विस्फोटक के प्रत्येक डिब्बे के ऊपर संघटन पर्ची पर निम्नलिखित लाल अक्षरों में उल्लिखित किया जायेगा :—

यह विस्फोटक ठोस कोयले में विस्फोट करने के लिये नन-इनसेन्डिव शौर्ट मिली सैकन्ड विलम्ब विस्फोटक प्रेरक के साथ या नीचे की कट, बीच की कट, ऊपर की कट आदि के पश्चात् अनुमोदित विद्युत् तत्क्षणिक विस्फोटक के साथ प्रयोग किया जायेगा ।

(4) असामान्य घटनाओं जैसे बहुत अधिक बार बारूद का आग न लगने और बहुत अधिक बार कारतूस के न पकने और कारतूसों के जलने की जांच निर्माता की तकनीकी सेवा द्वारा इस निदेशालय के निकट सहयोग से की जायेगी ।

यह फिर भी स्पष्ट कर दिया जाता है कि यद्यपि पेन्टाडाइन-पी० 5 विस्फोटक प्रथम एवं द्वितीय डिग्री के गैस स्तरों में व्यवहार के लिये अनुमोदित किया गया है, मैनेजमेंट के पक्ष में यह अनिवार्य होगा कि वह अधोहस्ताक्षरी से कोयला खान विनियम 1957 के विनियम 173(क), 168(15) एवं 175(6) के अन्तर्गत इसकी स्वीकृति ले लें, यदि इस विस्फोटक का व्यवहार किसी खान के ठोस कोयले में विस्फोट के लिये किया जाये ।

[सं० 14(10)/72-सामान्य 11296/76]
श्याम शिव प्रसाद, मुख्य खान निरीक्षक

MINISTRY OF LABOUR

(Directorate-General of Mines Safety)

Dhanbad, the 22nd July, 1976

G.S.R. 1178.—In exercise of the powers conferred by Regulation 2(23) of the Coal Mines Regulations, 1957 the following explosive is added to the list of "Permitted Explosives" suitable for use in First an Second Degree gassy coal seams for blasting in coal with or without effecting an under-cut, mid-cut, over-cut etc.

Pentadyne-P5 permitted explosive.	Manufactured by IDL Chemicals Limited, (Kukatpalli), Post Bag No. 1, Sanatnagar (I.E.) P.O. HYDERABAD-500018.

This approval is subject to the following conditions:—

1. Strict control shall be kept on the quality by manufacturer to ensure that the explosive is made to the composition mentioned in the Central Mining Research Station, Dhanbad Test Report No. V/6/1/1328 dated the 25th March, 1972.

2. Permissible maximum charge :

	First Degree.	Second Degree
(a) With Solid blasting	1 kg.	0.565 kg.
(b) With under-cut, mid-cut, over-cut etc.	1 kg.	1 kg.

3. On the composition slip in each carton of explosive the following shall be mentioned in red letters—

"This explosive shall be used with "Non-incendive" short (Millisecond) approved delay detonators for blasting in coal off the solid or with approved electric instantaneous detonators after it has been undercut, mid-cut, over-cut etc.

4. Any unusual happenings such as too frequent misfires, too frequent non-detonation of cartridges and deflagration of cartridges shall be looked into by the technical service department of the manufacturer in close co-operation of this Directorate.

It is however clarified that though the explosive Pentadyne-P5 has been approved for use in First and Second Degree gassy seams, it is obligatory on the part of the management to obtain permission from the undersigned under Regulation 173(a), 168(15) and 175(6) of the Coal Mines Regulations, 1957 if this explosive is to be used in any mine for blasting in coal off the solid.

[No. 14(10)/72-Genl./11296/76]

S. S. PRASAD, Chief Inspector

राजस्व और बैंकिंग विभाग

(राजस्व पक्ष)

नई दिल्ली, 7 अगस्त 1976

केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क

सा० का० नि० 1179.—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और समक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 37 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय उत्पादशुल्क नियम, 1944 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. इन नियमों का नाम केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क (20वां संशोधन) नियम, 1976 है।

2. केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 में नियम 174क के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात् :—

"174क. मालों या कतिपय प्रवर्गों के विनिर्माताओं को नियम 174 प्रवर्तन से छूट :—

इससे पूर्व इसमें अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी यदि केन्द्रीय सरकार का समाधान हो जाता है कि ऐसा करना लोकहित में आवश्यक या समीचीन है तो वह राजपत्र में अधिसूचना द्वारा और ऐसी शर्तों और सीमाओं के अधीन रहते हुए जैसी वह ऐसी अधिसूचना में विनिर्दिष्ट करे।

(क) किसी माल या किसी वर्ग के माल को, जो उन पर उद्ग्रहणीय उत्पाद-शुल्क से बिना शर्त के या शर्तों का पूरा किए जाने के अधीन रहते हुए पूर्णतः छूट प्राप्त है, और

(ख) विनिर्माताओं के किसी वर्ग को, जो अपने माल को अपने लिए अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों से विनिर्मित कराते हैं।

नियम 174 से छूट देती है।"

[सं० 221/76/सं० पत्र० 213/14/76 के०उ०श०-6]

कृष्णा कान्त, अवर सचिव

DEPARTMENT OF REVENUE AND BANKING

(Revenue Wing)

New Delhi, the 7th August, 1976

CENTRAL EXCISES

G.S.R. 1179.—In exercise of the powers conferred by section 37 of the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Central Excise Rules, 1944, namely :—

1. These rules may be called the Central Excise (20th Amendment) Rules, 1976.

2. In the Central Excise Rules, 1944, for rule 174A, the following rule shall be substituted, namely :—

"174A. Exemption of goods or certain categories of manufacturers from the operation of rule 174.—Notwithstanding anything hereinbefore contained, if the Central Government is satisfied that it is necessary or expedient in the public interest so to do, it may, by notification in the Official Gazette and subject to such conditions or limitations as it may specify in such notification exempt from the operation of rule 174—

(a) any goods or class of goods which are wholly exempted from the duty of excise leviable thereon either unconditionally or subject to fulfilment of conditions, and

(b) any class of manufacturers who get their goods manufactured on their account from other person or persons."

[Notification No. 221/76-C.E. F. No. 213/14/76-CX. 6]

KRISHNA KANT,
Under Secy.

कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम

बम्बई 21, जून 1976

सा०का०नि० 1180.—कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम अधिनियम, 1963 की धारा 46 की उप धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारतीय रिज़र्व बैंक के पूर्व अनुमोदन से कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम का निदेशक मंडल एतद्द्वारा यह निदेश देता है कि कृषि पुनर्वित्त निगम सामान्य विनियमावली, 1963 में निम्नलिखित संशोधन किये जाएं :

(1) उक्त विनियमावली में जहां कहीं "कृषि पुनर्वित्त निगम" शब्द आये हों वहां उनके स्थान पर "कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम" शब्द प्रतिस्थापित किये जाएं।

(2) अध्याय II में विनियम 3 के पहले निम्नलिखित विनियम को जोड़ दिया जाए, अर्थात् :

"2अ. प्राधिकृत पूंजी में वृद्धि :—अधिनियम की धारा 5 की उप-धारा (5अ) के अन्तर्गत निगम की प्राधिकृत पूंजी में वृद्धि के परिणामस्वरूप समय समय पर जारी की गयी और पूंजी में :—

(i) रिज़र्व बैंक पचास प्रतिशत अभिदान करेगा;

(ii) केन्द्रीय भूमि विकास बैंक और राज्य सहकारी बैंक पच्चीस प्रतिशत अभिदान करेंगे और;

(iii) अनुसूचित बैंक, जीवन बीमा निगम, बीमा और निवेश कम्पनियां, और अधिनियम की धारा 5 की उप धारा (2) के खंड (ग) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित अन्य वित्तीय संस्थाएं शेष पच्चीस प्रतिशत का अभिदान करेंगी;"।

(3) विनियम 3 के उप विनियम (i) में "मंडल आबंटन कर सकता है" शब्दों के स्थान पर "विनियम 2अ के उपबन्धों के अधीन मंडल आबंटन कर सकता है" शब्द प्रतिस्थापित किये जाएं।

(4) विनियम 8 के उप विनियम (ii) में आनेवाले "धारा 5(2)(क) के अनुसरण में" शब्दों, संख्याओं तथा कोष्ठकों के स्थान पर "धारा 5(2)(क) और (5अअ) के अनुसरण में" शब्दों, संख्याओं तथा कोष्ठकों और "धारा 5 की उप धारा (4) के अनुसरण में" शब्दों, संख्याओं तथा कोष्ठकों के स्थान पर "धारा 5 की उप धारा (4) या उप धारा (5अइ) के अनुसरण में" शब्दों, संख्याओं तथा कोष्ठकों को प्रतिस्थापित किया जाए।

(5) विनियम 10 के उप विनियम (i) की संख्या को पुनः संख्यांकित करके उसको उक्त विनियम का उप विनियम (1क) बना दिया जाए और इस प्रकार पुनः संख्यांकित उप-विनियम के पहले निम्नलिखित उप-विनियम जोड़ दिया जाए।

"(i) निगम के किसी शेयर या किन्हीं शेयरों का उस स्थिति में अन्तरण नहीं किया जाएगा जब ऐसे अन्तरण के परिणामस्वरूप :—

(क) उस समय जारी किये गये और खड़े (आउटस्टेंडिंग) शेयरों की कुल संख्या के पचास प्रतिशत से कम शेयर रिज़र्व बैंक के पास रह जाते हों; या

(ख) अनुसूचित बैंकों, जीवन बीमा निगम या केन्द्रीय भूमि विकास बैंकों या राज्य सहकारी बैंकों या बीमा कंपनियों या निवेश कंपनियों या अधिनियम की धारा 5 की उप धारा (2) के खंड (ग) के अन्तर्गत अधिसूचित वित्तीय कंपनियों में से प्रत्येक के पास अपने संबंधित वर्ग के अन्तर्गत निगम के कोई शेयर न रह जाते हों।"

(6) विनियम 27 के उप विनियम (i) में "केन्द्रीय भूमि बंधक बैंक" शब्दों के स्थान पर "केन्द्रीय भूमि विकास बैंक" शब्द प्रतिस्थापित किये जाएं।

एम०ए० चिदंबरम, प्रबंध निदेशक

[सं० फा० 14-41/76-ऐ०- सी०]
बी० एन० बहादुर, उप सचिव

AGRICULTURAL REFINANCE & DEVELOPMENT CORPORATION

G.S.R. 1180.—In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 46 of the Agricultural Refinance and Development Corporation Act, 1963, and with the previous approval of the Reserve Bank of India, the Board of Directors of the Agricultural Refinance and Development Corporation hereby directs that the Agricultural Refinance Corporation General Regulations, 1963, be and are hereby amended as follows :

(1) In the said Regulations, for the words "Agricultural Refinance Corporation", wherever they occur, the words "Agricultural Refinance and Development Corporation" shall be substituted.

(2) In chapter II, before Regulation 3 the following Regulation shall be inserted, namely :—

"**2A Increase in authorised capital.**—Of the further capital issued from time to time pursuant to the increase in the authorised capital of the Corporation under sub-section (5A) of section 5 of the Act—

(i) the Reserve Bank shall subscribe for fifty per cent;

(ii) central land development banks and State Co-operative banks may subscribe for twenty-five per cent; and

(iii) scheduled banks, the Life Insurance Corporation, insurance and investment companies and other financial institutions notified by the Central Government in pursuance of clause (c) of sub-section (2) of Section 5 of the Act, may subscribe for the remaining twenty-five per cent;

(3) In regulation 3, in sub-regulation (i), for the words "The Board may make allotments" the words "subject to the provisions of Regulation 2A, the Board may make allotments" shall be substituted.

(4) In regulation 8, in sub-regulation (ii) for the words, figures and brackets "in pursuance of section 5(2)(a)" the words, figures and brackets "in pursuance of sections 5(2)(a)

and (5AA)" and for the words, figures and brackets "in pursuance of sub-section (4) of section 5" the words, figures and brackets "in pursuance of sub-section (4) or sub-section (5AC) of section 5" shall be substituted.

(5) Sub-regulation (i) of regulation 10 shall be renumbered as sub-regulation (ia) thereof, and before the said sub-regulation as so re-numbered, the following sub-regulation shall be inserted.

"(i) No transfer of a share or shares of the Corporation shall be made, if as a result of such transfer—

(a) the Reserve Bank will be holding less than fifty per cent of the total number of shares issued and outstanding at that time; or

(b) the scheduled banks, Life Insurance Corporation or central land development banks or State co-operative banks or insurance companies or investment companies or financial institutions notified under clause (c) of sub-section (2) of section 5 of the Act will within each of the respective classes cease to hold any share in the Corporation.

(6) In regulation 27, in sub-regulation (i), for the words "Central Land Mortgage Banks" the words "Central Land Development Banks" shall be substituted.

M. A. CHIDAMBARAM,
Managing Director.

[F. 14-41/76-AC]

V. N. BAHADUR,
Dy. Secy.

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय

(कम्पनी कार्य विभाग)

नई दिल्ली, 2 अगस्त, 1976

सा० का० नि० 1181.—केन्द्रीय सरकार, एकाधिकारी तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, 1969 (1969 का 54) की धारा 67 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एकाधिकारी तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार नियम, 1970 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम एकाधिकारी तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार (संशोधन) नियम, 1976 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. एकाधिकारी तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार नियम, 1970 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) में, उपनियम (1) से (4) तक के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखे जाएंगे, अर्थात् :—

"(1) धारा 21 की उपधारा (1) के अधीन सूचना देने या धारा 22 की उपधारा (2), अथवा धारा 23 की उपधारा (2), अथवा उपधारा (4) के अधीन आवेदन करने से पूर्व, सूचना देने वाले या आवेदन करने वाले उपक्रम, व्यक्ति या प्राधिकारी द्वारा या उसकी ओर से जन-साधारण को एक साधारण सूचना उपनियम (3) में विनिर्दिष्ट रीति से, यथास्थिति, प्ररूप 1-क, प्ररूप 2-क, प्ररूप 3-क या प्ररूप 4-क में प्रकाशित की जाएगी ।

(2) केन्द्रीय सरकार, यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि उस विषय में हित रखने वाला कोई व्यक्ति उपनियम (1) के अधीन प्रकाशित साधारण सूचना में विनिर्दिष्ट चौदह दिन की अवधि के भीतर केन्द्रीय सरकार को व्यपदेशन करने से पर्याप्त हेतुक से निवारित रहा था तो वह ऐसे व्यक्ति को आगे और अवधि के भीतर, जो चौदह दिन से अधिक नहीं होगी ऐसा व्यपदेशन करने की अनुज्ञा दे सकता है

(3) उपनियम (1) में निर्दिष्ट साधारण सूचना का प्रत्येक प्रकाशन

(i) भारत में व्यापार सम्बन्धी एक पत्रिका में कम से कम एक बार ;

(ii) समस्त भारत में या सारभूत रूप से समस्त भारत में प्रचलित एक अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्र में कम से कम एक बार ;

(iii) उस क्षेत्र की, अर्थात् :—

(क) जहां उपक्रम का प्रधान कार्यालय, या यदि उपक्रम कम्पनी है, तो कम्पनी का रजिस्ट्रीकृत कार्यालय स्थित है, अथवा

(ख) जहां सूचना देने वाला या आवेदन करने वाला व्यक्ति या प्राधिकारी निवास करता है या कारबार करता है या वैयक्तिक अभिलाभ के लिए कार्य करता है,

भाषा में प्रकाशित एक समाचारपत्र में कम से कम एक बार ; और

(iv) उस क्षेत्र की,—

(क) जिसमें तात्विक रूप से विस्तार प्रस्थापित है ;

(ख) जिसमें नए उपक्रम का स्थापित किया जाना प्रस्थापित है ; अथवा

(ग) जिसमें विलयन, समामेलन या अर्जन के प्रमाणस्वरूप जन्म लेने वाला उपक्रम स्थापित किए जाने के लिए प्रस्थापित है,

यदि ऐसा क्षेत्र खण्ड (iii) में विनिर्दिष्ट क्षेत्र से भिन्न है, भाषा में प्रकाशित होने वाले एक समाचार पत्र में कम से कम एक बार प्रकाशित की जाएगी ।

(4) उपनियम (3) के अधीन प्रत्येक प्रकाशन की एक प्रति, उसके प्रकाशन की तारीख की बाबत एक प्रमाणपत्र सहित, यथास्थिति, सूचना या आवेदन के साथ संलग्न की जाएगी ।"

3. उक्त नियमों की अनुसूची में,—

(i) प्ररूप संख्या 1 के पश्चात्, निम्नलिखित प्ररूप अन्तः स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"प्ररूप 1-क"

(नियम 4क(1) देखिए)

केन्द्रीय सरकार को एकाधिकारी तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, 1969 की धारा 21 की उपधारा (1) के अधीन सूचना देने से पूर्व जनसाधारण को दी जाने वाली साधारण सूचना का प्ररूप।

सूचना

जनसाधारण की जानकारी के लिए यह अधिसूचित किया जाता है कि——————(जहां उपक्रम के नाम का उल्लेख कीजिए) केन्द्रीय सरकार के कम्पनी कार्य विभाग, नई दिल्ली को अपने कार्यकलाप में सारभूत रूप से विस्तार करने के लिए एक सूचना एकाधिकारी तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, 1969 की धारा 21 की उपधारा (1) के अन्तर्गत देना चाहता है । प्रस्थापना की विशिष्टियां संक्षिप्त में निम्नलिखित प्रकार से हैं :—

(i) उस व्यक्ति या उन व्यक्तियों / निगमित निकाय का नाम जिसके स्वामित्व में उपक्रम है ।

(ii) आवेदक उपक्रम की पूंजी संरचना ।

(iii) प्रस्थापित सारभूत विस्तार के ब्यौरे ;

(क) उन नए मालों के नाम जिनका उत्पादन, प्रदाय, नियंत्रण या वितरण किया जाना है अथवा की जाने वाली नई सेवाओं के नाम ।

(ख) विद्यमान कार्यकलापों के सारभूत विस्तार की दशा में--

(i) मालों के नाम

(ii) विस्तार के पूर्व क्षमता

(iii) प्रस्थापित विस्तार

(iv) सारभूत विस्तार के लिये परियोजना का स्थान

(v) परियोजना, स्कीम के खर्च की संक्षिप्त रूपरेखा और वित्तपोषण के स्रोत ।

2. इस विषय में हित रखने वाला कोई भी व्यक्ति सचिव, कम्पनी कार्य विभाग, भारत सरकार, शास्त्री भवन, नई दिल्ली को, इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से चौदह दिन के भीतर, प्रस्थापना के सम्बन्ध में अपने विचार संसूचित करते हुए और उसमें अपने हित की प्रकृति का उल्लेख करते हुए, अभ्यावेदन कर सकता है ।

हस्ताक्षरित

(सूचना जारी करने वाले उपक्रम के प्रधान अधिकारी का नाम और पदाभिधान) ।

तारीख----------19

(ii) प्ररूप संख्या 2 के पश्चात् निम्नलिखित प्ररूप अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"प्ररूप 2--क

[नियम 4क(1) देखिए]

केन्द्रीय सरकार को एकाधिकारी तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, 1969 की धारा 22 की उपधारा (2) के अधीन आवेदन करने से पूर्व जनसाधारण को दी जाने वाली साधारण सूचना का प्ररूप

सूचना

जनसाधारण की जानकारी के लिए यह सूचित किया जाता है कि----------(यहां उपक्रम, व्यक्ति या प्राधिकारी के नाम का उल्लेख कीजिए) केन्द्रीय सरकार के कम्पनी कार्य विभाग, नई दिल्ली को, एकाधिकारी तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, 1969 की धारा 22 की उपधारा (2) के अधीन----------(यहां उन मालों के नामों का उल्लेख कीजिए जिनका उत्पादन, प्रदाय, वितरण या नियंत्रण किया जाता है तथा संस्थापित क्षमता और प्राक्कलित वार्षिक उत्पादन या आवर्त का उल्लेख कीजिए) के उत्पादन, प्रदाय, वितरण या नियंत्रण के लिए अथवा----------(यहां उस सेवा या उन सेवाओं का, जो की जानी हों, उनके प्राक्कलित वार्षिक मूल्य की विशिष्टियों सहित, उल्लेख कीजिए) सेवाएं करने के लिए एक नए उपक्रम की स्थापना हेतु अनुमोदन के लिए आवेदन करना चाहता है । प्रस्थापित नए उपक्रम की अन्य विशिष्टियां निम्नलिखित प्रकार से हैं :--

(i) प्रस्थापित उपक्रम का नाम ।

(ii) नए उपक्रम की स्थापना की प्रस्थापना करने वाले व्यक्ति/व्यक्तियों या प्राधिकारी/प्राधिकारियों के नाम । जहां वह निगमित निकाय हो वहां प्रस्थापित उपक्रम सहित उस निकाय की प्रबन्ध संरचना के ब्यौरे दीजिए ।

(iii) आवेदक व्यक्ति या प्राधिकारी तथा प्रस्थापित उपक्रम की पूंजी संरचना ।

(iv) नए उपक्रम का प्रस्थापित स्थान ।

(v) परियोजना के खर्चे, स्कीम और वित्तपोषण के स्रोतों की संक्षिप्त रूपरेखा ।

2. इस विषय में हित रखने वाला कोई भी व्यक्ति सचिव, कम्पनी कार्य विभाग, भारत सरकार, शास्त्री भवन, नई दिल्ली को इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से चौदह दिन के भीतर, प्रस्थापना के संबंध में अपने विचार संसूचित करते हुए और उसमें अपने हित की प्रकृति का उल्लेख करते हुए, अभ्यावेदन कर सकता है ।

हस्ताक्षरित

(उपक्रम के प्रधान अधिकारी का, व्यक्ति का या सूचना जारी करने वाले प्राधिकारी के लिए तथा उसके निमित्त हस्ताक्षर करने वाले किसी प्राधिकृत अधिकारी का नाम और पदाभिधान) ।"

तारीख----------197

(iii) प्ररूप संख्या 3 के पश्चात्, निम्नलिखित प्ररूप अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"प्ररूप 3--क

[नियम 4क(1) देखिए]

केन्द्रीय सरकार को एकाधिकारी तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, 1969 की धारा 23 की उपधारा (2) के अधीन आवेदन करने से पूर्व जनसाधारण को दी जाने वाली साधारण सूचना का प्ररूप ।

सूचना

जनसाधारण को यह अधिसूचित किया जाता है कि----------(यहां उपक्रम के नाम का उल्लेख कीजिए) ने केन्द्रीय सरकार के कम्पनी कार्य विभाग, नई दिल्ली को, एकाधिकारी तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, 1969 की धारा 23 की उपधारा (2) के अधीन ----------(यहां पर उपक्रम या उन उपक्रमों के नाम दीजिए जिनके साथ विलयन या समामेलन प्रस्थापित है) के साथ विलयन/समामेलन की स्कीम के अनुमोदन के लिए एक आवेदन करने की प्रस्थापना की है । स्कीम की विशिष्टियां संक्षेप में निम्नलिखित प्रकार से हैं :--

(i) आवेदक उपक्रम का नाम और पता ।

(ii) विलयन/समामेलन के लिए प्रस्थापित उपक्रम/उपक्रमों की प्रबन्ध संरचना ।

(iii) जिनका विलयन/समामेलन प्रस्थापित है, उस उपक्रम/उन उपक्रमों की पूंजी संरचना ।

(iv) विलयन/समामेलन के लिए प्रस्थापित उपक्रम का/उपक्रमों के वर्तमान कारोबार ।

(v) प्रस्थापित विलयन/समामेलन के संक्षिप्त कारण ।

(vi) विलयित/समामेलित उपक्रम के शेयरधारकों/लेनदारों, आदि के लिए प्रस्थापित विनिमय दर/प्रतिफल के ब्यौरे ।

2. इस विषय में हित रखने वाला कोई भी व्यक्ति सचिव, कम्पनी कार्य विभाग, भारत सरकार, शास्त्री भवन, नई दिल्ली को इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से चौदह दिन के भीतर, प्रस्थापना के संबंध में अपने विचार संसूचित करते हुए और उसमें अपने हित की प्रकृति का उल्लेख करते हुए, अभ्यावेदन कर सकता है ।

हस्ताक्षरित

(सूचना जारी करने वाले उपक्रम के प्रधान अधिकारी का नाम और पदाभिधान) ।"

तारीख----------19

(iii) प्ररूप संख्या 4 के पश्चात्, निम्नलिखित प्ररूप अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"प्ररूप 4–क

[नियम 4क(1) देखिए]

केन्द्रीय सरकार को एकाधिकारी तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, 1969 की धारा 23 की उपधारा (4) के अधीन आवेदन करने से पूर्व जनसाधारण को दी जाने वाली साधारण सूचना का प्ररूप।

सूचना

जनसाधारण को यह अधिसूचित किया जाता है कि——————— (यहां उपक्रम का नाम भरिए) केन्द्रीय सरकार के कम्पनी कार्य विभाग, नई दिल्ली को एकाधिकारी तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, 1969 की धारा 23 की उपधारा (4) के अधीन——————— (यहां अर्जित किए जाने वाले उपक्रम का नाम दीजिए) के पूर्ण या भागतः अर्जन के अनुमोदन के लिए एक आवेदन करने की प्रस्थापना की है। स्कीम की विशिष्टियां संक्षेप में निम्नलिखित प्रकार से हैं:—

(i) आवेदक उपक्रम का नाम और पता।

(ii) उस उपक्रम का नाम और पता जिसका पूर्णतया या भागतः अर्जन प्रस्थापित है तथा अर्जन की रीति, अर्थात् क्रय द्वारा, ग्रहण द्वारा अथवा अन्यथा।

(iii) आवेदक उपक्रम की प्रबन्ध संरचना।

(iv) (क) आवेदक उपक्रम;

(ख) अर्जन के लिए प्रस्थापित उपक्रम, की पूंजी संरचना।

(v) प्रस्थापित अर्जन के परिणामस्वरूप सृष्ट होने वाले या सम्भावित उपक्रम के कारोबार की प्रकृति।

(vi) अर्जन के लिए प्रतिफल।

(vii) वित्तपोषण की स्कीम, जिसमें प्रस्थापित अर्जन के लिए वित्तपोषण के स्रोत दर्शाएं जाएंगे।

2. इस विषय में हित रखने वाला कोई भी व्यक्ति सचिव, कम्पनी कार्य विभाग, भारत सरकार, शास्त्री भवन, नई दिल्ली, को इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से चौदह दिन के भीतर, प्रस्थापना के संबंध में अपने विचार संसूचित करते हुए और उसमें अपने हित की प्रकृति का उल्लेख करते हुए, अभ्यावेदन कर सकता है।

हस्ताक्षरित

(सूचना जारी करने वाले उपक्रम के प्रधान अधिकारी का नाम और पदाभिधान)।" ।

तारीख——————197

[फा० सं० 38(11)/76-सी० एल० 5]

कान्तमणि शर्मा, अवर सचिव

MINISTRY OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS

(Department of Company Affairs)

New Delhi, the 2nd August, 1976

G.S.R. 1181.—In exercise of the powers conferred by section 67 of the Monopolies and Restrictive Trade Practices Act, 1969 (54 of 1969), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Monopolies and Restrictive Trade Practices Rules, 1970, namely :—

1. (1) These rules may be called the Monopolies and Restrictive Trade Practices (Amendment) Rules, 1976.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In rule 4A of the Monopolies and Restrictive Trade Practices Rules, 1970 (hereinafter referred to as the said rules), for sub-rules (1) to (4), the following sub-rules shall be substituted, namely :—

"(1) Before giving a notice under sub-section (1) of section 21 or making an application under sub-section (2) of section 22, or sub-section (2), or sub-section (4) of section 23, there shall be published, by or on behalf of the undertaking, person or authority giving the notice or making the application, a general notice to the members of the public in Form I-A, Form II-A, Form III-A or Form IV-A, as the case may be in the manner specified in sub-rule (3).

(2) The Central Government may, if it is satisfied that any person interested in the matter was prevented by sufficient cause from making a representation to the Central Government within the period of fourteen days specified in a general notice published under sub-rule (1), permit such person to make such representation within a further period not exceeding fourteen days.

(3) Every publication of a general notice referred to in sub-rule (1) shall be made—

(i) at least once in a journal relating to trade in India;

(ii) atleast once in an English daily newspaper circulating in the whole or substantially the whole of India.

(iii) at least once in a newspaper published in the language of the region in which—

(a) the principal office of the undertaking, or if the undertaking is a company, the registered office of the company, is situate; or

(b) the person or authority giving the notice or making the application is resident or carries on business or personally works for gain; and

(iv) at least once in a newspaper published in the language of the region in which—

(a) the substantial expansion is proposed; or

(b) the new undertaking is proposed to be established; or

(c) the new undertaking coming into existence as a result of merger, amalgamation or acquisition, is proposed to be established, if such region is different from the region specified in clause (iii).

(4) A copy of every publication under sub-rule (3) together with a certificate as to the date of publication thereof shall be attached to the notice or application, as the case may be."

3. In the Schedule to the said rules,—

(i) after Form No. I, the following Form shall be inserted, namely :—

"Form I-A

[See rule 4A(1)]

Form of general notice to be given to the members of the public before giving a notice to the Central Government under sub-section (1) of section 21 of the Monopolies and Restrictive Trade Practices Act, 1969.

NOTICE

It is hereby notified for the information of the public that ....(mention here the name of the undertaking) proposes to give to the Central Government

in the Department of Company Affairs, New Delhi, a notice under sub-section (1) of section 21 of the Monopolies and Restrictive Trade Practices Act, 1969, for substantial expansion of its activities. Brief particulars of the proposal are as under :—

(i) Name(s) of person(s)/body corporate owing the undertaking.

(ii) Capital structure of the applicant undertaking.

(iii) Details of the proposed substantial expansion :—

(a) Names of new goods to be produced, supplied, controlled or distributed or of new services to be rendered.

(b) In the case of substantial expansion of existing activities—

(i) Names of goods.

(ii) Capacity before expansion.

(iii) Expansion proposed.

(iv) Location of the project for substantial expansion.

(v) Brief outline of the cost of the project, the scheme and sources of finance.

2. Any person interested in the matter may make a representation to the Secretary, Department of Company Affairs, Government of India, Shastri Bhavan New Delhi, within 14 days from the date of publication of this Notice, intimating his views on the proposal and indicating the nature of his interest therein.

Signed

(Name and designation of the principal officer of the undertaking issuing the notice)."

Dated this day of.....197.....

(ii) After Form No. II, the following Form shall be inserted, namely :—

"Form II-A

[See rule 4A(1)]

Form of general notice to be given to the members of the public before making an application to the Central Government under sub-section (2) of section 22 of the Monopolies and Restrictive Trade Practices Act, 1969.

NOTICE

It is hereby notified for the information of the public that .....(mention here the name of the undertaking, person or authority) proposes to make an application to the Central Government in the Department of Company Affairs, New Delhi, under sub-section (2) of section 22 of the Monopolies and Restrictive Trade Practices Act, 1969, for approval for the establishment of a new undertaking for the production, supply, distribution or control of..... (here mention the name(s) of the goods to be produced, supplied, distributed or controlled with particulars of the proposed installed capacity and estimated annual production or turnover) or for rendering the service.....(here mention the name(s) of the services(s) to be rendered with particulars of the estimated annual value thereof). Other particulars of the proposed new undertaking are as under :—

(i) Name of the proposed undertaking.

(ii) Name(s) of person(s) or authority/authorities proposing to establish the new undertaking. Where it is a body carporate, furnish details of its management structure together with those of the proposed undertaking.

(iii) Capital structure of the applicatn person or authority and of the proposed undertaking.

(iv) Proposed location of the new undertaking.

(v) Brief outline of the cost of project, the scheme and source of finance.

2. Any person interested in the matter may make a representation to the Secretary, Department of Company Affairs, Government of India, Shastri Bhavan New Delhi, within 14 days from the date of publication of this Notice, intimating his views on the proposal and indicating the nature of his interest therein.

Signed

(Name and designation of the principal officer of the undertaking, of the person, or of any officer authorised to sign for and on behalf of the authority issuing the notice.)"

Dated this day of.....19.....

(iii) after Form No. III, the following Form shall be inserted, namely :—

"Form III-A

See rule 4A(1)

Form of general notice to be given to the members of the public before making an application to the Central Government under sub-secion (2) of section 23 of the Monopolies and Restrictive Trade Practices Act, 1969.

NOTICE

It is hereby notified for the information of the public that.....(here mention the name of the undertaking) proposes to make an application to the Central Government in the Department of Company Affairs, New Delhi, under sub-section (2) of section 23 of the Monopolies and Restrictive Trade Practices Act, 1969, for approval to its scheme of merger/amalgamation with the..... .....(here give the name(s) of the undertaking(s) with which merger or amalgamation is proposed). Brief particulars of the scheme are as under :—

(i) Name and address of the applicant undertaking.

(ii) Management structure of undertaking(s) proposed to be merged/amalgamated.

(iii) Capital structure of the undertaking(s) proposed to be merged/amalgamated.

(iv) Present activities of the undertaking(s) proposed to be merged/amalgamated.

(v) Reasons, in brief, for the proposed merger/amalgamation

(iv) Details of the exchange ratio/consideration proposed for shareholders/creditors, etc. of the amalgamated/merged undertaking.

2. Any person interested in the matter may make a representation to the Secretary, Department of Company Affairs, Government of India, Shastri Bhavan, New Delhi, within 14 days from the date of publication of this Notice intimating his views on the proposal and indicating the nature of his interest therein.

Signed

(Name and designation of the principal officer of the undertaking issuing the Notice)".

Dated this day of.....19.....

(iv) after Form No. IV, the following Form shall be inserted, namely :—

"Form IV-A

See rule 4A (1)

Form of general notice to be given to the members of the public before making an application to the

Central Government under sub-section (4) of section 23 of the Monopolies and Restrictive Trade Practices Act, 1969.

NOTICE

It is hereby notified for the information the public that .....(give here name of the undertaking) proposes to make an application to the Central Government in the Department of Company Affairs, New Delhi, under sub-section (4) of section 23 of the Monopolies and Restrictive Trade Practices Act, 1969, for approval to the acquisition of the whole or part of .....(give here the name of the undertaking to be acquired). Brief particulars of the proposal are as under :—

(i) Name and address of the applicant undertaking.

(ii) Name and address of the undertaking the whole or part of which is proposed to be acquired and the manner of acquisition i.e. by purchase, take-over or otherwise.

(iii) Management structure of the applicant undertaking.

(iv) Capital structure of—

(a) the applicant undertaking ;

(b) the undertaking proposed to be acquired.

(v) Line(s) of business of the undertaking which will or is likely to emerge as a result of the proposed acquisition.

(vi) Consideraion for the acquisition.

(vii) Scheme of finance indicating the sources of finance for the proposed acquisition.

2. Any person interested in the matter may make a representation to the Secretary, Department of Company Affairs, Government of India, Shastri Bhavan New Delhi, within 14 days from the date of publication of this Notice, intimating his views on the proposal and indicating the nature of his interest therein.

Signed

(Name and designation of the principal officer of the undertaking issuing the notice)."

Dated this day of.....19....

[F. No. 38/11/76-CL-V]

K. M. SHARMA, Under Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110027
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110006, 1976.